रजिस्ट्री सं० डी०—(डी०)—73 REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1981 (वैशाख 5, 1903)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1981 (VAISAKHA 5, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० ए० 31012/1/81-प्रशा० II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री के० आर० पी० नायर को 19-2-1981 से 18-5-1981 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (भा०) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

पी० एस० राणा,
अनुभाग अधिकारी,
कृते अध्यक्ष,
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय
का० एवं प्र० सु० विभाग
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1981

सं० एम०-83/67-प्रशा० 5—राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० में स्थायी समाहृति हो जाने पर, पत्र संख्या 202/68/80-ए० वी० डी०II, दिनांक 12-12-1981 के द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से, एतद्द्वारा उप-विधि-सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर श्री एम० पी० सिंह का पुनर्ग्रहणाधिकार दिनांक 1-11-1980 से समाप्त किया जाता है।

सं० एन-2/69-प्रशा०-5—इस कार्यालय के दिनांक 7-2-1981 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री एन० एस० माथुर, उप-विधि-सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो दिनांक 31-1-1981 को 58 वर्ष के हो चुके हैं, की सेवाएं दिनांक 1-2-1981

से दिनांक 30-6-19 1 तक 5 मास की अवधि के लिए बढ़ाते हैं ।

दिनांक 4 अप्रैल 1981

सं० एस०-17/71-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री एस० आर० पाण्डे, लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना को, प्रोन्नति पर, दिनांक 23-3-81 के पूर्वाह्न से 3 मास की अवधि के लिए अथवा एक नियमित नियुक्त व्यक्ति के उपलब्ध हो जाने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए तदर्थ आधार पर वरिष्ठ लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में नियुक्त करते हैं ।

की० ला० ग्रोवर
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110022, दिनांक 31 मार्च 1981

सं० एफ० 11/41/80 स्थापना (के०रि० पु० बल)—इस महानिदेशालय के अधिसूचना जो कि इस संख्या नम्बर दिनांक 27-1-81 को जारी किया गया था को रद्द समझा जाये ।

सं० एफ० 11/24/80-स्थापना (के० रि० पु० बल)—श्री वाई० एन० सक्सेना, भारतीय पुलिस सेवा (उ० प्र० : 1959) उपमहानिरीक्षक के० रि० पु० बल हैदराबाद को अतिरिक्त चार्ज उपमहानिरीक्षक के० रि० पु० बल, कोहिमा दिनांक 5-5-80 से 12-9-80 (अपराह्न) तक एफ० आर०-49(iii) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया ।

सं० एफ० 11/41/80-स्थापना (के० रि० पु० बल)—श्री टी० त्रिपाठी, उपमहानिरीक्षक के० रि० पु० बल अजमेर को उपमहानिरीक्षक के० रि० पु० बल, गोहाटी के पद पर अतिरिक्त नियुक्ति दिनांक 25-7-80 (अपराह्न) से 14-9-80 तक की जाती है ।

दिनांक 4 अप्रैल 1981

सं० ओ० दो० 1572/81-स्थापना—राष्ट्रपति जी, डा० सदानन्द कुमार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी० डी० ओ० ग्रेड-II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमान्डर) के पद पर डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाने की शर्त पर दिनांक 18-3-81 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं ।

ए० के० सूरी
सहायक निदेशक (स्थापना)

महानिदेशक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मार्च 1981

सं० ई०-16013(1)/1/80-कार्मिक—दुर्गापुर से स्थानान्तरित होने पर, श्री वी० पी० कपूर भा० पु० से० (उत्तर प्रदेश-61) ने 23 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से उप महानिरीक्षक (उ० व० प० क्षेत्र) के० औ० सु० ब० नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 2 अप्रैल 1981

सं० ई०-38013(3)/9/80-कार्मिक—दुर्गापुर से स्थानांतरित होने पर श्री सी० डी० राय ने 27 जनवरी, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, हल्दिया डाक काम्पलैक्स, हल्दिया के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/12/80-कार्मिक—राऊरकेला से स्थानान्तरित होने पर श्री एस० के० वर्मा, ने 11 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, एच० ई० सी० लि०, रांची के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/12/80-कार्मिक—रांची को स्थानांतरित होने पर श्री एस० के० वर्मा ने 28 फरवरी, 1981 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, आर० एस० पी० राउरकेला के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं ई०-16013(1)/1/80-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होने पर, श्री आर० के० निगम आई० पी० एस० (प० बं० 1962) ने, श्री वी० पी० कपूर, आई० पी० एस० (यू० पी० 1961) के स्थान पर, 11-3-81 के अपराह्न से उप महानिरीक्षक व सी० ओ० एस०, के० औ० सु० ब० दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । श्री कपूर ने नई दिल्ली में स्थानांतरित होने पर उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

ह० अपठनीय
महानिदेशक/के० औ० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 अप्रैल 1981

सं० 10/29/80-प्रशा-I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, जो इस समय उनके नामों के समक्ष दर्शित पदों और कार्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हीं के नामों के समक्ष दर्शित तारीखों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित आधार पर भरे जाएं, जो भी अवधि पहले हो, उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थाई और

तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (आंकड़े संसाधन) के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री जी० सी० मिश्र	सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) (तदर्थ)	जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना	24-2-81 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बी० एम० पटेल	अन्वेषक	जनगणना कार्य निदेशालय, गुजरात अहमदाबाद	20-2-81 (पूर्वाह्न)
3.	श्री ए० जी० ओक	अन्वेषक	जनगणना कार्य निदेशालय, मध्य प्रदेश, भोपाल	22-2-81 (पूर्वाह्न)

2. सर्वश्री मिश्र, पटेल और ओक के मुख्यालय क्रमश: पटना, अहमदाबाद और भोपाल में होंगे।

3. उपरोक्त अधिकारियों की सहायक निदेशक (आंकड़े संसाधन) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 1(II) ई-III(बी)/75, तारीख 7-11-1975 में दी गई शर्तों के अधीन होगी।

सं० 11/15/80-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, कर्णाटक सिविल सेवा के अधिकारी श्री पी० वासुदेव को प्रतिनियुक्ति पर उप-निदेशक जनगणना कार्य के पद पर जनगणना कार्य निदेशालय, कर्णाटक, बंगलौर में 3 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से पूर्णत: अस्थायी और तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक यह पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री वासुदेव का मुख्यालय हसन में होगा।

पी० पद्मनाभ
महापंजीकार

मुद्रण निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1981

सं० डी(47)/प्रशा०-II—मुद्रण निदेशक ने श्री विनोद धवन को 24 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है।

हरिशचन्द्र शर्मा
उप निदेशक (प्रशासन)

वित्त मंत्रालय

होशंगाबाद, दिनांक 27 मार्च 1981

सं० 7(48)/124—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 7 (48)/789, दिनांक 15-4-80 के तारतम्य में श्री ग० रा० बिलगोवा की प्रशासनिक अधिकारी के पद के रूप में दी गई पदोन्नति को दिनांक 14-4-81 अथवा नियमित नियुक्ति की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

ओ० प्र० शर्मा
परियोजना अधिकारी

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा
वाणिज्य, निर्माण कार्य एवं विविध
नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1981

सं० प्रशासन-1/2(1)/IV/269—निदेशक लेखा परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण कार्य एवं विविध, नई दिल्ली निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को रु० 840-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से अनन्तिम आधार पर अस्थाई लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने के आदेश देते हैं:—

नाम	पदोन्नति होने की तिथि
1. श्री जी० एस० मिन्हास	17-11-1980 (पूर्वाह्न)
2. श्री के० एन० रामामूर्ति	31-12-1980 (पूर्वाह्न)
3. श्री के० एस० निर्वाण	31-12-1980 (पूर्वाह्न)
4. श्री एच० एल० तलवार	15-1-1981 (पूर्वाह्न)
5. श्री एन० के० भट्टाचार्य	7-1-1981 (पूर्वाह्न)
6. श्री एम० एल० लाम्बा	26-2-1981 (पूर्वाह्न)

अर्जुन थापन,
उप निदेशक (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 4 अप्रैल 1981

सं० प्रशा०I/8-132/80-81/5—महालेखाकार आंध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री ए० नारायन राव को महालेखाकार आंध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000 ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर

25-3-81 के अपराह्न से जब तक आगे आदेश न दिये जाएं, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिट अर्जी के आदेशों के अधीन दिया गया है।

सं० प्रशा० I/8-132/80-81/5—महालेखाकार आंध्र प्रदेश हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री सी० एच० वि० चलपति को महालेखाकार आंध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000-ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 25-3-81 के अपराह्न से जब तक आगे आदेश न दिए जाएं, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिट अर्जी के आदेशों के अधीन किया गया है।

रा० हरिहरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार
(प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार-प्रथम, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 21 अप्रैल 81

सं० प्रशा०-1/पी० एफ० जे० के० ए०/581—श्री जे० के० ए० चौधरी (01/0066) स्थाई लेखा अधिकारी को, अधिवार्षिकी की आयु हो जाने पर दिनांक 31-3-1981 को अपराह्न से, शासकीय सेवा से निवृत्त किया जाता है।

ध्रुवचरण साहू
वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रशासन

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनैन्स फैक्टरियां सेवा

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० 14/81/जी—राष्ट्रपति, महोदय, श्री मुन्नी लाल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक का (स्थायी एवं मौलिक सहायक प्रबन्धक) त्याग पत्र दिनांक 26 जून, 1979 से स्वीकृत करते हैं।

वी० के० मेहता
सहायक महानिदेशक
आर्डनैन्स फैक्टरियां

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1981

आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण
(स्थापना)

सं० 6/1161/76-प्रशा०/(राज०)/2172—राष्ट्रपति, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह का जो उत्तर प्रदेश (सिविल) न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में उपविधि सलाहकार हैं, (उसी कार्यालय में 15 नवम्बर, 1980 से 14 नवम्बर, 1981 तक और एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित रूप से भरा नहीं जाता, इनमें से भी पहले हो उस तक के लिए विधि सलाहकार के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

मणि नारायणस्वामी
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० 12/97/61-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति जी, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय के श्री ए० एन० घोष, निदेशक, ग्रेड-I (वैद्युत) को दिनांक 18 मार्च, 1981 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, इसी कार्यालय में औद्योगिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 3 अप्रैल 1981

सं० ए-19018(475)/80-प्रशा० (राज०)—राष्ट्र-पति जी, श्री असीम कुमार सरकार को दिनांक 11 मार्च, 1981 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना में सहायक निदेशक, ग्रेड-I (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी० सी० राय
उप निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-I)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 1981

सं० प्र०I/1(291)—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में स्थायी निदेशक पूर्ति तथा स्थापन्न उप महानिदेशक श्री एस० के० राय निवर्तमान आयु होने पर दिनांक 31-3-1981 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

एम० जी० मेनन
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1981

सं० प्र-1/1(1168)—राष्ट्रपति, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1979 के परिणाम के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित श्री योगेन्द्र कुमार को दिनांक 2-3-1981 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक

भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप ए के ग्रेड III में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन नियुक्त करते हैं ।

2. श्री योगेन्द्र कुमार ने दिनांक 2-3-1981 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

दिनांक 1 अप्रैल 1981

सं० प्र-1/1(1165)—राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री विनोद कुमार भसीन को दिनांक 11 मार्च 1981 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नई दिल्ली में सहायक निदेशक (बिक्री कर) (ग्रेड-I) के रूप में दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन नियुक्त करते हैं ।

एम० जी० मेनन,
उप-निदेशक (प्रशासन)

इस्पात एवं खान मंत्रालय
इस्पात विभाग
लौह एवं इस्पात नियंत्रण

कलकत्ता-20, दिनांक 4 अप्रैल 1981

सं० ई० 1-2(3)/75—लौह एवं इस्पात नियंत्रक दिनांक 1-4-81 के पूर्वाह्न से श्री देव प्रसाद राय, अधीक्षक को प्रोन्नति पर इस कार्यालय में स्थानापन्न रूप से सहायक लौह एवं इस्पात नियंत्रक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

एस० एन० विश्वास,
संयुक्त लौह एवं इस्पात नियंत्रक

(खान विभाग)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 31 मार्च 1981

सं० 1754बी/ए-19012(3-एकेजी)/80-19बी—डा० अनिद्य कुमार गुप्ता को सहायक रसायनज्ञ के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के न्यूनतम वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-द०-40-1000-रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक, 27-1-81 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है ।

सं० 1780बी/ए-19012 (3-बीएनपी) 80-19बी—श्री बी० एन० प्रचेता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) को सहायक रसायनज्ञ के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000- द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में, आगामी आदेश होने तक, 28-1-81 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है ।

बी० एस० कृष्णस्वामी,
महानिदेशक

समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1981

सं० 21 (टी-41)/79-एस (भाग II)—इस कार्यालय के नियुक्ति पत्र क्रमांक 1(10)/77-एस दिनांक 23 जून, 1977 के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार आकाशवाणी के समाचार प्रभाग के प्रशासनिक उप-निदेशक श्री बी० एन० श्रीवास्तव 15 दिसम्बर, 1980 से श्री मांगेलाल मोटरचालक की सेवाओं को समाप्त करने का एक माह का नोटिस जारी करते हैं । इस नोटिस की समाप्ति पर 14 जनवरी, 1981 अपराह्न से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं ।

श्री मांगेलाल को आदेश दिया जाता है कि वह सभी सरकारी सामान जो उनके पास हो कार्यालय में 14-1-1981 को या उससे पहले जमा करा दें ।

बी० एन० श्रीवास्तव,
प्रशासनिक उप-निदेशक
कृते निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
नई दिल्ली-1, दिनांक, 3 अप्रैल 1981

सं० ए-12025/2/80-स्थापना—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक श्री मधुसूदन कुमारे को सीनियर आर्टिस्ट के पद पर अस्थायी रूप से 28 मार्च, 1981 के अपराह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

सं० ए-12034/7/81-स्था०—अधिवार्षिकता की आयु पर पहुंचने के फलस्वरूप इस निदेशालय के अनुभाग अधिकारी श्री जी० आर० वर्मा 31 मार्च, 1981 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

दिनांक 6 अप्रैल 1981

सं० ए-12026/21/80-स्थापन—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक मुख्य नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के लेखा अधिकारी श्री यू० सी० सत्यवादी को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में 1 अप्रैल, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक, प्रतिनियुक्ति आधार पर लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

जनकराज लिखी,
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1981

सं० ए० 19019/25/80-प्रशासन-1:—डा((श्रीमती) दया वी० सिंगल ने इराक सरकार के अधीन विदेश नियुक्ति पर चले जाने के फलस्वरूप 23 फरवरी, 1981 के अपराह्न से लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली से दन्त चिकित्सा विज्ञान के लेक्चरर के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

संगत सिंह,
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1981

सं० ए० 19018/23/80-कं० सं०स्वा० यो-1:—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० श्रीमती राजरानी ग्रोवर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में 9-3-1981 के पूर्वाह्न से अस्थाई आधार पर होमियोपैथिक फिजिशियन के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 19018/26/80-के० स० स्वा० यो-1:—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० श्रीमती राजलक्ष्मी रहेजा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में 9-3-81 के पूर्वाह्न से अस्थाई आधार पर होमियोपैथिक फिजिशियन के पद पर नियुक्त किया है।

टी० एस० राव,
उप-निदेशक प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र

कार्मिक प्रभाग

बम्बई-400085, दिनांक 27 मार्च 1981

सं० पी० ए०/ 76(2)/80 आर० III:—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र श्री टी० के० राममूर्ती, सहायक लेखाकार को स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी पद पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 (पूर्वाह्न) से 6 फरवरी 1981 (अपराह्न) तक तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक मार्च 1981

सं० पी० ए० /19(1)/80-आर० 4(II):—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन्दौर के केन्द्रीय वैद्युत प्रभाग के अर्ध स्थाई अवर अभियन्ता (वैद्युत) श्री एल० एस० नार्वेकर ने कार्यकारी अभियन्ता (वैद्युत), इन्दौर के कार्यालय के पद भार मुक्त होने पर भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के तकनीकी सेवायें प्रभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० पद का 18 मार्च, 1981 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेशों तक अस्थाई रूप में अपना पद भार ग्रहण कर लिया है। श्री नार्वेकर को भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में नियुक्ति का निदेशक, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने अनुमोदन किया है।

ए० शान्ताकुमर मेनोन,
उप-स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

वाया कोटा, दिनांक 31 मार्च 1981

सं० रापविप/भर्ती/7(9)/81/स्था/152:—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर, विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के सेंट्रल पूल के स्थाई निम्न श्रेणी लिपिक और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानापन्न सहायक लेखाकार श्री जी० एस० राठोर को राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में दिनांक 10-3-81 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अस्थाई तौर से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हैं।

गोपाल सिंह,
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)
वास्ते मुख्य परियोजना इंजीनियर

वाया कोटा दिनांक 31 मार्च 1981

सं० रापविप/04627/1(413)/81/स्थ०/प्रशा०/632.—भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के स्थाई फोरमैन तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य रत श्री एल० जी० टेलर ने अधिवार्षिकी आयु की प्राप्ति पर सेवा नियुक्त होने पर 31 मार्च, 1981 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

गोपाल सिंह,
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500016, दिनांक 2 अप्रैल 1981

सं० प० ख प्र-1/38/80-भर्ती:—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह को परमाणु खनिज प्रभाग में 2 मार्च, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड 'एस बी' नियुक्त करते हैं।

दिनांक 3 अप्रैल 1981

सं० प० ख प्र- 1/6/80-भर्ती:—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री राजन बाबू जैन को परमाणु खनिज प्रभाग में 24 मार्च, 1981

के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड 'एस० बी' नियुक्त करते हैं।

दिनांक 6 अप्रैल 1981

सं० प० ख प्र-1/38/80-भर्ती:—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री ए० प्रेमदास को परमाणु खनिज प्रभाग में 1 अप्रैल, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड 'एस बी' नियुक्त करते हैं।

सं० प० ख प्र-1/38/80-भर्ती:—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र पाल सिंह राठौर को परमाणु खनिज प्रभाग में 1 अप्रैल, 1981 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड 'एस० बी.' नियुक्त करते हैं।

एम० एम० राव,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजना

बम्बई-400008, दिनांक 2 अप्रैल 1981

सं० 05052/81/1529:—भारी पानी परियोजना के विशेष कार्य अधिकारी, श्री बसन्त कृष्ण महागांवकर, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजना (मुख्य कार्यालय) के स्थानापन्न सहायक लेखाकार को, उसी कार्यालय मे 7 मार्च (पूर्वाह्न) 1981 से आगे आदेश होने तक के लिये अस्थाई रूप में सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्रीमती के० पी० कल्याणी कुट्टी,
प्रशासन अधिकारी

रिएक्टर अनुसन्धान केन्द्र

कलपाक्कम 603102, दिनांक 18 मार्च 1981

सं० ए० 32014/2/81-3153:—रिएक्टर अनुसन्धान केन्द्र के परियोजना निदेशक ने इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को 1 फरवरी, 1981 से अगला आदेश होने तक के लिये रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड एस० बी० नियुक्त किया है।

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री के० के० भास्करन	स्थाई वैज्ञानिक सहायक/बी० तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक/सी०
2.	श्री पी० वी० थामस	स्थायीवत वैज्ञानिक सहायक/बी तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक/सी० ।

एस० पदमनाभन,
प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० ए० 38013/1/81-ई० ए०:—दिल्ली एयरपोर्ट, पालम के श्री हरसरन सिंह, विमान क्षेत्र अधिकारी ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 30 नवम्बर, 1980 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सं० ए० 38013/1/81-ई० ए०:—महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय के श्री कविराज सिंह, विमान सुरक्षा अधिकारी ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 28 फरवरी, 1981 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सुधाकर गुप्ता
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल, 1981

सं० ए० 32013/11/79-ई० सी०:—राष्ट्रपति ने वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई के श्री टी० आर० शेषाद्रि, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 17-2-81 (पूर्वाह्न) से छः मास की अवधि के लिये वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें उसी स्टेशन पर तैनात किया है।

सं० ए० 32013/3/80-ई० सी०:—इस विभाग की दिनांक 16-10-80 की अधिसूचना सं० ए० 32013/3/80 ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो अधिकारियों की संचार अधिकारी के ग्रेड में की गई नियुक्ति को, प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख के बाद आगे दिनांक 31-3-81 तक की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है।

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	इस तारीख के बाद
1.	श्री एस० आर० सेठी	वैमानिक संचार स्टेशन, नागपुर	30-9-80
2.	श्री वी० एन० अय्यर	वैमानिक संचार स्टेशन मद्रास	30-9-80

2. राष्ट्रपति ने श्री एम० पी० के० पिल्लै, सहायक संचार अधिकारी की वैमानिक संचार, स्टेशन बंगलौर में संचार अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30-9-80 के बाद 30-11-80 (अपराह्न) तक, जो निर्वतन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने की तारीख थी, तारीख रखने की मंजूरी प्रदान की है।

सं० ए० 38015/21/80-ई० सी०:—वैमानिक संचार स्टेशन, पालम के कार्यालय के श्री डी० एस० श्रीवास्तव, तकनीकी अधिकारी ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31-7-80 से सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर मूल नियम 56 (के) उपबन्धों के अंतर्गत अपने पद का कार्य भार त्याग दिया है।

सं० ए० 32013/1/80-ई० एस०:—इस विभाग की दिनांक 25-8-1980 की अधिसूचना सं० ए० 32013/1/80 ई० एस० के० क्रम में, राष्ट्रपति ने सर्वश्री एल० एन० लाल और एम० एल० नागर की सहायक निदेशक विमान सुरक्षा/वरिष्ठ विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजी) के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 9-12-80 के बाद और 31-5-81 तक या ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दी है।

वी० जयचन्द्रन,
सहायक निदेशक, प्रशासन।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

पटना, दिनांक 4 अप्रैल, 1981

सं० II(7)2-स्था० /79/2929:—इस समाहर्तालय के निम्नलिखित स्थाई स्थानापन्न अधीक्षक समूह 'ख' अपनी सेवा की आयु पूरी कर उनके नाम के सामने दिखाये गये तारीख अनुसार सेवा निवृत्त हुए।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री		(अपराह्न)
1.	ए० के० आंगुली	अधीक्षक समूह 'ख'	30-9-80
2.	अहमद बसीर	वही	30-11-80
3.	नथुनी पाण्डेय	वही	31-12-80
4.	ज्वाला प्रसाद सिंह	वही	31-1-81
5.	यू० एस० दूबे	वही	31-1-81
6.	सी० एम० सफीउल्लाह	वही	31-1-81
7.	मो० ई० हक	वही	31-1-81
8.	सी० एस० झा	वही	31-1-81
9.	राम जन्म मिश्रा	वही	31-1-81
		अधीक्षक समूह 'ख'	(अपराह्न)
10.	बबुआजीझा	वही	8-2-81
11.	सी० एस० सिन्हा	वही	2-2-81

सुरजीत सिंह,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना

उर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक, 1 अप्रैल 1981

सं० एम० ओ० पी० 8(2)75—कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियमावली, 1949 के नियम 5 के उप नियम (1)(बी) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग कर कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति एतद् द्वारा कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल सरकार के जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी निदेशालय द्वारा मनोनीत महाप्रबन्धक, क्षेत्र संख्या-6, उखरा क्षेत्र, पोस्ट उखरा, जिला बर्दवान, अपर मुख्य अभियन्ता (सिविल); पूर्वीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड सेनेटोरिया पोस्ट डिसरगढ़, बर्दवान महाप्रबन्धक क्षेत्र संख्या 12, पोस्ट बराकर जिला बर्दवान तथा पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी निदेशालय के मुख्य अभियन्ता को उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, चांच ग्रुप, पोस्ट बराकर, बर्दवान, श्री एन० मित्रा, श्री आशा सिंह, सी० एम० ए० लिमिटेड तथा डा० जी० सी० सैन के स्थान पर नियोक्त प्रतिनिधि तथा सहयोजित सदस्य के रूप पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र उप समिति का सदस्य नियुक्त करती है, जिसका गठन अधिसूचना संख्या पी० 8(6) 75 दिनांक 13-2-73 में उल्लिखित है (उत्तर वर्ती संशोधन के साथ) तथा पुनः उक्त अधिसूचना में निम्न-लिखित सूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. उक्त अधिसूचना के कालम 1 के क्रम संख्या 4, 5, 6 व 10 तथा उप क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, चांच विक्टोरिया ग्रुप श्री एन० आर० मित्रा, श्री आशा सिंह तथा डा० जी० सी० सेन के स्थान पर, महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय सं०-6, उखरा क्षेत्र, अपर मुख्य अभियन्ता (सिविल), पूर्वीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, सेनेटोरिया, "महाप्रबन्धक, क्षेत्र संख्या-12, पोस्ट बराकर बर्दवान, मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता" प्रतिस्थापित किया जाय।

सं० एम० ओ० पी०-8(5)67—कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियमावली, 1949 के नियम 5 के उप नियम (1) (बी) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग कर कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति एतद्द्वारा बिहार राज्य सरकार तथा कोयला विभाग, ऊर्जा

मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत उप श्रम आयुक्त, बोकारो स्टील सिटी, (ii) अपर मुख्य अभियन्ता (सी०), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कार्मिक भवन धनबाद, (iii) कार्मिक प्रबन्धक (विधि) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कार्मिक भवन, धनबाद तथा (iv) महा प्रबन्धक, क्षेत्र संख्या 8 पूर्वीय कोयला क्षेत्र, पोस्ट मुगमा, जिला धनबाद को उप श्रम आयुक्त (कल्याण) बिहार, पटना, तथा सर्वश्री टी० घोष एवं एस० एन० बसु, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तथा महाप्रबन्धक, क्षेत्र संख्या-8, पूर्वीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, मुगमा के स्थान पर झरिया तथा मुगमा कोयला क्षेत्र उप समिति का सदस्य नियुक्त करती है, जिसका गठन अधिसूचना संख्या पी० 8(5)67 दिनांक 28-11-1973 में उल्लिखित है तथा पुनः उक्त अधिसूचना निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना के कालम 1 के क्रम संख्या 2, 4, 5 तथा 6 "उप श्रम आयुक्त (कल्याण), बिहार, पटना, महाप्रबन्धक, क्षेत्र संख्या-8, पूर्वीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, मुगमा, सर्वश्री टी० घोष तथा एस० एन० बसु, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" के स्थान पर "उप श्रम आयुक्त, बोकारो स्टील सिटी, अपर मुख्य अभियन्ता (सी०), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कार्मिक प्रबन्धक (विधि), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कार्मिक भवन, धनबाद तथा महाप्रबन्धक, क्षेत्र संख्या-8, पूर्वीय कोयला क्षेत्र, मुगमा" प्रतिस्थापित किया जाये।

दामोदर पण्डा,
आयुक्त,
कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 1 अप्रैल 1981

सं० ए० 19012/908/81-स्थापना-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग निम्नलिखित अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निदेशक सहायक इंजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में उनके नाम के सामने दिखाई तारीख से 6 महीने की अवधि के लिये अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं० अधिकारी का नाम, पदनाम सहित	अतिरिक्त सहायक निदेशक सहायक इंजीनियर के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख	जहां पद स्थापित किये गये
1 2	3	4
1. श्री सी० एस० सेशा-दरी, पर्यवेक्षक	10-11-80 (अपराह्न)	जगदलपुर, गेजिंग, उप-डिवीजन, जगदलपुर।
2. श्री वी० ए० साथी-याराजन, अभिकल्प सहायक	22-12-80 (अपराह्न)	नदी विकास (जे० आर० सी०) अन्वेषण सर्किल, नई दिल्ली।
3. श्री पी० प्रभाकरन, पर्यवेक्षक	25-1-81 (पूर्वाह्न)	पुणे गेजिंग डिवीजन, पुणा के अधीन एम० ओ० टी० उप डिवीजन, के० ज० आयोग कोल्हापुर।
4. श्री ओ० पी० सिंह, पर्यवेक्षक	2-2-81 (पूर्वाह्न)	जल संसाधन एवं बाढ़ पूर्वानुमान उप डिवीजन, वाराणसी।
5. श्री एम० के० नायर, पर्यवेक्षक	10-3-81 (पूर्वाह्न)	पी० एण्ड पी० निदेशक, सेवा भवन।
6. श्री एम० के० धर, पर्यवेक्षक	13-3-81 (पूर्वाह्न)	सिंचाई निदेशक, सेवा भवन।

ए० भट्टाचार्य,
अवर सचिव

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1981

सं० 27 एस०/एम (6)/70 ई० सी०-2—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियर श्री के० के० मोहन बाबू, के दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने के नोटिस को स्वीकार कर लिया है तदनुसार उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के दिन से सेवा निवृत्त माना जायेगा।

जगदीश प्रसाद,
प्रशासन उप-निदेशक,
कृते निर्माण महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1981

सं० 33/1/78-ई० सी०-9—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के नामित श्री सुभाष चन्द्र मेघराम को उपवास्तुविद के अस्थाई पद पर (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप "क") के० लो० नि० वि० में रुपये 700 प्रतिमाह के वेतन पर रुपये 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के वेतनमान में (सामान्य भत्तों सहित) दिनांक 20-3-81 (अप०) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका वेतन शीघ्र ही नियमानुसार पुनर्नियत किया जायेगा।

2. श्री मेघराम को 20-3-81 से 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा गया है।

श्रीमती मीना गर्ग,
प्रशासन उपनिदेशक

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

जयपुर, दिनांक 6 अप्रैल 1981

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (4) के अधिसूचना कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और

मैसर्स आबू रोड रेलवे कोपरेटिव एसोशियन लि० (समापन में)

नं० समापन/22.—मैसर्स आबू रोड, रेलवे कोपरेटिव एशोसिशन लि० (समापन में) जिसका पंजीकृत कार्यालय, आबू रोड राजस्थान में है। का विघटन हो गया है। और निम्न हस्ताक्षरित को तर्कयुक्त विश्वास है कि कम्पनी की क्रियाएं पूर्णतया विघटित हो गई है और कम्पनी का लेखा जोखा का विवरण जो कि समापक द्वारा विगत छः महीनों के लिये तैयार किया जाना चाहिये था, नहीं किया गया इसलिये अब कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन माह के समय तक मैसर्स आबू रोड रेलवे कोपरेटिव एसोशियन लि० (समापन में) का नाम, यदि इसके प्रति कुल हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है जो रजिस्ट्रर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

एस० पी० दीक्षित,
कम्पनियों के रजिस्ट्रार,
राजस्थान जयपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 और शाहजहांपुर सुगर प्रा० लि० के विषय में

कानपुर, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० 5553/3718-एल०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि शाहजहांपुर सुगर प्राइवेट लि० का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित कर दी गयी है।

वेद प्रकाश कपूर,
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
यू० पी०, कानपुर

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं एस०ए० मीसरी एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० 1359/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एस०ए०मीसरी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं शामशंक प्रोडक्टस प्राईवेट लि० के विषय में।

बम्बई, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० 469-5472/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर शामशंक प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं बिटा केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 30 मार्च 1981

सं० 617-12141/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बिटा केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं स्वास्तिक प्रांपर्टीज प्राईवेट लि० के विषय में।

बम्बई, दिनांक 2 अप्रैल 1981

सं० 15302/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1656 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर स्वास्तिक प्रांपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटीत कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं यूनिवर्सल नटस् एण्ड बोल्टस् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 2 अप्रैल 1981

सं० 15458/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर युनिवर्सल नटस् एण्ड बोल्टस् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं हयान्डी एन्गल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 4 अप्रैल 1981

सं० 605/12298/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हयान्डी एन्गल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ओम प्रकाश जैन,
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र, बम्बई

कम्पनी अधिनियम 1956 और वारुईपुर का चारी बाजार प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 31 मार्च 1981

सं० 28071/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर वारुईपुर का चारी बाजार प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हाबले कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 31 मार्च 1981

सं० 31437/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर हाबले कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

ए० वि० विश्वास,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कार्यालय आयकर आयुक्त
(संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी)

कानपुर, दिनांक 31 मार्च 1981

आदेश

स्थापना :—केन्द्रीय सेवाएं – ग्रुप बी० राजपत्रित—आयकर अधिकारी – पदोन्नति-स्थानान्तरण एवं पद-स्थापना (पोस्टिंग)—

सं० 144—निम्नलिखित आयकर निरीक्षक को स्थानापन्न आयकर अधिकारी ग्रुप "बी०" के रूप में रु० 650-30-740 35-810-द० रो० -880-40-1000-द०रो०-40-1200 के वेतन मान में उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किया जाता है। यदि यह पाया गया कि उनकी यह नियुक्ति विद्यमान रिक्तियों से अधिक है तो वे पदावनत किए जाने के योग्य होगें। पदोन्नति पर उनकी सेवाएं उनके सामने उल्लिखित आयकर आयुक्त के अधीन रखी जाती है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	आयकर आयुक्त जिसके अधीन सेवाएं रखी गई हैं।
1.	श्री एम०एल० केरल (मैनपुरी)	आगरा

आयकर आयुक्त आगरा कृपया पदस्थापन आदेश जारी करें।

वी० गुप्ता
आयकर आयुक्त कानपुर
(संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) कानपुर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

एरणाकुलम, दिनांक 19 मार्च 1981

निदेश सं० एल० सी०-499/80-81—यतः मुझे वी० मोहनलाल,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो एरणाकुलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एरणाकुलम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28 जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री ए० नारायण अय्यर

(अन्तरक)

(2) श्री पी० एम० मात्यू

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3.8 सेंट्स जमीन जैसा कि अनुसूची में है और जो डाकुमेंट सं० 2562/80 तारीख 28-7-1980 में दर्ज है।

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 19-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 10 फरवरी 1981

निदेश सं० के०-96/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० डी-39/1-4 व डी-39/1-5 है तथा जो कोदई की चौक वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-11-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री उदय रतन बनर्जी

(अन्तरक)

(2) श्री कमलेश कुमार चौबे

(अन्तरिती)

(3) श्री कमलेश कुमार चौबे स्वयं व श्री नारायण दास, किरायेदार।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० डी-39/1-4 व डी-39/1-5 स्थित कोदई की चौकी वाराणसी व वह तमाम सम्पत्ति जिसका वर्णन सेल डीड व फार्म 37 जो संख्या 12142 में किया गया है और जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 29-11-1980 को किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ।

तारीख: 10-2-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 23 मार्च 1981

निदेश सं० एस-200/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 403 से 407 का 1/4 भाग है तथा जो उत्तर धौना, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 9-9-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती कृष्णा देवी वैद्य

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशीला बोरा

(अन्तरिती)

(3) उपरोक्त विक्रेता।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि के प्लाट नं० 403, 404, 405, 406 एवं 407 का 1/4 भाग कुल क्षेत्रफल 5 बीघा, 13 बिस्वा और 16 बिस्वान्सी वाके मौजा उत्तर धौना, लखनऊ व वह तमाम सम्पत्ति जो सेल डीड तथा फार्म 37 जी नं० 5605 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 9-9-80 को किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 19 मार्च 1981

निर्देश सं० ए० सी०/रेंज-II/कलकत्ता/1980-81—यतः, मुझे के० सिंहा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पी-191/1 है तथा जो ब्लाक बी, बैन्गुर एवेन्यू, कलकत्ता-55 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब-रजिस्ट्रार आफ एस्सोरेंसेज, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती ईला देवी

(अन्तरक)

(2) श्री श्रीकान्त मल्लिक

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पी-191/1, ब्लाक-बी, बैन्गुर एवेन्यू, कलकत्ता-55, मौजा-कृष्णापुर, सी० एस० प्लाट नं० 2234 और 2525।

के० सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-16

तारीख: 19-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 21 मार्च 1981

निदेश सं० 890/एसी० क्यू० रेंज-III/80-81—यतः, मुझे, आई० वी० एस० जुनेजा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 102 है तथा जो डा० मेघनाद साहा सरनी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) लेक एपार्टमेन्ट कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०।

(अन्तरक)

(2) श्री के० के० बैनर्जी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट 12 तल्ला पर (साउथ ईस्ट फ्लैट) 102, डा० मेघनाद साहा सरनी, कलकत्ता।

आई० वी० एस० जुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, 54, रफी अहमद किदवई रोड, कलकत्ता

तारीख : 21-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 21 मार्च 1981

निदेश सं० 891/ए० सी० क्यू०/रेंज-III/80-81—यत: मुझे, आई० वी० एस० जुनेजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 102 है तथा जो डा० मेघनाद साहा सरनी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) लेक एपार्टमेंट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइयटी लि०।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० जी० कृष्णन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट 11 तल्ला पर, (नार्थ ईस्ट फ्लैट) 102 डा० मेघनाद साहा सरनी, कलकत्ता।

आई० वी० एस० जुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, 54, रफी अहमद किदवई रोड
कलकत्ता-16

तारीख : 21-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 21 मार्च, 1981

निदेश सं० 892/अर्जन-रेंज-III/80-81—यतः मुझे, आई० वी० एस० जुनेजा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 102 है तथा जो डा० मेघनाद सादा सरणी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-7-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) लक एपार्टमेंट कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि०।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति मधुश्रबा दास गुप्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन जो तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट 10 तल्ला पर, (मिडिल वैस्ट फ्लैट), 102, डा० मेघनाद सादा सरनी, कलकत्ता।

आई० वी० एस० जुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 21-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 मार्च, 1981

निदेश सं ए० सी०-84/रेंज-II/कलकत्ता/80-81—यतः मुझे के० सिन्हा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 2 के है तथा जो अलीपोर एवेन्यू पी० एस० अलीपोर, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-7-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री ओम प्रकाश मुल

(अन्तरक)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

क्षेत्रफल 8 कनाल, 14 छटाक 20 वर्ग फुट ।

के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

तारीख : 27-3-1980
मोहर :

प्रारूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलोर, दिनांक 11 मार्च, 1981

निर्देश सं॰ सी॰ आर॰-62/27801/80-81/अर्जन-बी—यतः मुझे आर॰ तोतात्री

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ आर॰ एस॰ सं॰ 1053/1 और टी॰ एस॰ सं॰ 435/3 तथा अब 435/1है, तथा जो अत्तावर गांव, मंगलूर टाऊन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री बोनावेन्चर डिसोजा जेरोम डिसोजा के पुत्र "मंगला' 12, I फ्लोर विल्सन गार्डन, लक्कसन्द्र, बेंगलूर-30।

(अन्तरक)

श्री एम॰ मोहम्मद हुसेन, एम॰ इस्माइल के पुत्र, "कल्पना" बालभट, मंगलूर-2।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरक।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

[दस्तावेज सं॰ 484/80-81 तारीख 18-7-80]।

संपत्ति है जिसका आर॰ एस॰ सं॰ 1053/1 और टी॰ एस॰ सं॰ 435/3 तथा अब 435/1, अत्तावर गांव में मंगलूर टाऊन इसमें शामिल है एक घर जिसका सं॰ है—पुराना सं॰ 16—180। चकबन्दी है :—

उत्तर में—सर्वे सं॰ 434
दक्षिण में—लेन।
पूरब में—सर्वे सं॰ 436
पश्चिम में—435/1

आर॰ तोतात्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर।

तारीख : 11-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 20 मार्च, 1981

निर्देश सं० सी० आर०-62/27552/80-81/ए० सी० क्यू०/बी०—यतः मुझे आर० थोथात्री आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2/1 है, तथा जो केनसिंगटन रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती एस० अन्डाल, श्री वी० अरुनाचल मूदलियार के पुत्री, सं० 6, ब्रुन्टन रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर।

(अन्तरक)

(2) कुमार डी० नवीन, मैनर बै० गार्डियन, इसके मां श्रीमती डी० राधिका, सं० 43/28, प्रोमिनेड रोड, बंगलूर-560042।

(अन्तरिती)

(3) मैं० सैमेन्स इंडिया लिमिटेड।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज 1163/80-81 तारीख 4-7-1980)

संपत्ति सं० 2/1 का भाग, इसमें ग्राउन्ड और फस्ट फ्लोर, मेजरिंग 566.00 स्क्वेयर मीटर्स सैट एरिया तथा जो केनसिंगटन रोड, सिविल स्टेशन, डिवीजन सं० 53, बंगलूर में स्थित है।

चकबन्दी है :—

पूरब में—केनसिंगटन रोड

पश्चिम में—सम्पत्ति सं० 2/1 का शेष भाग

उत्तर में—प्राइवेट सम्पत्ति।

दक्षिण में—प्राइवेट सम्पत्ति।

आर० थोथात्री
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर।

तारीख : 20-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 11 मार्च, 1981

निदेश सं० III-468/अर्जन/80-81—अतः मुझे हृदय नारायण निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी नम्बर 5601 खाता नम्बर 726 खेसरा नम्बर 984 है, तथा जो मैनपुरा पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) 1. श्री कुलदीप राय पिता राम खेलावन राय खुद वो बली दीना नाथ राय
2. श्री गोपाल राय पिता राम खेलावन राय खुद वो वली जय राम लाला राय
3. श्री चन्द्र दीप राय पिता राम खेलावन राय खुद वो वली श्री सुनील राय
4. श्री विजय राय पिता गोपाल राय
(5) श्री राम खेलावन राय पिता केवल राउत सभी का निवास स्थान मैनपुरा थाना पाटली पुत्रा पोस्ट जी० पी० ओ० जिला पटना।

(अन्तरिती)

(2) श्रीमती सुशीला सिन्हा जोजे श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ग्राम चैनपुर बघेल पत्रालय महदेई थाना देहरी, जिला वैशाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 4 कट्ठा जो मौजा मैनपुरा थाना पाटलीपुत्र जिला पटना में स्थित है तथा जो पूर्णरूप से वसिका नम्बर 5540 दिनांक 18-7-80 में वर्णित है तथा जिसका पंजीकरण जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी पटना द्वारा किया गया है।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, पटना।

तारीख : 11-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 11 मार्च, 1981

निदेश सं० III/469/अर्जन/80-81—अतः मुझे हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे प्लाट नम्बर 725 वार्ड नम्बर 33, सर्किल नम्बर 244, खाता नम्बर 66 तौजी नम्बर 5453 थाना नम्बर 3 है तथा जो राजपुर हसन, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-7-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अखिलेश्वरी प्रसाद सिंह उर्फ अखिलेश्वर प्रसाद सिंह वल्द स्व० महावीर प्रसाद सिंह साकिन ग्राम लखन चन्द थाना मोकामा जिला पटना वर्तमान ग्राम दनाडा पत्रालय के थाना विक्रम जिला पटना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती किरण रस्तोगी जोजे निहाल चन्द रस्तोगी (वर्तमान), (2) श्री निहाल चन्द रस्तोगी वल्द स्व० बाबू राघो लाल साकिन चौक बाजार बिहार शरीफ थाना बिहार, जिला नालन्दा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 3 कट्ठा 18 धूर जो मौजा राजापुर हसन थाना नम्बर 3 तौजी नम्बर 5453 खाता नम्बर 66 खेसरा सर्वे प्लाट नं० 725 वार्ड नम्बर 33 सर्किल नम्बर 244 में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसिका नम्बर 5721 दिनांक 24-7-80 में वर्णित है तथा जिसका पंजीकरण जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी पटना द्वारा किया गया है।

हृदय नारायण
सक्षम पदाधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 11-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार पटना

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1981

निदेश सं III/473/अर्जन/80-81—अतः मुझे, हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लोट नम्बर 301 एवं 302 का अंश है, तथा जो धनवाद कतरास रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-7-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री विनय कुमार पाठक वल्द श्री मणिशंकर पाठक निवासी "प्रभु कुंज" कतरास रोड, धनबाद पत्रालय एवं थाना धनबाद चौकी, जिला धनबाद।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स "गुड विल प्रोपर्टीज" जिसका कार्यालय कतरास रोड, धनबाद पत्रालय एवं थाना धनबाद चौकी सदर अवर निबन्धन कार्यालय, धनबाद एवं जिला धनबाद है जिस फर्म के इस समय निम्नलिखित पार्टनर्स हैं:—

1. श्रीमती कमलेश जिन्दल जोजे श्री सूरज जिन्दल
2. सरदार खेल सिंह सेठी वल्द सरदार गुरदीत सिंह सेठी
3. लखमीर सिंह सबरवाल वल्द स्व० सरदार जसवन्त सबरवाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5½ कट्ठा घरारी जमीन में पक्का एवं खपड़पोस मकान और अन्य बनावट सहित मौजा धनबाद नवाद कतरास रोड, तथा जो प्लैट नं० 301 एवं 302 के अंश में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसिका नं० 5470 दिनांक 2-7-1980 में वर्णित है एवं जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी धनबाद द्वारा पंजीकृत है।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षक सहायक आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख: 17-3-1981

मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1981

निदेश सं॰ III 475/अर्जन/80-81—अतः मझे, हृदय नारायण आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ 301 और 302 का अंश है, तथा जो धनबाद, कतरास रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-जलाई, 1980 कोपूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पुष्पा गौरी पाठक जौजे मणिशंकर पाठक निवासी 'प्रभुकुंज' कतरास रोड, धनबाद पत्रालय थाना धनबाद, जौकी जिला धनबाद ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स'गुड विल प्रापर्टीज' जिसका कार्यालय कतरास रोड, धनबाद चौकी सदर एवं निबन्ध कार्यालय धनबाद एंव जिला धनबाद है जिस फर्म के निम्नलिखित पार्टनर्स हैं :—

1. श्रीमती कमीलेश जिन्दल जौजे श्री सूरज जिंदल ।
2. सरदार रेवल सिंह सेठी वल्द सरदार गुरदीत सिंह सेठी ।
3. लखमीर सिंह सब्बरवाल वल्द स्व॰ सरदार जसवंत सिंह सब्बरवाल । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

6 कट्ठा धरारी जमीन में पक्का एवं खपड़पोस मकान और अन्य बनावट सहित मौजा धनबाद कतरास रोड तथा तथा जो प्लाट नं॰ 301 एवं 302 के अंश में स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका नंबर 5472 दिनांक 2-7-1980 में वर्णित है एवं जिला अवर निबंधक पदाधिकारी, धनबाद द्वारा पंजीकृत है ।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 17-3-1981
मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 17 मार्च 1981

निदेश सं० III 476/अर्जन/80-81—अतः मुझे, हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 282 खाता नम्बर 103 मौजा नंबर 51 है, तथा जो मिट्टू रोड, धनबाद में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मोहन लाल देव जी छावड़ा वल्द देवजी गोप भाई छावड़ा निवासी मिट्टू रोड, धनबाद थाना धनबाद जिला धनबाद, वर्तमान निवासी 61/29 शिवगिरि बाग, वाराणसी जिला वाराणसी।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दामयन्ती भाई लीलाधर चौहान जौजे लीलाधर हिरजी चौहान निवासी मिट्टू रोड, धनबाद वर्तमान निवासी द्वारा मार्फत एल० एच० चौहान डिप्टी चीफ माइनिंग एडवाइजर, रेलवे ,बोर्ड, वेकार बांध कालोनी, धनबाद ।

(अन्तरिती)

(3) 1. श्री एस० एन० पोदार, मिट्टू रोड , धनबाद।
2. श्री हरिहर साव, मिट्टू रोड, धनबाद ।
3. श्री जगजीवन व्यास, मिट्टू रोड, धनबाद।
4. श्री अमर सिंह, मिट्टू रोड धनबाद ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 2 कट्ठा 8 छटाक दो मंजिला मकान सहित जो मौजा मिट्टू रोड, धनबाद में स्थित है तथा पूर्ण रूप से वसिका नं० 6037 दिनांक 27-7-80 में वर्णित है तथा जिसका निबंधन जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी, धनबाद द्वारा की गई है ।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पटना

तारीख : 17-3-1981
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1981

निदेश सं० III 477/अर्जन/80-81—अतः मुझे, हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 508 होल्डिंग नं० 81 है तथा जो ग्राम शारले थाना व जिला हजारी बाग मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हजारी बाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 26) के अधीन, तारीख 1 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री इरिक मोरशिफ और मेरीस ट्रेरेशा मोरीस पुत्र एवं पत्नी स्व० एम० मोरीस साकिन हजारी बाग, जिला हजारी बाग।

(अन्तरक)

(2) श्री रेभरेन्ट फादर जॉर्ज मिकटर शीपिन वल्द स्व० अल्फ्रेड जौसेफ दी बिशप आफ डालटेन गंज, कैथोलिक डायोसीस डालटेन गंज।

(अन्तरिती)

(3) 1. इट्रिक मोरिस
2. लड़की छात्रावास सिस्टर चन्द्रदीपा
(के निगरानी में।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 5.66 एकड़ टाइल्स बंगलो सहित जो "सायनवर लॉज" से जाना है तथा ग्राम शारले जिला हजारी बाग स्थित है तथा जो पूर्ण रूप से वसिका नम्बर 8302 दिनांक 1-7-80 में वर्णित है तथा जिसका निबन्धन जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी हजारीबाग द्वारा की गई है।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 17-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 23 मार्च 1981

निदेश सं० III-478/अर्जन/80-81—अतः मुझे, हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० खाता संख्या 8, खेसरा सं० 64 नया, मकान सं० 5 नया, तोजी सं० 11086, वार्ड सं० 10 पुराना और 28 नया है तथा जो महल्ला मुहम्मदपुर काजी, मुजफ्फरपुर शहर, जिला मुजफ्फरपुर में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिअधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख है 29-7-80 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती आभा राय चौधरी, पति श्री सुधीर चन्द्र राय चौधरी, 2. श्री सुधीर चन्द्र राय चौधरी, पिता स्वर्गीय प्रमोदचन्द्र राय चौधरी, अमला टोली, कठिहार शहर, जिला पूर्णिया, हाल मोकाम मुहल्ला मुहम्मदपुर काजी शहर एवं जिला मुजफ्फरपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री राम अयोध्या पाठक पिता श्री राम अंज पाठक मौजा धरफरी, थाना एवं जिला मुजफ्फरपुर, हाल मोकाम मुहल्ला मंडीपुर, शहर एवं जिला मुजफ्फरपुर।

(अन्तरिती)

(3) अंतरिती जिसका विवरण ऊपर दिया हुआ है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा 16 धूर 6 कनवा जिसमें पक्का मकान बना है तथा जो मुहम्मदपुर काजी मुहल्ला शहर एवं जिला मुजफ्फरपुर में स्थित है एवं जिसका तोजी सं० 11086 थाना सं० 344 वार्ड सं० 10 पुराना और 28 नया है और जिसका पूर्ण विवरण वसिका सं० 10352 दिनांक 29-7-80 को जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर के यहां निबंधित हुआ है, में दिया हुआ है।

हृदय नारायण
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त,
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 23-3-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 23 मार्च, 1981

निदेश सं० -479/अर्जन/80-81—अतः मुझे हृदय नारायण

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० खेवात सं० 1 सर्वे खतियान सं० 285 प्लाट सं० 1306 वार्ड सं० 1 पुराना, मकान सं० 261 और 6/365 नया है, तथा जो कचहरी मुहल्ला नया बाजार जुगसलाई थाना एवं शहर जमशेदपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-7-1980 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी पिता स्वर्गीय राम सेवक चौबे, रांची रोड, जिला सिंघभूम।

(अन्तरक)

(2) श्री चन्द कसेरा पिता स्वर्गीय मथुरा प्रसाद कसेरा, 2. गुलाब चन्द कसेरा निवासी स्टे रोड, जुगसलाई, शहर जमशेदपुर, जिला सिंघभूम

(अंतरिती)

(3) एस० जी० मेटर इन्डस्ट्रीज, जुगसलाई, स्टेशन रोड, जमशेदपुर।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लीज होल्ड जमीन रकबा 312 डीसमील या 18 कट्ठा 17-1/2 धूर जो कचहरी मुहल्ला नया बाजार, जुगसलाई थाना एवं शहर जमशेदपुर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण विवरण वसीका सं० 3977 दिनांक 4-7-80 में दिया हुआ है जो जिला अवर निबंधक, कलकत्ता में निबंधित हुआ है।

हृदय नारायण

सक्षम प्राधिकयरी

निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त,

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 23-3-1981

मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1879—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो विद्या नगर, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1980 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कृपा शंकर पिता श्री किशन यादव 64/3 राम गंज, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमला रानी पति श्री बंसी लाल म० नं० 97, विद्या नगर, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 97 जो कि प्लाट नं० 97 पर विद्यानगर इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 16-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1880—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो खाती वाला टेन्क इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 22-7-1980 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री रतन कुमार सब्बर, पिता श्री ऊजोमल सब्बर, म० नं० 522, खाती वाला टेंक, इंदौर।

(अन्तरक)

(2) श्री 1. गोपी चन्द
2. श्री स्वरूप चंद
3. श्री हुकम चन्द
सभी पिता चांदी राम, मं० नं० 522, स्कीम नं० 44, डिवलेपमेंट प्लान खाती वाला टेंक, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नम्बर 522 जो कि खाती वाला टेन्क इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 16-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1881—अतः मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो शांती नगर, जैन कालोनी, इन्दौर में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-7-1980 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री सौभाग्य चन्द पिता श्री रतन लाल जी, शांती नगर, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री इन्द्र चन्द, पिता श्री सोम चन्द,
2. श्रीमती लेरी बाई पति श्री सोमचन्द मकान नं० 4, छिपा मारवल, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 4, छिपा मारवल, शांती नगर जैन कालोनी, इन्दौर/

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 16-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1882—अतः मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो साडा कोरबा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-7-1980 को
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

5—36 GI/81

(1) श्री अमृत लाल चावड़ा, पिता श्री खेमजी चावड़ा साकिन टिकवा, पारा, बिलासपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री लाला गनेश दास पिता श्री गुरदित्ता मल पंजाबी ऋषि कुटीर, सिविल लाइन, बिलास पुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो कि साडा कोरबा में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 16-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए०सी० /अर्जन/भोपाल/80-81/1883—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो लार्ड गंज, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1 अगस्त, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सतोष कुमार पिता श्री घासी राम समैया।
2. श्रीमती कपूरी पति श्री घासी राम।
3. पुष्पा देवी पति श्री वीरेन्द्र कुमार समैया।
4. किरण देवी पति अरविंद कुमार सभी 528 शुक्रवारी बजरिया हनुमान वाले, जबलपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री पवन कुमार पिता श्री बजरंग लाल रूईया 833, लार्ड गंज, जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 833 का भाग प्लाट नं० 144, जो कि लार्ड गंज, जबलपुर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 16-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1885—अतः मुझे, विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो रघुनाथ गंज, मुड़वारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का का 16) के अधीन, तारीख 29 जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० त्रिलोक चन्द शिवबक्स राय द्वारा पार्टनर सनमत कुमार पिता श्री दुर्गा प्रसाद तहसील मुड़वारा, जिला जबलपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रमोद कुमार सुहाने पिता श्री शम्भू लाल सुहाने निवासी शिवाजी वार्ड, मुड़वारा, जिला जबलपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 587 एवं 588 का भाग जो कि सराफा रोड, रघुनाथ गंज मुड़वारा में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 16-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1886 —अत: मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो खैरी पारासर, ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डबरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री भगवान लाल पिता श्री रघुनाथ ।
2. श्री महेश कुमार पिता पन्नालाल खरी पारासर डबरा, ग्वालियर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती धर्म कौर पति चरण सिंह ।
2. कर्म कौर पति सूरत सिंह ।
3. जुगन्दर कौर पति सूरत सिंह ।
4. प्रेम कौर पति गिरधारी सिंह ।
5. मिलकित कौर पति गुरबचन सिंह ग्राम खरी पारासर, डबरा, , ग्वालियर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि क्रमांक 404 रकबा 6/371 हेक्टेयर जो कि ग्राम खैरा पारासर, डबरा, ग्वालियर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 19-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 1981

निदेश सं० आई० एसी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1887 —अतः मुझे, विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो खैरी पारासर डबरा, ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डबरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 25 जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीहृ भगवान लाल पिता रघुनाथ महेश कुमार पिता पन्ना लाल ।
3. हुरस्वरूप पिता राधा कृष्ण खैरी पारासर, डबरा, ग्वालियर ।

(अन्तरक)

(2) श्री चरण सिंह पिता मगर सिंह ।
2. सूरत सिंह पिता मेहर सिंह ।
3. गिरधारा सिंह व गुरबचन सिंह खैरी पारासर डबरा, ग्वालियर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि क्रमांक 408/9/935 जो कि ग्राम खैरी पारासर डबरा, ग्वालियर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 19-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 1981

निदेश सं० आई० एसी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1888—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो छोला रोड, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, छोला रोड, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाला राम पिता श्री देवी राम जी कक्षवाय छोला रोड, सरदार पटेल, स्कूल मार्ग, भोपाल।

(अन्तरक)

(2) श्री आत्म प्रकाश शर्मा ।
2. अवधेश कुमार शर्मा ।
3. अवध किशोर सभी पिता दीन जी शर्मा, छोला रोड, भोपाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दो मंजिला मकान जो कि छोला रोड, भोपाल में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 19-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 1981

निदेश सं० आई० एसी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1889—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो जहांगीरा बाद भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री धर्मवीर सूद पिता श्री टेलूमल ई-3/344, अरेरा कालोनी, भोपाल।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कुमेरी दीनी स्कूल व मस्जिद वगैरा द्वारा सदर बाबू रेवां, नीम वाली सड़क, जहांगीराबाद भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 6 जो कि जहांगीराबाद जिंसी चौराहा भोपाल में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 19-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० एसी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1890 —अतः मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो गुजराती बाजार, सागर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय, सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25 जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विठ्ठल भाई पिता श्री मथुरा दास पटेल।
2. श्री मथुरा दास पिता श्री माधव दास पटेल दोनों निवासी गुजराती बाजार, सागर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरस्वती बाई पति स्वर्गीय श्री राजाराम जैन कटरा बाजार सागर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान का भाग जो कि गुजराती बाजार, सागर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई०/एसी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1891—अतः मुझ, विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो गुजराती बाजार, सागर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कन्हैया लाल पिता श्री मथुरा दास पटेल, गुजराती बाजार, सागर ।

(अन्तरक)

(2) श्री जयकुमार पिता श्री राजा राम जैन, कटरा बाजार, सागर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान का भाग जो कि गुजराती बाजार, सागर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1892—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो गुजराती बाजार सागर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री विट्ठलभाई पिता श्री मथुरादास,
2. श्री मथुरा दास पिता श्री माधवदास
दोनों निवासी गुजराती बाजार, सागर।

(अन्तरक)

(2) श्री संतोष कुमार पिता श्री राजाराम जैन कटरा बाजार, सागर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान का भाग जो कि गुजराती बाजार सागर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)/भोपाल/80-81/1893—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि, गोदाम व मकान है, तथा जो खरसिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री राजेन्द्र कुमार जजोडिया, गुरुमुखराय मार्ग, बिलासपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि रकबा 2.06 एकड़ एवं उस पर बने गोदाम व आफिस बिल्डिंग, ख० नं० 526/1के, 526/2के, 526/3के, जो स्टेशन रोड, खरसिया में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)/भोपाल/80-81/1894—अतः मुझे, विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि व गोदाम है, तथा जो खरसिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-7-1980 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री राकेश कुमार जजोडिया, गुरुमुखराय मार्ग, बिलासपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि रकबा 1.74 एकड़ व उस पर बने गोदाम जो स्टेशन रोड, खरसिया में स्थित है। ख० नं० 526/1 के, 526/2 के०, 526/3 के०।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1895—अतः मुझे, विजय माथुर,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट और मकान है, तथा जो कैलाश नगर, राजनांदगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजनांदगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-7-1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सूरज मल पिता श्री मुसद्दी लाल अग्रवाल, रामाधीन मार्ग, राजनांदगांव।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बेअंत कौर पत्नि सरदार सुरजीत सिंह भाटिया, कैलाश नगर, राजनांदगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट और उस पर बना हुआ मकान जो कि कैलाश नगर मोटर स्टेंड राजनांदगांव में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1896—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो जवाहर नगर, रायपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-7-80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री एस० एम० एच० रिजवी, एडवोकेट रायपुर (अन्तरक)

(2) 1. श्री हसन
2. श्री हुसैन
3. श्री नादिर
4. श्री हैदर
सभी पिता हाजी मोहम्मद द्वारा धारीवाल एंड कम्पनी, एम० जी० रोड, रायपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 15/616 जो कि एम० जी० रोड, जवाहर नगर, रायपुर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1897—अतः, मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो गुलझरा, जिला धार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धरमपुरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शोभा राम पिता श्री नत्थू राम
2. श्री हरी चन्द पिता श्री नत्थू गुलझरा, जिला धार।

(अन्तरक)

(2) श्री सतनाम सिंह, पिता श्री चन्दू लाल छाबरा, धामनाद, धार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षर के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 92, जो कि ग्राम गुलझरा, धार में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1898—अतः मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट एवं मकान है, तथा जो प्रेम नगर जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. पं० शंकर लाल मिश्रा,
2. पंडित राम नारायण मिश्रा
दोनों पिता श्री शीतल प्रसाद जी मिश्रा
मदन महल वार्ड, जबलपुर।

(अन्तरक)

(2) पंडित राम बदन त्रिपाठी पिता स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद त्रिपाठी, 1275 प्रेम नगर, मदन महल, जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट एवं मकान नं० 1275 जो कि प्रेम नगर, जबलपुर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1899—अत: मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो केन्टूमेंट सागर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

7—36GI/81

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह पिता श्री सूरत सिंह सोढी, केन्टूमेंट सागर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बृजरानी पति श्री शालिग राम बेरी, केन्टूमेंट, सागर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं० 4 का भाग जो कि केन्टूमेंट सागर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1900—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बंगला का भाग है, तथा जो केन्टूमट, सागर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहिन्दर सिंह पिता श्री सूरत सिंह सोढ़ी, केन्टूमट सागर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बृजरानी पति श्री शालिगराम बेरी, केन्टूमेंट, सागर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं० 4 का भाग जो कि केन्टूमेंट सागर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 24-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 1981

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/अर्जन/भोपाल/80-81/ अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ दुकान है, तथा जो हमीदिया रोड, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. लो1 5705)
2. मजीर हुसैन
3. अब्दुल हुसैन
4. मो॰ इकबाल
5. जहीद हुसैन
सभी भागीदार मै॰ हुसैनी ट्रेडिंग कम्पनी, भोपाल।

(अन्तरक)

(2) 1. हाजी सज्जाद हुसैन
2. शब्बर हुसैन सैफी
3. हबीब उद्दीन
4. आबिद हुसैन
5. फजल हुसैन
सभी पिता हाजी मुख्तार हुसैन, बेलघाटपुरा, भोपाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं॰ 3, 4 एवं 5 जो कि अल्पना टाकीज के नजदीक हमीदिया रोड, भोपाल में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 19-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1902—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान है, तथा जो हमीदिया रोड, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :–

(1) 1. श्री नावेद अली
2. मजीर हुसैन
3. अब्दुल हुसैन
4. मो० इकबाल,
5. जहीद हुसैन
सभी भागीदार मै० हुसैनी ट्रेडिंग कम्पनी, भोपाल।
(अन्तरक)

(2) 1. हाजी सज्जाद हुसैन,
2. शब्बर हुसैन पुत्रगण हाजी मुख्तार हुसैन बेलघाटपुरा, भोपाल।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 1 एवं 2 जो कि अल्पना टाकीज के पास हमीदिया रोड, भोपाल में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 19-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/ 80-81/ 1903—अत: मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो खरगोन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खरगोन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नवनीत लाल पिता श्री नटवर लाल महाजन निवासी खरगोन।

(अन्तरक)

(2) श्री रामकृष्ण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खरगोन द्वारा अध्यक्ष श्री टीकमदास, खरगोन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 191/2, 157/2 जो कि कस्बा खरगोन जिला खरगोन में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1904—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो खरगोन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खरगोन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-7-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती श्यामा बाई पति श्री नटवरलाल महाजन निवासी खरगोन।

(अन्तरक)

(2) श्री रामकृष्ण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खरगोन द्वारा अध्यक्ष श्री टीकम दास, खरगोन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 191/4, 157/4 जो कि खरगोन में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1905—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो खरगोन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खरगोन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 22-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) 1. श्री रतन सिंह पिता लाल सिंह
2. श्री पारस कुमार पिता माणक लाल
3. श्री वृन्दावन पिता रणछोड़ दास,
4. श्री रामकृष्ण पिता किशन लाल वर्मा
निवासी खरगोन।

(अन्तरक)

(2) श्री रामकृष्ण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति खरगोन द्वारा अध्यक्ष श्री टीकम दास पिता बालकृष्ण, खरगोन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 191/3, 157/3 जो कि कस्बा खरगोन जिला खरगोन में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 24-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश नं० आई०ए०सी०/अर्जन/भोपाल-80-81/1906—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो तलवली चौरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री रमेश चन्द्र पिता बसंती लाल जी,
2. श्री हेमन्त कुमार
3. श्री अशोक कुमार
4. श्री प्रदीप कुमार
तीनों के पिता रमेश चन्द्र जी,
146, रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री इथिक फर्मा लेबोरेट्रीज और इन्जीनियर्स प्रा० लि०, 9 मानकि बाग रोड, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि सव नं० 186, एवं 187 जो ग्राम तलावली चांदा इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1907—अत: मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो तलावलीचांदा इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17 जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमेश चन्द्र पिता बसंती लाल जी
2. हेमन्त कुमार
3. अशोक कुमार
4. प्रदीप कुमार
तीनों पिता रमेश चन्द्र जी 146, रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री परफेक्ट फर्मासिस्ट प्रा० लिमिटेड, 9 मानिक बाग रोड, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि सर्वे नं० 186 और 187 जो कि ग्राम तलावली चांदा इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररुप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1908—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या भूमि है, तथा जो ऐमागिद, बुरहानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-7-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुमेर सिंह,
2. भाई चन्द्रपाल सिंह
दोनों पिता नारायण सिंह क्षत्रिय. राजपूत सिंदीपुरा, बुरहानपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री अंसार को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि नं० 262, खसरा नं० 280 जो कि ग्राम ऐमागिद बुरहानपुर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1909—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो ग्राम निसरपुर खेतिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानसेमल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-7-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) श्री अशोक पिता गोविन्द भाई महाजन खेतिया, जिला खरगोन।

(अन्तरक)

(2) सुदामा पिता श्री बाबू गूजर पटेल खेतिया जिला खरगोन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 32/1 जो कि ग्राम निसरपुर खेतिया जिला खरगोन में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 24-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1910—अतः मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो तलावली चांदा, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-7-1080 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (11) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रहलाद पिता श्री हीरालाल गोयल, 49, जानकी नगर, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) मै० इन्दौर अरोमेटिक प्रोडक्ट, 62, विष्णुपुरी, कालोनी, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 117, 118, और 119 जो कि ग्राम तलावली चांदा, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 24-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1911—अतः मुझे, विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो तलावली चांदा, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 10-7-1980
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कैलाश चन्द्र पिता श्री हीरा लाल गोयल, 49 जानकी नगर, इन्दौर।
(अन्तरक)

(2) इंडियन आर्गेनिक एंड फर्मास्युटिकल्स प्रा० लि०, 21/2, साउथ तुकोगंज, बाम्बे आगरा रोड, इन्दौर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 116 एवं 123 जो कि ग्राम तलावली चांदा, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1912—अतः मुझे, विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो तलावली चांदा, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-7-1980
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कुसुमलता पति श्री पन्नालाल गोयल, 50, जानकीनगर, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) इंडियन आर्गेनिक एंड फर्मास्यूटिकल्स प्रा० लिमिटेड, 21/2 साउथ तुकोगंज, बाम्बे-आगरा रोड, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 115, जो कि ग्राम तलावली चांदा, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1913—अतः मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो यशवन्त निवास रोड, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री शरद पिता श्री सोपानदेव खर्चे पदम पुरा हाउस, अजमेर रोड, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) रानीसती जी सेवा केन्द्र, 5 यशवंत निवास रोड, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० $\frac{5}{2}$ और $\frac{5}{22}$ जो कि यशवंत निवास रोड, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 24-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1914—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो खालीवाला टेंक स्कीम, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कन्हैयालाल पिता श्री नारायण दास बी० के० सिन्धी कालोनी, इन्दौर। (अन्तरक)

(2) श्री पहलाजराय पिता श्री खान चंद म० नं० 34, बैराठी कालोनी, नं० 2, इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 847 जो कि खालीवाला टेंक स्कीम नं० 44 के अन्दर इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 24-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1915—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो साउथ तुकोगंज, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

9—36GI-81

(1) 1. श्री मुवा लाल पिता श्री सेवू राम
2. नाथू लाल,
3. ओम प्रकाश,
4. विरेन्द्र कुमार,
5. हेमन्त कुमार शर्मा,
7/2 साउथ तुकोगंज, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री रमेन्द्रमोहन जोशी पिता मुकुन्दराम जी जोशी 7/2 साउथ तुकोगंज, इन्दौर।

(अन्तरिती)

(3) श्री राम चन्द्र गुप्ता, 2. श्री मदन लाल अग्रवाल 7/2 साउथ तुकोगंज, इन्दौर।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 7/2 जो कि साउथ तुकोगंज, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1916—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट है, तथा जो राजनांदगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजनांदगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री मांगीलाल टटिया, निवासी गंजलाइन, राजनांदगांव (अन्तरक)

(2) 1. श्री धनराज पिता बिलेदराय
2. अशोक कुमार,
3. किशोर कुमार
4. महेश कुमार तीनों, पिता धनराज, गली नं० 6, सिन्धी कालोनी, लालबाग, राजनांदगांव। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जो कि कृष्णा टाकीज के सामने राजनांदगांव में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोरह :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-80/81/1917—अतः, मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :--

(1) श्री एम० वी० पिल्लई पिता श्री आर० एम० पिल्लई, 91/64, तुलसी नगर, 1250 क्वार्टर्स, भोपाल ।

(अन्तरक)

(2) श्री गंटी कामेश्वर सूर्य नारायण शर्मा पिता श्री जी० वाई० सौमाया जूलू, 18-ए, सेक्टर ई-6, अरेरा कालोनी, भोपाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० ई-6, 18-ए, जो कि अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-80-81/1918—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो शक्कर कालोनी, लश्कर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्याम लाल ।
2. श्री लखमी चन्द दोनों, पिता टेक चन्द जी ।
3. पीताम्बर दास ।
4. किशन चन्द दोनों, पिता टेक चन्द जी ।
मु० श्याम द्वारा श्याम लाल टेक चन्द क्लाथ स्टोर्स, कालका देवी, बम्बई ।

(अन्तरक)

(2) श्री बनवारी लाल भाटिया पिता तारा चन्द जी शक्कर कालोनी, लश्कर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 19 जो कि शक्कर कालोनी, फिल्मीस्तान थिएटर के पीछे लश्कर में स्थित है ।.

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-80-81/1919—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो छोटी ग्वाल टोली, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री तुलसी राम पिता मांगी लाल जी शर्मा, 11 सुमन निवास, नौलखा रोड, इन्दौर। (अन्तरक)

(2) श्री मोहन प्रकाश पिता मांगी लाल जी खंडेलवाल, 12, पेडर रोड, फ्लैट नं० 6, बम्बई। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जमीन नं० 3 गली नं० 1 जो कि छोटी ग्वाल टोली, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-80-81/1920—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो चांदनी चौक, रतलाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14 जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोइज पिता हाजी सरफ अली जी मलेशिया वाला मुख्तार खास श्री सरफ अली पिता इस्माइल जी बोहरा सैफी मोहल्ला, रतलाम ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अतिका बाई पति श्री अकबर अली बोहरा, ताहिरपुरा, रतलाम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट जो कि चांदनी चौक ताहिरपुरा, रतलाम में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो रहमान पुरा, बुरहान पुर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) 1. श्री आशा राम ।
2. श्री पापा राम पिता पेटू पटेल ग्राम सिंध खेड़ा, बुरहान पुर ।

(अन्तरक)

(2) 1 श्री शेखलाल ।
2. भाई गुलाम अली पिता उमर खां ।
3. दौलत खां पिता उमर खां दुधिया, बुरहान-पुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि नं० 170 जो कि ग्राम रहेमान, पुरा, बुरहानपुर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० एस०/अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग खाती वालाटैंक, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तिलोक चन्द पिता सोना राम जी।
2. श्रीमती चन्द्रकांता जैन पति मनोहर सिंह जी जैन 157, खाती वाला टैंक, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहन लाल पिता जीवन दास 30, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 157 का भाग जो कि खाती वाला टैंक, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निदेश सं॰ आई॰ सी॰/अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं॰ भूमि है, तथा जो अमोना, देवास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23 जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाश चन्द्र पिता लाल चन्द जी मदन 14, वेयर हाउस रोड, इन्दौर ।

(अन्तरक)

(2) मे॰ बड़जात्या ब्रदर्स, 361, जवाहर मार्ग, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि खसरा नं॰ 274/1 जो कि ग्राम अमोना देवास में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो अमोना, देवास में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 23 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री प्रकाश चन्द्र पिता लाल चन्द जी मदन, 14 बेयर हाउस रोड, इन्दौर ।

(अन्तरक)

(2) श्री कल्याण मल पिता स्वर्गीय मिश्री लाल बड़जात्या 146, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 274/1 जो कि ग्राम अमोना, देवास में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो एम० जी० रोड, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) मै० सालग राम नटवर लाल नीमा एण्ड कम्पनी 435 एम० जी० रोड, इन्दौर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राजमल जैन पति श्री कामदेव जैन 31, नलिया बाखल, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान 'शिव विलास पेलेस' नं० 435 का भाग जो कि महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 1981

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल—अतः मुझे, विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान का भाग है, तथा जो खाती वाला टैंक, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14 जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री तिलोक चन्द पिता श्री सोना राम जी।
2. श्रीमती चन्द्रकांता जैन पति मनोहर सिंह जैन 157, खातीवाला टैंक, इन्दौर ।

(अन्तरक)

(2) श्री टीकम दास पिता श्री जीवन दास 30, नार्थ राजा मोहल्ला, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 157 का भाग जो कि खातीवाला टैंक इन्दौर में स्थित है

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1884—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो लार्डगंज जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1-8-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री संतोष कुमार पिता श्री घासी राम
2. श्रीमती कपूरी देवी
3. श्रीमती पुष्पा देवी
4. श्रीमती किरण देवी पति अरविंद कुमार शुक्रवारी बजरिया, हनुमानताल, जबलपुर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती चंदा बाई पति श्री ज्ञान चंद
2. रवीन्द्र उर्फ राजीव राहुल, जवाहरगंज, जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 833 का भाग, प्लाट नं० 144, लार्डगंज, जबलपुर।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 16-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च 1981

निदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/887—अत:, मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या प्लाट नं० 7 है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र चुन्नी लाल कछारा, निवासी चारभुजा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दाखू बाई पत्नी बाबूलाल जैन, निवासी उदयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 8 वाके उदयपुर देवाली फतेहपुरा, उदयपुर में स्थित है और उप पंजीयक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2426 दिनांक 15-7-1980 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/886—यत:, मझे एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 8 है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1980 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री रमेशचन्द पुत्र चुन्नीलाल जी कछारा, निवासी चारभुजा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शीला पत्नी मांगीलाल जी जैन, निवासी उदयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 8 वाके उदयपुर देवाली फतेहपुरा में स्थित है प्लाट का एरिया 3240 वर्गफुट है और उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2427 दिनांक 15-7-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख: 23-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/896—अतः, मुझे एम० एल० चौहान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या मकान नं० 191 है तथा जो कोटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-7-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सर्वश्री गम्बामल, साधूराम, मेबल दास पुत्र पहूमल सिंधी निवासी सिन्धी कालोनी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री मथुरा लाल पुत्र भंवरलाल महाजन प्रोपराईटर फर्म शिवनारायण पूनम चन्द भवानी मंडी, कोटा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 191, सिंधी कालोनी, वल्लभनगर, गुमानपुरा, कोटा जो उप पंजियक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 1405 दिनांक 26-7-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 23-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/888—अतः मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 13 है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री सत्तारखां पुत्र गफूरखां जी पठान निवासी उदयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री बाबूलाल पुत्र कस्तूरचंद जी जैन, निवासी भीण्डर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 13, हिरणमगरी से० नं० 11, उदयपुर जो उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2464 दिनांक 16-7-1980 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 23-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1981

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/895—अतः मुझे एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 773 है तथा जो कोटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं श्रीमती उषारानी धर्मपत्नी श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी 773, दादाबाड़ी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र सक्सेना, सहायक अभियन्ता, राज० रा० विद्युत मण्डल, झालावाड़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 773, दादाबाड़ी, कोटा जो उप पंजियक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 1318 दिनांक 25-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 25-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/894—यत: मुझे एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या फैक्ट्री है तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स पावर प्लान्ट सैल्स एण्ड सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा श्री एस० एम० लोढ़ा, गांगूली बिल्डिंग, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विजया कुमारी पत्नी श्री अरविन्द कुमार सी-172, बजाज नगर, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 41 ए०/बी०/सी०/डी०, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर पर स्थित फैक्टरी बिल्डिंग जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1523 दिनांक 7-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 25-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/893—यतः मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० सी 16 है तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० एल० अजमेरा, प्लाट नं० सी-16, राजापार्क, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री बलदेव सिंह, प्लाट नं० 460, राजापार्क, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला आवासीय मकान, प्लाट नं० सी-16, राजापार्क, जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1507 दिनांक 5-7-1980 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/884—यतः मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री रमेश चन्द पिता चुन्नीलाल जी कछारा निवासी चारभुजा।

(अन्तरक)

(2) श्री कमलेश कुमार पुत्र पुरुषोत्तम लाल जी महेश्वरी, निवासी धानमंडी, उदयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट वाके उदयपुर फतेहपुरा में है जिसका ऐरिया 2045 वर्गफुट है और उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2578 दिनांक 24-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा, 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/885—अतः मुझे एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रमेश चन्द पुत्र चुन्नी लाल जी कछारा निवासी चारभुजा।

(अन्तरक)

(2) श्री गोविन्द सिंह पुत्र दयालाल जी भटड निवासी उदयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट वाके फतेहपुरा उदयपुर में है जिसका ऐरिया 2070 वर्गफुट है और उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2579 दिनांक 24-7-1980 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/891—अतः मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जीवण लाल पुत्र लाहरी लाल कछारा निवासी चारभुजा।

(अन्तरक)

(2) श्री गोपालराम पुत्र सोहन राम लोढ़ा, निवासी उदयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2520 वर्गफुट का खुला प्लाट बाके फतेहपुरा उदयपुर में जो उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2576 दिनांक 24-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 25-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/892—अत: मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जीवण लाल पिता लहरी लाल जी कछारा, निवासी चारभुजा।

(अन्तरक)

(2) श्री रामचन्द्र पिता श्यामलाल जी भूतड़ा, निवासी बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 10 वाके उदयपुर फतेहपुरा में है प्लाट का ऐरिया 2583 जो उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2577 दिनांक 24-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 25-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/889—अतः मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो उदयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री भंवरलाल जी सोनी, निवासी नाथद्वारा

(अन्तरक)

(2) श्री रमेशकुमार पिता सखावत रायजी वीरवानी, निवासी उदयपुर।

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट वाके उदयपुर फतेहपुरा में है जिसका ऐरिया 3240 वर्गफुट है और उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2581 दिनांक 24-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 23 मार्च, 1981

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/890—अत: मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो उदयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री लक्ष्मी लाल पिता भंवर लाल जी सोनी, निवासी नाथद्वारा।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहनलाल पिता बन्सीलाल जी देवपुरा निवासी उदयपुर, कानोड की हवेली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट वाके उदयपुर फतेहपुरा में जिसका ऐरिया 2045 वर्गफीट जो उप पंजियक, उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 2580 दिनांक 24-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर।

तारीख : 23-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 मार्च 1981

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/906—अतः, मुझे, एम० एल० चौहान
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो अजमेर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमेर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-7-1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती फूल कंवर एवं अन्य, नया बाजार, अजमेर।

(अन्तरक)

(2) श्री जगराज पुत्र राम दयाल, घी मंडी, नया बाजार, अजमेर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट आफ लैण्ड, क्षेत्रफल 1681 वर्ग मीटर जो पुष्कर रोड, अजमेर पर स्थित है और उप पंजियक, अजमेर द्वारा क्रम संख्या 2502 दिनांक 15-7-1980 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 मार्च 1981

निदेश सं० राज०/सहा०/आ० अर्जन/अतः मुझे, एम० एल० चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
जिसकी सं० 58-बी है तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 3 जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया ऐसे प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सम्पत मल माथुर पुत्र स्व० श्री मोतीमल माथुर नि० जयपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गणेशी बाई पत्नी भगवान दास सिंधी, कोटा ।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० बी 58, बल्लभनगर, कोटा जो उप-पंजियक, कोटा द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1980 की पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 मार्च 1981

निदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन—अतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1981 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सम्पत मल माथुर पुत्र स्व० मोतीलाल माथुर निवासी उदयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री हरीश चन्द्र पुत्र शिरूमल सिंधी निवासी कोटा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

58 बी, बल्लभ नगर, कोटा की मकान सम्पत्ति का भाग जो उप पंजियक द्वारा क्रम संख्या 1133 दिनांक 3-7-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 मार्च 1981

निदेश सं० राज०/ सहा० आ० अर्जन/907—अतः मुझे, एम० एल० चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो अजमेर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अजमेर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28 जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती फूल कंवर एवं अन्य नया बाजार, अजमेर।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री सतीश कुमार, घी मंडी, अजमेर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट आफ लैण्ड, क्षेत्रफल 1455 वर्ग मीटर, पुष्कर रोड, अजमेर जो उप-पंजियक अजमेर द्वारा क्रम संख्या 2808 दिनांक 28-7-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28 मार्च 1981

निदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन—अतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान संपत्ति है तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सम्पत मल माथुर पुत्र स्व० श्री मोतीमल माथुर निवासी कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री भगवन दास पुत्र वृन्द मल सिंधी निवासी कोटा।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 58 बी, बल्लभ नगर, कोटा पर स्थित मकान संपत्ति का भाग जो उप-पंजियक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 1132 दिनांक 3-7-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 28-3-1981
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० डीएच आर०/1/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 41 बीघे 15 बिस्वे है, है, तथा जो गांव गोबिन्द पुरा, तहसील धुरी में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धुरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजिन्दर देवी पुत्री श्रीमती शांति देवी विधवा श्री अमर सिंह निवासी गोबिन्द पुरा, तहसील धुरी ।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री जसदेव सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र श्री बलविन्दर सिंह निवासी गोबिन्द पुरा, तहसील धुरी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 41 बीघे 15 बिस्वे, गांव गोबिन्द पुरा, तहसील धुरी ।

(जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धुरी के कार्यालय के विलेख सं० नं० 2463 जुलाई, 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई०टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० एसएनएम०/4/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 32 कनाल 15 मरले है तथा जो सुनाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुनाम में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भाग सिंह पुत्र श्री शाहजाद सिंह निवासी सुनाम।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स मालवा मार्डन राईस व जनरल मिल्ज, सुनाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 32 कनाल 15 मरले, सुनाम।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुनाम के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1528 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० एमकेएल०/27/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 27 बीघे, 7 बिस्वे है तथा जो गांव बुरज बगेल सिंह तहसील मलेरकोटला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलेरकोटला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री यादविन्दर सिंह पुत्र श्री जागीर सिंह निवासी बुरज बगेल सिंह वाला तहसील मलेरकोटला, जिला संगरूर।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री गुरमेल सिंह, जोगा सिंह पुत्र श्री जगन नाथ निवासी गांव मालर, तहसील मलेरकोटला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 27 बीघे 7 बिस्वे गांव बुरज बगेल सिंह वाला, तहसील मलेरकोटला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलेरकोटला के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2518 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना)

तारीख : 13-3-1981

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० एएमएल०/55/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 5 बीघे 1/2 बिस्वे है तथा जो गांव जमरां तहसील अमलोह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (11) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अजैब सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह निवासी गांव जमरां, तहसील अमलोह।

(अन्तरक)

(2) श्री करनैल सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह
श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री मलकीयत सिंह
श्री निरमल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह
गांव कुकड माजरा तहसील अमलोह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 5 बीघे 1/2 बिस्वे गांव जमरां तहसील अमलोह।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 979 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० एएमएल०/56/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 5 बीघे 1,2 बिस्वे है तथा जो गांव जसरां तहसील अमलोह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह निवासी गांव जसरां तहसील अमलोह।

(अन्तरक)

(2) श्री नचछतर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह
श्री बलविंदर सिंह पुत्र श्री मलकीयत सिंह
श्री राजिंदर सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिंह
निवासी कुकड माजरा, तहसील अमलोह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 5 बीघा 1,2 बिस्वे गांव जसरां तहसील अमलोह।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 980 जुलाई 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० डेरा बसी/22/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 10 बीघा है तथा जो गांव छत तहसील डेरा बसी, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वश्री मोहन सिंह, दरशन सिंह, मनजीत सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी चमकौर साहिब, जिला रोपड़।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स बाबा अजीत सिंह कोल्ड स्टोरज (प्रा०) लिमिटेड, बस स्टैंड जुगीआं, डा० दिआल्पुरा, जिला पटियाला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 10 बीघे गांव छत, तहसील डेरा बसी जिला पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बसी के कार्यालय के विलेख संख्या 728, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० लुधियाना/96/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 52/4 है तथा जो बाग नोहरीया मल जैन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 या 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्रीमती राज रानी पत्नी श्री राधे किशन, निवासी 52/4, बाग नोहरीया मल जैन, लुधियाना।
(अन्तरक)

(2) श्री बलबीर चन्द पुत्र श्री हरी राम, निवासी 76, भारत नगर, लुधियाना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी- XVII -52/4 जो बाग नोहरीया मल जैन में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 1834, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/141/ए/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट क्षेत्रफल 355 वर्ग गज है तथा जो गुरदेव नगर (तरफ कारा बारा) लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती करतार कौर पत्नी श्री तारा सिंह 1809/5, मिलर गंज, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सोहन लाल 27-बी, टैक्सटाईल कालोनी, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 355 वर्ग गज जो तरफ कारा बारा गुरदेव नगर, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 1914, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/147/80-81—अतः मुझे मुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 1333, क्षेत्रफल 1014 वर्ग गज है तथा जो सेक्टर 33-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री जै किरशण जिन्दल पुत्र श्री बाबू राम, निवासी 77 डिफेन्स कालोनी, मेरठ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुभाष कपूर, अशोक कपूर, दीपक कपूर पुत्र श्री के० एल० कपूर, एस० सी० ओ० नं० 75, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1333 (क्षेत्रफल 1014 वर्ग गज) सैक्टर 33 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 898, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

मुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/138/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट क्षेत्रफल 204-7/12 वर्ग गज है तथा जो महल बागत, नजदीक एहसान रोड, सिविल लाईन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

14—36GI/81

(1) श्रीमती स्विती देवी विधवा बाल किशन द्वारा मेजर जनरल मनमोहन नाथ, डी-275, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री चरण दास पुत्र श्री लाल चंद बी-III-776, मोहला सैदां, लुधियाना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट 204-7/12 वर्ग गज, जो महल बागत नजदीक एहसान रोड, सिविल लाईन, लुधियाना में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या 2431, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/137/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट क्षेत्रफल 204-7/12 वर्ग गज है तथा जो महल बागत नजदीक एहसान रोड, सिविल लाईन लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती सावित्री देवी विधवा श्री बाल कृष्ण द्वारा श्री प्रेम नाथ निवासी एम-142, ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दरशना देवी पत्नी श्री चरन दास बी-III मोहल्ला सैदां, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 204-7/12 वर्ग गज, महल बागत नजदीक एहसान रोड, सिविल लाईन लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2329 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च 1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/124/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 3321 है तथा जो सैक्टर 32 डी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 1980 तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती बिमला दुगल, मकान नं० 1157, सैक्टर 21 बी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुख विरश सरगम, एस० सी० एफ० नं० 15, सैक्टर 22 डी, चण्डीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 3321, सैक्टर 32 डी, चण्डीगढ़ ।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 685, जुलाई, 1980 में दर्ज है ।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/142/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1262 पी है तथा जो सैक्टर 15 बी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नोनिहाल सिंह बेदी पुत्र श्री हरनाम सिंह दुकान नं० 84, सैक्टर 15 डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री आई० आर० तरेहन पुत्र श्री अमर नाथ केमस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 122 पी, सैक्टर 15 बी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 862 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० सिरहन्द/29/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 6 बीघे 3 बिसवे है तथा जो गांव अजनाली तहसील सिरहन्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिरहन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ईदर सिंह, चरनजीत सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव अजनाली, तहसील सिरहन्द। (अन्तरक)

(2) श्रीमती मोहिन्दर कौर पत्नी श्री अमर सिंह निवासी गांव कुकर माजरा, तहसील नाभा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 6 बीघे 3 बिसवे गांव अजनाली तहसील सिरहन्द।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिरहन्द के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1774 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० सरहिन्द/27/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 74 कनाल है तथा जो गांव रोड़ गढ़ तहसील सिरहन्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरहिन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री प्रतीम सिंह पुत्र श्री तेलू, श्रीमती प्यार कौर पत्नी श्री प्रतीम सिंह, निवासी गांव रोर गढ़, तहसील सरहिन्द।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मोहिन्दर कौर पत्नी श्री भूपिन्दर सिंह श्रीमती जसयाल कौर पत्नी श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव रोहटी तहसील नाभा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 74 कनाल गांव रोर गढ़, तहसील सरहिन्द जिला पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1746 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं॰ चण्डीगढ़/171/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ 2510 है, तथा जो सेक्टर 35 सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सतियाविन्दर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी ए-8/29, वसंत विहार, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हरजीत कौर पत्नी श्री बदन सिंह, 2510 सेक्टर 35 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं॰ 2510, सैक्टर 35सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं॰ 1035 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/161/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2341 है तथा जो सैक्टर 23 सी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री मलुक चन्द पुत्र श्री महिताब राम मकान नं० 3404, सैक्टर 23 डी, चण्डीगढ़।
(अन्तरक)

(2) श्री राजिन्दर सिंह भासीन पुत्र श्री संत सिंह मकान नं० 1546 सेक्टर 33 डी, चण्डीगढ़।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2341 सैक्टर 23 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1007 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/166/80-81—अतः सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 3727 है तथा जो सेक्टर 32 डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मुकजीत सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह मकान नं० 3376, सेक्टर 32 डी, चण्डीगढ़ द्वारा श्री बखशीश सिंह पुत्र श्री वरियाम सिंह मकान नं० 1552, सैक्टर 20 बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री वरियाम सिंह मकान नं० 1552, सैक्टर 20 बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3727 सैक्टर 32 डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1020 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/130/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 456 है तथा जो सेक्टर 35 ए चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चरनजीत सिंह गिल पुत्र श्री फुमन सिंह मार्फत 56 ए० पी० ओ० द्वारा अटारनी श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह मकान नं० 456 सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री नारेयन सिंह, श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी 456, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 456 सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 701 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० के०एन०एन०/26/80-81—अत: मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 12 कनाल है तथा जो अलोर (खन्ना) जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खन्ना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री चुहर सिंह, श्री अमर सिंह, पुत्र श्री फगु निवासी अलोर (खन्ना), जिला लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स रामजी दास व संस, जी० टी० रोड, अलोर खन्ना, जिला लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 12 कनाल, गांव अलोर खन्ना जिला लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खन्ना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1176 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/173/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 114-एच है तथा जो सुराभा नगर लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती रनजीत कौर विधवा श्री हरचन्द सिंह श्री अमरीक सिंह, परमजीत कौर, चरनजीत कौर पुत्री श्री गुरबचन सिंह मकान नं० 7-एच०, सुराभा नगर, लुधियाना।

(अन्तरिती)

(2) श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री गुरदित्त सिंह मकान नं० 85-बी, सुराभा नगर, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 114-एच०, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, सुराभा नगर, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2939 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/170/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1181 है तथा जो सैक्टर 37 बी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री नीरंजन दास शर्मा पुत्र श्री हेमराज मकान नं० 1512, सैक्टर 7 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरप्रताप सिंह सोढ़ी, श्रीमती गुरदीप कौर सोढ़ी, मकान नं० 998, ए, सेक्टर 7 बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1181 सेक्टर 37 बी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1034 जुलाई, 1080 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/126/80-81—अत: मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2101 है तथा जो सेक्टर 35 सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरदेव सिंह सरना पुत्र श्री कल्याण सिंह सरना, मकान नं० 6, 76 थियेटर रोड, कलकत्ता-17।

(अन्तरक)

(2) श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री तारा सिंह, श्रीमती गुरनाम कौर पत्नी श्री तारा सिंह मार्फत हीरा प्रिंटिंग प्रेस, स्ट्रीट रोड मोगा, अब मकान नं० 75, सेक्टर 27ए-, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2101, सैक्टर 35 सी, चण्डीगढ़ (जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 688 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० एस०आर०डी०/39/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 37 कनाल 12 मरले है तथा जो गांव नबी पुर तहसील सिरहिन्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के, सरहिन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कलवंत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह निवासी मकान नं० 158 सैक्टर, 33 चण्डीगढ़ व सुखप्रीत कौर पुत्री श्री मोहिन्दर सिंह, मकान नं० 158, सैक्टर 33 चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

(2) श्री पूरन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, सर्वश्री मंगल सिंह, गुरमुख सिंह व भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी नबी पुर, तहसील सरहिन्द, जिला पटियाला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 37 कनाल 12 मरले गांव नबीपुर तहसील सरहिन्द, जिला पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2056 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निर्देश सं॰ लुधियाना/आर॰ 24/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ मकान नं॰ बी-34-2272 है तथा जो जोशी नगर, हैबोवाल कला, तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शीला वती विधवा श्री राम प्रसाद निवासी 757, पटेल नगर, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मंजु गियान शरमां पत्नी श्री गियान चंद शरमां, निवासी बी-XXXIV/2272, जोशी नगर, हैबीवाल, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं॰ बी-XXXIV-2272, जोशी नगर, हैबीवाल कलां, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं॰ 2979 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० अमलोह/47/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 1 बीघा है तथा जो गांव कुकड़ माजरा तहसील अमलोह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री राम कृष्ण निवासी गांव कुकड़ माजरा, तहसील अमलोह।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री अमर कान्त, राम नरेश पुत्र गंगा दीन ओम रतन, सुभाश चन्द पुत्र श्री हर प्रसाद निवासी वार्ड नं० 3, मन्डी गोबिन्दगढ़, सब तहसील अमलोह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 1 बीघा गांव कुकड़ माजरा तहसील अमलोह।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 888 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/150/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि क्षेत्रफल 4 कनाल 2 मरले साहित पोलट्री शेड है तथा जो गांव दरिया यू० टी०, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से, वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री मुरारी लाल पुरी पुत्र श्री हंस राज पुरी, मकान नं० 1211, सेक्टर 18-सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री हरमेल सिंह पुत्र श्री राजा सिंह निवासी गांव दरिया यू० टी० चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 4 कनाल 2 मरले साहित में पोलट्री शेड जो गांव ए दरिया यू० टी० चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 950 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/133/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी-XIX-423/बी० है तथा जो सोढी स्ट्रीट कालेज रोड, सिविल लाईन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री तीरथ राम, प्रकाश चन्द्र, कंवर लाल, प्रेम सागर, पुत्र श्री गुजर मल निवासी बी-13-1369 कुचा हरदियाल, सुखराम नगर, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री सिरी राम पुत्र श्री पूरन चन्द निवासी मकान नं० बी XIX-423/बी, सोढी स्ट्रीट, कालेज रोड, सिविल लाईन, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-XIX-423/बी०, सोढी स्ट्रीट, कालेज रोड, सिविल लाईन, लुधियाना।

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2381, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/151/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं प्लाट नं० 3456 है तथा जो सैक्टर 35 डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती जसवंत कौर विधवा श्री राजिन्दर सिंह निवासी गांव व डाकखाना लगोश, तहसील नवां शाहिर, जिला जालंधर।

(अन्तरक)

(2) श्री मदनजीत पुत्र श्री ईशर दास मकान नं० 2862, सैक्टर 22-सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3456 सेक्टर 35 डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 952 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/132/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 1506 है तथा जो सेक्टर 33-बी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बी० एस० रन्धावा पुत्र श्री उजागर सिंह मकान नं० 1623 सैक्टर 18 डी, चण्डीगढ़। (अन्तरक)

(2) श्रीमती ताजिन्दर कौर पत्नी श्री जोगा सिंह मकान नं० 622, सेक्टर 33 बी, चण्डीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1506 सैक्टर 33 बी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 742 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/138/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 1807, है तथा जो सेक्टर 34-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा की 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रामपत यादव पुत्र राम्रो ठाकुर सिंह निवासी 27, श्रीनगर कालोनी, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० के० सहगल पुत्र हरबन्स लाल सहगल व श्रीमती सुलक्षणा सहगल पत्नी आर० के० सहगल, निवासी मकान नं० 697, सेक्टर 11-बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1807, सेक्टर 34-डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 854, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/146/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं० 2760 है तथा जो सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती स्वर्ण कान्ता पत्नी श्री रोशन लाल सूद निवासी मकान नं० 2760, सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़। (अन्तरक)

(2) 1. श्री गुरमेल सिंह, 2. श्री हमीर सिंह, पुत्र गुरदेव सिंह, निवासी मकान नं० 2688, सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़। (अन्तरिती)

(3) श्री देवी दयाल जनक,
श्री अमरजीत
श्री सतीश चन्द्र
निसरामसी निवासी मकान नं० 2760, सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2760, सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 897, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/140/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 269 है तथा जो सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री अमरजीत सिंह सोहल पुत्र श्री मलहारा सिंह सोहल, निवासी गांव सोलखीयां, पोस्ट आफिस परथरीजटां, जिला रोपड़ द्वारा श्री जतिन्द्र सिंह पुत्र श्री चरनजीत सिंह, निवासी मकान नं० 202, सेक्टर 19-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हरचरन कौर पत्नी जितिन्द्र सिंह निवासी मकान नं० 1124, सेक्टर 20-बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 269, सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 858, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं॰ चण्डीगढ़/152/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं॰ 1511 है तथा जो सेक्टर 36-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

17—36GI/81

(1) श्री नरेश सहगल पुत्र श्री जगदीश राज सहगल निवासी 17239, फेनानन्ग्रो मिशन, बी॰ एल॰ वी॰ डी॰ कनाडा, द्वारा श्री जगमोहन सिंह, चौधरी एडवोकेट पुत्र श्री अछर सिंह एडवोकेट, निवासी मकान नं॰ 74, सेक्टर 8-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

(2) श्रीमती परमजीत कौर ग्रेवाल पत्नी श्री के॰ एस॰ ग्रेवाल, निवासी मकान नं॰ 1511, सेक्टर 36-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं॰ 1511, सेक्टर 36-डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं॰ 953, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० सरहिन्द/31/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 36 कनाल, 3 मरले है तथा जो गांव डेरा मीरा मेरा, तहसील सरहिन्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरहिन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सरदूल सिंह, जसवन्त सिंह, लखवन्त सिंह, बलजिन्दर सिंह सारे पुत्र मलकीयत सिंह और श्रीमती गुरदेव कौर पत्नी श्री आतमा सिंह, गांव डेरा मीर मेरा, तहसील सरहिन्द।

(अन्तरक)

(2) श्री अजीत सिंह, जोगिन्द्र सिंह, मोहिन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह, निवासी गांव डेरा मीर मेरा, तहसील सरहिन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 36 कनाल 3 मरले, गांव डेरा मीर मेरा, तहसील सरहिन्द।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1815, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं०ए०एम०एल०/70/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 142 कनाल 7 मरले का 1/4 भाग है, तथा जो गांव नरायण गढ़ तहसील अमलोह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सन्तोख सिंह पुत्र श्री निरमल सिंह निवासी गांव हसन पुर, तहसील नाभा।

(अन्तरक)

(2) सर्व श्री सेवा सिंह, शेर सिंह, अजमेर सिंह पुत्र श्री बचन सिंह निवासी भादसों, डा० व तहसील नाभा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 142 कनाल 7 मरले का 1/4 भाग गांव नरायण गढ़ तहसील अमलोह।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1204, अगस्त, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं॰ अमलोह/50/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 1/4 भाग भूमि 142 कनाल 7 मरले है तथा जो गांव नारायण गढ़ सब तहसील अमलोह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सन्तोख सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवासी गांव नारायणगढ़, तहसील नाभा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती चान्द कौर पत्नी श्री गुरदियाल सिंह गुरमेल सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह, निवासी हैबटपुर, पोस्ट आफिस नारायणगढ़, सब तहसील अमलोह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/4 भाग भूमि 142 कनाल 7 मरले गांव नारायणगढ़ सब तहसील अमलोह।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के कार्यालय के विलेख संख्या नं॰ 909, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/157/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 201 है तथा जो सेक्टर 11-ए, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्रीमती सुहागरानी पत्नी स्वर्गीय प्रीतम देव भारद्वाज, निवासी मकान नं० 557, सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री माहिन्द्र सिंह भूटर पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह भूटर द्वारा श्री करतार सिंह सोमल, निवासी मकान नं० 606, सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 201, सेक्टर 11-ए, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 993, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/133/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 637 है तथा जो सैक्टर 36-बी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी 17/1, श्री माऊंट डे लेन, कलकत्ता-12।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अजीत सिंह छत्तवाल पुत्र श्री सुन्दर सिंह छत्तवाल

2. श्रीमती अमरजीत छत्तवाल पत्नी अजीत सिंह छत्तवाल, निवासी मकान नं० 148, झण्डु बगीची रघुमाजरा, पटियाला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 637, सैक्टर 36-बी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 794, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/134/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 1737 है तथा जो सेक्टर 33-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्रभु लोकुमल गादरगनी पुत्र लोकुमल नारायण-दास गादरगनी निवासी 8, सिंगलीमपर साथ रंगो जोजीबाई रोड, बन्दर, बम्बई-400050 द्वारा श्री गुरजीत सिंह वकील, निवासी 613, सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री बचन सिंह पुत्र हीरा सिंह, निवासी मकान नं० 613, सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1737, सेक्टर 33-डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 796, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/131/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1379, है तथा जो सेक्टर 34-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री अवतार सिंह सिंधु पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 3324, पावर हाऊस रोड, भटिण्डा द्वारा श्री कृष्ण देव शर्मा, निवासी 3032, सेक्टर 19डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री शाम सुन्दर सेठी पुत्र चनन दास सेठी श्रीमती अनीता सेठी पत्नी श्री शाम सुन्दर सेठी, निवासी 206, सेक्टर 21-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1379 सेक्टर 34डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में विलेख संख्या नं० 739, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/163/80-81—अतः, मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 3029 है तथा जो सेक्टर 35-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उउपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1008 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ब्रिज भूषण अग्रवाल पुत्र श्री बन्सी राम अग्रवाल, सुपरिडेन्ट पुलिस (वी० एस० एस०) पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड, पटियाला पंजाब द्वारा श्री हरविलास राये पुत्र श्री प्यारे लाल अग्रवाल निवासी एस० सी० एफ० नं० 28-29, सेक्टर 28 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ऊषा सिंगला पत्नी श्री सन्त राम सिंगला निवासी एस० सी० एफ० नं० 28-29, सेक्टर 28-सी, चण्डीगढ़ परमानेंट पता शाही समाधांग्र पटियाला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3029, सेक्टर 35-डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1012, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13 मार्च 1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/115/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 334 है तथा जो सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती आशा कौर कोछड़ विधवा पत्नी श्री बलवन्त सिंह कौछड़ व श्रीमती हरभजनजीत कौर पत्नी श्री एस० के० बी० एस० लाम्बा, पुत्री श्री बलवन्त सिंह कौछड़ निवासी 35-बी० डी० डी० ए० फ्लैट, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रकाश के० सैनी पत्नी श्री विपिन कुमार सैनी, निवासी मकान नं० 114, सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 334, सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 658, जुलाई 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/165/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 3510, है तथा जो सेक्टर 32-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (11) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी श्री हरचन्द सिंह निवासी गांव व डाकखाना राधोमाजरा, नया बस्ती गली नं० 3, पटियाला द्वारा श्री हरि प्रकाश खन्ना पुत्र श्री निरंजन दास निवासी गांव मोहना, पोस्ट आफिस तिथोया जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) मारफत मकान न० 9, सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री मूलख राज धाबा पुत्र श्री एम० आर० धाबा निवासी मकान नं० 3870, सेक्टर 32-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3510, सेक्टर 32डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1021, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/102/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 58 (358 वर्ग गज) है तथा जो रख बाग, सिविल लाईन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सावित्री देवी विधवा पत्नी श्री राम रखा बाबा एडवोकेट, उसकी अपनी तथा उसके पुत्रों की जनरल अटारनी श्री अरुण कुमार, रामेश चन्द्र, निवासी सन्त कौटेज, बिन्द्रावन रोड, सिविल लाईन, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) डा० रीटा टक्कर पत्नी डा० वेद प्रकाश टक्कर निवासी 82, क्लब रोड, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 58 (क्षेत्रफल 358 वर्ग गज) रखबाग लुधियाना (जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2034, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख: 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० जगराओं/8/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक मकान है तथा जो मुहल्ला गुरु तेग बहादुर, मलिक रोड, जगराओं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराओं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती हरनाम कौर विधवा पत्नी श्री सरदारा सिंह, निवासी मुहल्ला गुरु तेग बहादुर (अग्रावर गुजरां) जगराओं, जिला लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह, निवासी गांव हायुर, तहसील जगराओं।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान, मुहल्ला गुरू तेग बहादुर (अग्रावर गुजरां) तहसील जगराओं, जिला लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जगराओं के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3264 जुलाई 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/156/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

जिसकी संख्या प्लाट नं० 1282 है तथा जो सेक्टर 34-सी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जे० एन० डोगरा (रिटायर्ड) पुत्र श्री बिशन दास डोगरा, बी० आर०-10/सी० डी० डी० ए० फ्लैट्स मनेरका, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुभाष चन्द्र चोपड़ा पुत्र श्री नत्थू राम चोपड़ा श्रीमती स्विदरां कुमारी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र चोपड़ा, मकान नं० 1285, सैक्टर 21 बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1282, सैक्टर 34 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 976 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/111/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट क्षेत्रफल 243½ वर्ग गज है तथा जो गांव मुराद पुरा, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती राज कलसी पत्नी श्री गुरप्रसाद निवासी 576, फेज-1, मोहाली, जिला रोपड़।

(अन्तरक)

(2) श्री जनक राज पुत्र श्री गुरदयाल मल मार्फत मैसर्ज गुरदास पैकिंग स्टोर, मूंगफली मंडी, गिल रोड, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 243½ वर्ग गज, मुराद पुरा, लुधियाना (जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2097 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च 1981
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/129/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० बी-23-899/66 है तथा जो शिवा जी नगर, समराला रोड, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती दलजीत कौर पत्नी श्री दव दान सिंह द्वारा श्री वरियाम सिंह पुत्र श्री मेवा सिंह निवासी बी-23-898/36 ए शिवा जी नगर, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी श्री हरनाम सिंह शिवाजी नगर, मकान नं० बी- XXII -899/66 लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी०-23-899/66, शिवाजी नगर, समराला रोड, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2305, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/125/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट 290 वर्ग गज है तथा जो तरफ हसन रोड, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री अमरजीत लाल पुत्र श्री परशोत्तम दास 12/23 पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती नच्छतर कौर पत्नी श्री हरनेक सिंह, 1327/4, महाराज नगर, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 290 वर्ग गज, तरफ हसन रोड, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2260 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/140/80-81—अत: मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1/2 भाग मकान नं० बी- -1380/I है तथा जो फिरोजपुर रोड, बस स्टैण्ड, बाडेवाल लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री बलराज कुमार पुत्र श्री शिवलाल मकान नं० 913/4, टैगोर नगर स्विल लाईन लुधियाना।
(अन्तरक)

(2) श्री राविन्दर मलिक पुत्र श्री प्रबदियाल मलिक 4-बी, सराभा नगर, लुधियाना
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग मकान नं० बी- –1380/I, फिरोजपुर रोड, बस स्टैन्ड बाडेवाल, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2464 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/आर०/29/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 107 कनाल 6 मरले है तथा जो गांव कादीआं तहसील व जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लछमन दास ओसवाल पुत्र श्री आसा राम ओसवाल, ओसवाल भवन, बरहमपुरी, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स जैन डेरी व एग्रीकल्चरल फार्म लुधियाना द्वारा श्री देव राज, हिस्सेदार।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 107 कनाल 6 मरले, गांव कादीआं तहसील व जिला लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3611 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/120/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1139 है तथा जो सैक्टर 36 सी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) मेजर एम. एस० दत्ता पुत्र श्री जी० एस० दत्ता मकान नं० 1224, सैक्टर 31, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री जी० के० भटनागर पुत्र श्री आई० के० भटनागर, श्रीमती रीतू भटनागर पत्नी श्री जी० के० भटनागर, मकान नं० 442 सेक्टर 35-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1139 सैक्टर 36 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 674 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/113/80-81--अतः मुझे सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 9 मरले है तथा जो गांव मेहरबान जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मिस भूपिन्दर कौर पुत्री श्री काला सिंह निवासी 372, जेल रोड, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री राविन्दरजीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह निवासी गांव काको वाल, तहसील लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 9 मरले गांव मेहरबान लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2120 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/114/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल, 9 मरले है तथा जो गांव मेहरबान जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजिन्दर कौर पत्नी श्री आजिन्दर सिंह 372 जैल रोड, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गांव काकोवाल, तहसील लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 9 मरले गांव मेहरबान लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2121 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/115/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 3 मरले है तथा जो गांव मेहरबान, जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) मिस प्रदर्शपाल कौर पुत्री श्री काला सिंह निवासी 372, जेल रोड, लुधियाना।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती दलजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह, निवासी गांव काकोवाल, तहसील लुधियाना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 3 मरले गांव मेहरबान लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2122 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/116/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल, 9 मरले है तथा जो गांव मेहरबान लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मिस गुरदीप कौर पुत्री श्री काला सिंह निवासी 372, जेल रोड, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री ईंदरजीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह निवासी गांव काकोवाल, तहसील लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 9 मरले गांव मेहरबान लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2123 जुलाई, 1980 में दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लधियाना

तारीख: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं॰ के.एच.आर./12/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है
और जिसकी सं॰ मकान नं॰ 222 है तथा जो फेज 7, मोहाली खरड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खरड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री भगत सिंह मकान नं॰ 405, फेज 7, मोहाली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कुलदीप खन्ना पत्नी श्री आर॰ डी॰ खन्ना मकान नं॰ 222, फेज 7, मोहाली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं॰ 222 फेज 7, मोहाली तहसील खरड़। (जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खरड़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं॰ 2195 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/125/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1205 है तथा जो सैक्टर 33-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सुभाष चन्द सिंगला पुत्र श्री मेहर चन्द श्रीमती सरोज सिंगला पत्नी श्री सुभाष चन्द सिंगला, मकान नं० 3565, सैक्टर 23 डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री भजन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री भजन सिंह मकान नं० 58 सैक्टर 20-ए०, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1205 सैक्टर 33 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 687 जुलाई, 1980 में दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/121/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2264, है तथा जो सेक्टर 35-सी०, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरजैव सिंह पुत्र अमरायो सिंह निवासी गांव व डाकखाना रुड़की पुखता जिला रोपड़ द्वारा उनकी अटारनी श्री गुलवन्त 378, सेक्टर 20-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री गुलवन्त सिंह निवासी मकान नं० 378, सेक्टर 20-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2264, सेक्टर 35-सी, चण्डीगढ़ (जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 680 जुलाई, 1980 में दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/155/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1266 है तथा जो सेक्टर 34 सी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कैप्टन चरनजीत सिंह खानुजा द्वारा श्री रोशन लाल मार्फत एस० सी० एफ० नं० 57, सेक्टर 30 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती निरमल कांता पत्नी श्री रोशन लाल निवासी एस० सी० एफ० नं० 57 सैक्टर 30 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1266, सेक्टर 34 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 960 जुलाई, 1980 में दर्ज है)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/160/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1136 है तथा जो सेक्टर 34 सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एल० के० अरोड़ा पुत्र श्री एन० आर० अरोड़ा, 735, हरी नगर, रोहतक।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती सतवंत कौर पत्नी श्री आतमा सिंह, निवासी गांव बरवल जिला लुधियाना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 1136 सेक्टर 34 सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1002 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/आर०/28/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 19 कनाल, 13 मरले है तथा जो गांव खान पुर, जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भजना पुत्र श्री वरियाम निवासी खान पुर डा० धवदी, तहसील व जिला लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दलजीत कौर पत्नी श्री गुरमेल सिंह निवासी गाँव खानपुर डा० धवदी तहसील व जिला, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 19 कनाल 13 मरले, गांव खानपुर, तहसील जिला लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3514 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/099/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रिहायशी मकान नं० बी-17-295 है तथा जो भारत नगर, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री करतार सिंह पुत्र श्री अमला सिंह, निवासी 295, भारत नगर, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री नारंजन सिंह पुत्र श्री चम्बा सिंह, 889, कुचा नं० 12, फील्ड गंज, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं० बी-17-295/पी, भारत नगर, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1930, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/164/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 74 है तथा जो सैक्टर 33 ए चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जनरैल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह मकान नं० 74, सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी श्री जसवंत सिंह मकान नं० 74, सेक्टर 33 ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 74, सेक्टर 33 ए, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1019 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/141/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 3092 है तथा जो सैक्टर 35 डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती विमला वर्मा पत्नी श्री बिक्रम वर्मा, निवासी सी-4/ए-58-सी/जनक पुरी, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री के० एल० पसरीजा पुत्र श्री के० एस० पसरीजा, निवासी 563, सेक्टर 16 डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 3092, सैक्टर 35 डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 861 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० लुधियाना/112/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मलेरकोटला हाऊस नं० बी-XIX-620 है, तथा जो सिविल लाईन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री नन्द किशोर कथारी पुत्र श्री मेहरचंद निवासी मलेरकोटला हाऊस, सिविल लाईन, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शीला बन्ती विधवा श्री राम प्रसाद मकान नं० बी-XIX-620, मलेरकोटला हाऊस, सिविल लाईन, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-XIX-620, मलेरकोटला हाऊस, सिविल लाईन, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2115 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च, 1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० डेरा बसी/26/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 16 बीघे है तथा जो गांव किशन पुरा, तहसील डेरा बसी, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरी बसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती मजीत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह मकान नं० 1011, सैक्टर 8 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री किदार नाथ शर्मा (एच० यू० एफ०) कोठी नं० 229, सैक्टर 9, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 16 बीघे गांव किशन पुरा तहसील डेरा बसी।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 827 अगस्त, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० डेरा बंसी/24/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 6 बीघे सहित में इमारत है तथा जो गांव किशनपुरा, तहसील डेरा बसी जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बंसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती अजीत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह निवासी मकान नं० 1011 सैक्टर 8 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री श्याम सुन्दर शर्मा व विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री किदार नाथ शर्मा पुत्र श्री माधोराम शर्मा एच० यू० एफ० मकान नं० 229 सैक्टर 9, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 6 बीघे सहित में इमारत गांव किशन पुरा तहसील डेरा बंसी।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बंसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 765 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० डेरा बंसी/24 ए०/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 8 बीघे सहित में इमारत है तथा जो किशन पुरा तहसील डेरा बंसी जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बंसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती अजीत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह, निवासी मकान नं० 1011, सैक्टर 8 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री किदार नाथ शर्मा (एच० यू० एफ०) कोठी नं० 229, सैक्टर 9, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 8 बीघे सहित में इमारत, गांव किशनपुरा तहसील डेरा बंसी।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 767 अगस्त, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना।

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० डेरा बसी/21/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 22 बीघा 1 बिसवा है तथा जो गांव किशन पुरा, तहसील डेरा बंसी, जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बंसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती अजीत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह निवासी मकान नं० 1011, सैक्टर 8 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री किदार नाथ शर्मा एच. यू० एफ० निवासी कोठी नं० 229, सैक्टर 9, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 22 बीघा 1 बिस्वा गांव किशन पुरा, तहसील डेरा बंसी, जिला पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बंसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 701 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० डेरा बंसी/20/80-81—अतः मुझे सुखदेव चन्द
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 20 बीघे, 15 बिस्वे है तथा जो गांव किशन पुरा सब तहसील डेरा बसी, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अजीत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह मकान नं० 1011 सैक्टर 8 सी, चण्डीगढ़। (अन्तरक)

(2) श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री किदार नाथ शर्मा, एच० यू० एफ० कोठी नं० 229, सैक्टर 9, चंडीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 20.15 बीघे गांव किशन पुरा, तहसील डेरा बंसी।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 676, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० डीबीएस/23/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 22 बीघे है तथा जो गांव किशन पुरा, भव तहसील डेरा बसी, जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बसी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7/80

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती अजीत कौर विधवा श्री मोहिन्दर सिंह निवासी गांव मकान नं० 1011, सक्टर 8 सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री किदार नाथ शर्मा, एच० यू० एफ०, कोठी नं० 229, सैक्टर 9, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 22 बीघे, गांव किशन पुरा, तहसील डेरा बसी।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 740 जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13 मार्च 1981
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/128/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 113 है तथा जो सेक्टर 16-ए, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः—

(1) 1. श्रीमती निर्मल शर्मा पत्नी श्री राज कुमार शर्मा
2. दीपक शर्मा पुत्र राज कुमार शर्मा,
3. प्रभात शर्मा पुत्र राज कुमार शर्मा,
4. श्रीमती नीरा शर्मा पुत्री राज कुमार,
5. के० के० शर्मा पुत्र श्री डी० सी० शर्मा,
6. मनमोहन शर्मा पुत्र डी० सी० शर्मा,
7. सरोज शर्मा पत्नी सतीश शर्मा,
8. मधुसूदन शर्मा पुत्र सतीश शर्मा,
9. अशोक शर्मा पुत्र डी० सी० शर्मा,
10. पुष्पा दास पुत्री डी० सी० शर्मा
11. गीता तनेजा पुत्री सतीश शर्मा,
12. शान्ता तिवारी पुत्री डी० सी० शर्मा,
13. ऊषा कपिला पुत्री डी० सी० शर्मा,
द्वारा सतीश चन्द्र कपिला एडवोकेट पुत्र बालमुकुन्द आनन्द भवन, होशियारपुर।

(अन्तरिती)

(2) श्री ए० डी० वर्मा पुत्र श्री परस राम निवासी मकान नं० 113, सेक्टर 16-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 113, सेक्टर 16-ए, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 699, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/167/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० एफ० सं० 25 है तथा जो सेक्टर 18-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री प्यारा सिंह पुत्र निक्का सिंह व श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी प्यारा सिंह और करनैल सिंह पुत्र प्यारा सिंह, निवासी गांव भुगरानी, तहसील होशियारपुर अब 373 होल्स्टन रोड, वालवेमप्टन वेस्ट मिडिल लैण्ड, इंगलैण्ड, द्वारा श्री सुच्चा सिंह पुत्र नन्द लाल निवासी मकान नं० 3372, सेक्टर 15-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दर्शना देवी पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी एस० सी० एफ० नं० 20, सेक्टर 18-सी, चण्डीगढ़ अब एस० सी० एफ० नं० 25, सेक्टर 18-सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

(3) श्री शेर सिंह पुत्र भगत सिंह, 2 श्री आत्मा सिंह बैंड मास्टर, गुरदेव सिंह, जगदीश तिवाड़ी, चन्द्र भान, सागीर अहमद, अजय कुमार सारे निवासी एस० सी० एफ० नं० 25, सेक्टर 18 सी, चण्डीगढ़।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस० सी० एफ० नं० 25, सेक्टर 18-सी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1026, जुलाई/अगस्त, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० खरड़/13/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 2778 है तथा जो एस० ए० एस० नगर, मोहाली, तहसील खरड़, फेज 7 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खरड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री रन्जीत सिंह पुत्र श्री बागा सिंह, निवासी मकान नं० 71, सेक्टर 30-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री सतीश कुमार कपूर पुत्र श्री मुलख राज कपूर, निवासी मकान नं० 40, सेक्टर 15-ए, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

(3) श्री एस० एल० पासी, एकाउंट्स आफिसर, डी० पी० आई० हरियाणा, निवासी मकान नं० 2778, एस० ए० एस० नगर, फेज 7, मोहाली।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2778, फेज 7, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, तहसील खरड़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खरड़ के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2356, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/141/80-91 अतः मुझे सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० बी-VI-264 (नया) है तथा जो माधोपुरी, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री मुकन्दी लाल पुत्र खीवा सिंह द्वारा श्री अमर सिंह पुत्र मुकन्दी लाल, निवासी कुच्चा नं० 4, मकान नं० 240/8, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री मनोहर लाल जैन पुत्र श्री बेली राम जैन व श्रीमती आशा जैन पत्नी अशोक कुमार जैन व श्रीमती कमलेश जैन, पत्नी तरसेम कुमार जैन निवासी मकान नं० बी-6-264, कुच्चा नं० 3, माधोपुरी, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी-VI-264 (नया) माधोपुरी लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2473, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्रूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० लुधियाना/121/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्र 6 कनाल है तथा जो हेवोवाल कलां, तहसील लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लखबीर सिंह व अवतार सिंह पुत्र सरदार सिंह, निवासी चुहड़पुरा, तहसील लुधियाना ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती जानकी देवी पत्नी चुन्नी लाल निवासी हेवोवाल कलां, तहसील लुधियाना ।
2. श्री प्रीतम सिंह ।
3. श्री बलवन्त सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी 201, माडल टाऊन, लुधियाना ।
4. श्री हरचन्द सिंह पुत्र श्री बीर सिंह निवासी चुहड़पुरा, तहसील लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 6 कनाल गांव हेवोवाल, कलां, तहसील लुधियाना ।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं० नं० 2183, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० चण्डीगढ़/168/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 557, है तथा जो सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:——

(1) श्री भागवन्त सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी गांव टांगरा, जिला अमृतसर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुहाग रानी पत्नी श्री प्रीतम देव व जीवन भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय प्रीतम देव भारद्वाज निवासी 557, सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 557, सेक्टर 16-डी, चण्डीगढ़।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1032, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० लुधियाना/100/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भाग कोठी नं० 576 है तथा जो माडल टाऊन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डिप्टी सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी 576, माडल टाऊन, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री कृष्ण कुमार ढींगरा पुत्र मोहन लाल निवासी 576, माडल टाऊन, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भाग कोठी नं० 576, माडल टाऊन, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना के विलेख सं० नं० 1966, जुलाई, 1980 में दर्ज है।)

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० LDH/109/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भाग कोठी नं० 576 है तथा जो माडल टाऊन, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री डिप्टी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह निवासी 576, माडल टाउन, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री कृष्ण कुमार ढींगरा पुत्र श्री मोहन लाल निवासी 576, माडल टाउन, लुधियाना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भाग कोठी नं. 576, माडल टाउन, लुधियाना।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय के विलेख सं. नं. 2081 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० एस आर० डी०/34/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 6 बीघे 4 बिस्वे है तथा जो गांव अजवाली, तहसील सरहिंद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरहिंद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री इन्दर सिंह चरनजीत सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव अजनाली, तहसील सरहिंद।

(अन्तरक)

(2) श्री अमर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी कुंकर माजरा, तहसील नाभा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 6 बीघे 4 बिस्वे गांव अजनाली, तहसील सरहिंद।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सरहिंद के कार्यालय के विलेख नं० 1872 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० पटियाला/43/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 1 और 2 है तथा जो गऊशाला रोड, नजदीक शेरे पंजाब मार्किट, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सर्वश्री सतवन्त सिंह, मनमोहन सिंह पुत्र डा० सम्पूर्ण सिंह निवासी गऊशाला रोड, पटियाला।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती जसवीर कौर पत्नी हरमोहन जीत सिंह निवासी शेरे पंजाब मार्किट, दुकान नं० 1 व 2 गऊशाला, रोड, पटियाला।
(अन्तरिती)

(3) श्री जसवंत सिंह कबाड़ी गऊशाला रोड, पटियाला।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 1 और 2 गऊशाला रोड, नजदीक नई शेरे पंजाब मार्किट, पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2870, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० एन बी ए/17/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 24 कनाल 11 मरले है तथा जो नाभा, जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नाभा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सर्वश्री जगदीश चन्द, किशन चन्द, राम चन्द, राम पाल, मदन लाल पुत्र श्री परमा नन्द निवासी सिनेमा के पीछे नाभा।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह व धर्मपाल पुत्र श्री राम स्वरूप मार्फत मैसर्स कृष्णा फ्लोर व राइस मिल्स, नाभा, जिला पटियाला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 24 कनाल 11 मरले, नाभा जिला पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नाभा के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1296, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च, 1981

निदेश सं० एस आर डी/38/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 34 कनाल 16 मरले है तथा जो गांव नावीपुर, तहसील सरहिन्द, जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरहिन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रीतमहिन्द्र सिंह पुत्र मेजर महिन्द्र सिंह निवासी गांव नावीपुर, तहसील सरहिन्द अब मकान नं० 158, सेक्टर 33, चण्डीगढ़ ।

(अंतरक)

(2) सर्वश्री मंगल सिंह, गुरमुख सिंह व भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह व श्री पूरन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी गांव मुगल माजरा, तहसील सरहिंद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 34 कनाल 16 मरले, गांव नावीपुर, तहसील सरहिंद जिला पटियाला ।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिंद के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2055, जुलाई, 1980 में दर्ज है) ।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० टी०पी०ए०/6/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्र० 21 कनाल 14 मरले है तथा जो तापा, तहसील, बरनाला, जिला संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तापा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री जगन्नाथ पुत्र श्री राम दास पुत्र श्री खुशिया निवासी गांव तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अंगरेज कौर पत्नी श्री तोता सिंह पुत्र श्री बोगा सिंह, निवासी गांव तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 14 मरले गांव तापा, तहसील बरनाला जिला संगरूर।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तापा के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 839, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13-3-1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० टी० पी० ए०/4/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 14 मरले है तथा जो तापा, तहसील बरनाला, संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तापा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908) 1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1980 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मेहर चन्द पुत्र श्री राम दास, निवासी तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर।

(अन्तरक)

(2) श्री बोगा सिंह पुत्र श्री फुमन सिंह पुत्र श्री बुध सिंह, निवासी तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 14 मरले तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तापा के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 837, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक : 13-3-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० टी०पी०ए०/5/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 21 कनाल 14 मरले है तथा जो तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तापा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री गोरे लाल पुत्र श्री राम दास निवासी तापा तहसील बरनाला, जिला संगरूर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती अंग्रेज कौर पत्नि श्री तोता सिंह व श्री भोगा सिंह पुत्र श्री फुमन सिंह, निवासी गांव तापा, तहसील बरनाला, जिला संगरूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 14 मरले, तापा, तहसील बरनाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तापा के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 838, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13 मार्च 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० पी०टी०आर०/30/80-81—अतः, मुझे, सुखदेव, चन्द आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्र० 3.64.23 हैक्टेयर है तथा जो गांव गुलहाड़ा सब-तहसील पातड़ा, जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पातड़ा, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोपाल सिंह, पूरनसिंह पुत्र श्री सल्ता सिंह, निवासी गांव गुलहाड़, सब-तहसील पातड़ा, जिला पटियाला।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री अनुप सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव गुलहाड़, सब-तहसील पातड़ा।
महिन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह और दर्शन सिंह, हजारा सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी गांव निबागऊ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 3.64.23 हैक्टेयर, गांव गुलहाड़, सब-तहसील पातड़ा।

(जायदाद जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सब-तहसील पातड़ा के कार्यालय के विलख संख्या नं० 1008, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1980

निदेश सं० डी०बी०एस०/19/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 22.10 बीघा है तथा जो गांव किशनपुरा, सब तहसील, डेरावस्सी, जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, डेरा बस्सी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्रीमती अजीत कौर विधवा पत्नि श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी मकान नं० 1011, सैक्टर, 8-सी०, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री शाम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री केदार नाथ शर्मा व आदित्य नाथ शर्मा पुत्र श्री शाम सुन्दर शर्मा निवासी मकान नं० 229, सैक्टर 9-सी०, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 22.10 बीघा गांव किशनपुरा, सब तहसील डेरा बस्सी, जिला पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के डेरा बस्सी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 621 जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० ए०एम०एल०/64/80-81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द,

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० भूमि 6 बीघा 15 बिस्वा है तथा जो गांव जसरा, सब तहसील अमलोह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलोह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री उजागर सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह, निवासी जसराली, पोस्ट आफिस मण्डी गोबिन्दगढ़, (पटियाला)

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री नछत्तर सिंह, करनैल सिंह, पुत्र श्री बाबू बलविन्दर सिंह, गुरदीप सिंह, पुत्र मलकीयत सिंह रविन्द्र सिंह, निर्मल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी कुम्भ मारा, पोस्ट आफिस, गोबिन्द गढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि क्षेत्रफल 6 बीघा 15 बिस्वा, गांव जसरा, तहसील अमलोह।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1107, जुलाई, 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13 मार्च, 1981
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, आयकर भवन, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 मार्च 1981

निदेश सं० पटि०ए०/4 ए०/80वश81—अतः मुझे, सुखदेव चन्द

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 321/2 है तथा जो घेर सोटीयां, पटियाला में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई, 1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री अनूप सिंह सैनी पुत्र श्री प्रीतम सिंह सैनी, निवासी मकान नं० 321/2, घेर सोटीयां, पटियाला (अन्तरक)

(2) श्री केशो राम गुप्ता व श्री ज्ञान चन्द गुप्ता निवासी गली शमशेर सिंह, पटियाला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 321/2, घेर सोटीयां, पटियाला।

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय, में विलेख संख्या नं० 3601, जुलाई 1980 में दर्ज है)।

सुखदेव चन्द
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

दिनांक: 13 मार्च 1981
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना–411004, दिनांक 25 मार्च 1981

निर्देश सं० स० आ० आ० (नि०)/सी० ए०-05/एस० आर० कल्याण/अगस्त 80/510/80-81—अतः मुझे ए० सी० चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० स० सं० 121 ए 1/2 सी० एस० सं० 2337 ए और स० सं० 119 सी/2 सि० स० नं० 2338-ए/1 है तथा जो कल्याण गली नं० 34 घर नं० 42(1) में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबंधक कल्याण में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-8-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सीताराम एस० मानधने और
2. श्री पल्लवी एन्टरप्राइसेस,
कल्याण, जि० ठाणें।

(अन्तरक)

(2) श्री विधायक एन० जोशी, सचिव, मैसर्स पल्लवी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, कल्याण, आग्रा रोड, पल्लवी सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित जिला ठाणें।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जगह और मकान जो कसबे कल्याण तारीख कल्याण जिला ठाणे, स० सं० 121 ए/1/2 न० सं० सं० 2337 ए वर्ग मीटर, 16.72 और स० सं० 119 सी/2 न० स० सं० 2338 ए/1 वर्ग मी० 610.28 गली संख्या 34, मकान नं० 42(1) में स्थित है।

(जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्रमांक 901 जो 29-29-8-80 को दुय्यम निबंधक कल्याण के दफ्तर में पंजीकृत किया गया है।)

ए० सी० चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना।

तारीख : 25-3-1981
मोहर :

कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

ग्रेड ग आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1981

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1981

संख्या 3/5/81—समन्वय-आई.—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ग की प्रवर सूची, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सब-काडर के आशुलिपिकों की श्रेणी 2, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'ग' में वृद्धि करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6.8.81 को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, नागपुर तथा विदेश में स्थित कुछ चुने भारतीय दूतावासों में एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन गृह मंत्रालय में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 25.4.81 के भारतीय राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार होगा।

आयोग अपने निर्णय से उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों और परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकृत उम्मीदवारों को सूचित कर दिया जायेगा कि उन्हें कहां, किस समय और किस तारीख को उपस्थित होना है।

2. इस परीक्षा के आधार पर ऊपर दी गई सेवाओं में नियुक्तियों के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:—

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'ग'-----*

(2) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सब काडर के आशुलिपिक ग्रेड—2--------------*

(3) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग----------------*; और

(4) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'ग'------------------*

*बाद में निश्चित की जायेगी,

इन रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण किया जाएगा।

3. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, (उ.क्षे.) लोक नायक भवन, दूसरी मंजिल, खान मार्किट, नई दिल्ली—110003, को आवेदन करना चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रपत्र तथा परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण विवरण आयोग के काउंटर पर एक रुपया नकद देकर 23-5-81 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र एक रुपये के मूल्य का पोस्टल आर्डर जो कर्मचारी चयन आयोग को देय हो और 'केवल प्राप्त कर्ता लेखा' शब्दों द्वारा काटे गए हों, डाक द्वारा भेज कर भी 23-5-81 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए भेजे गए प्रार्थना पत्रों पर परीक्षा का नाम ''ग्रेड-ग आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1981'' स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। पोस्टल आर्डर के साथ, उम्मीदवार को मोटे अक्षरों में अपने नाम तथा पते की दो पर्चियां भी भेजनी चाहिए। एक रुपए का पोस्टल आर्डर और उपर्युक्त दो पर्चियों की प्राप्ति पर आवेदन प्रपत्र तथा पूर्ण विवरण साधारण डाक से (डाक प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत—(under certificate posting) उम्मीदवार को भेज दिये जायेंगे। पोस्टल आर्डर के स्थान पर मनीआर्डर तथा चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक रुपये की यह राशि किसी भी हालत में वापिस नहीं की जाएगी।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के मूल्य के भारतीय पोस्टल आर्डर भेजने चाहिएं अथवा एक रुपये की राशि, भारतीय उच्च आयुक्त/राजदूत/प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करवाएं और उक्त राशि को लेखा शीर्ष, ''051—लोक सेवा आयोग—कर्मचारी चयन आयोग—अन्य प्राप्तियां—आवेदन प्रपत्रों की बिक्री'' (वेतन और लेखा अधिकारी कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा समायोज्य) में जमा करने को कहें तथा उस कार्यालय से टी.आर. 5 प्रपत्र में रसीद प्राप्त कर लें तथा उसे आयोग को भेज दें। पोस्टल आर्डर/रसीद के साथ उम्मीदवार को नाम तथा पते की मोटे अक्षरों में दो पर्चियां भी भेजनी चाहिए।

टिप्पणी:—आवेदन-प्रपत्र तथा परीक्षा के पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए 23.5.81 के पश्चात् कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी। विदेश में रहने वाले तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवेदन-पत्र तथा परीक्षा के पूरे विवरण प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं 6.6.81 तक भी स्वीकार कर ली जायेंगी।

4. भरा हुआ आवेदन-प्रपत्र क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, (उ.क्षे.) लोक नायक भवन, दूसरी मंजिल, खान मार्किट, नई दिल्ली—110003, के पास 23-5-81 को या उसके पूर्व, अनुबंध में दी गई हिदायतों के अनुसार अवश्य पहुंच जाना चाहिए। **निश्चित तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।**

विदेश में रहने वाले तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में 23-5-81 से पूर्व रहने वालों के आवेदन पत्र 6-6-81 तक भी ले लिए जायेंगे।

टिप्पणी-1:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें अपने आवेदन ग्रेड-ग आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1981 के लिए निर्धारित मुद्रित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत करने चाहिए। ग्रेड-ग आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1981 के लिए निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रपत्र पर प्रस्तुत किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। ''केवल शासकिय प्रयोग के लिए'' चिन्हित प्रपत्रों पर भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

टिप्पणी-2:—आवेदन-पत्र की मांग में देरी अथवा आवेदन-पत्र देर से भेजने से होने वाली हानि की जिम्मेदारी उम्मीदवार की ही होगी।

टिप्पणी-3:—जो उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र आयोग के काउंटर पर देवें, उन्हें उस लिपिक से जो आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा, उसी समय पावती पत्र ले लेना चाहिए।

5. (1) **निर्धारित शुल्क**:—नीचे के उप-पैरों (3) और (5) में आने वाले उम्मीदवारों के अतिरिक्त परीक्षा में प्रवेश के

इच्छुक उम्मीदवारों को पूरित आवेदन-पत्र के साथ आयोग को निम्नलिखित फीस देनी होगी:–

12.00 रुपये (3.00 रुपये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के उम्मीदवारों की अवस्था में)।

(2) पैरा 5(1) में दी गई फीस का भुगतान रेखित भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा होना चाहिए जो कर्मचारी चयन आयोग को देय हों। यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट, जो केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली स्थित शाखा द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को देय हों, तथा कम से कम छः मास के लिए वैध हों, के द्वारा भी किया जा सकता है। पोस्टल आर्डर नीचे दिए गए नमूने के अनुसार भरा जाना चाहिए:–

केवल प्राप्त कर्ता लेखा	पोस्टल आर्डर कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली को (लोधी रोड) डाकघर नई दिल्ली–110003 पर देय

आयोग फीस का भुगतान मनीआर्डर, चैक या करेंसी नोटों द्वारा स्वीकार नहीं करेगा।

(3) आयोग स्वेच्छा से निर्धारित फीस से मुक्त कर सकता है जबकि उसे इस बात की सन्तुष्टि हो जाए कि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का विस्थापित व्यक्ति है तथा 1 जनवरी, 1964 को या उसके पश्चात् परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में प्रविष्ट हुआ है। अथवा बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रविष्ट हुआ है अथवा श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा 1 नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात् भारत में आया है और निर्धारित फीस देने की स्थिति में नहीं है।

(4) उम्मीदवार को ज्ञात होना चाहिए कि पोस्टल आर्डर को रेखित किए बिना अथवा कर्मचारी चयन आयोग, लोधी रोड डाकघर, नई दिल्ली को देय किए बिना भेजना सुरक्षित नहीं है। आवेदन-पत्र के स्तम्भ–2 में पोस्टल आर्डर के पूरे ब्यौरे भर देने चाहिए।

जिस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस का रेखित भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा उसे सरसरी तौर पर देखकर ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यह नियम उन बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) के विस्थापितों और बर्मा तथा श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूल भारतीय निवासियों पर लागू नहीं होगा जो क्रमशः 1 जनवरी, 1964 को या इसके बाद (परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले), 1 जून, 1963 तथा 1 नवम्बर, 1964 को अथवा उसके पश्चात् भारत में आए हैं और फीस न दे सकने की स्थिति में होने के कारण ऊपर के पैरा 5(3) के अनुसार निर्धारित फीस से छूट चाहते हैं।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

6. आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी से सम्बद्ध किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा। फीस वापिस तभी की जायेगी जबकि परीक्षा निरस्त हो जाएगी।

यदि उम्मीदवार को, उसका आवेदन-पत्र देर से पहुंचने के कारण आयोग द्वारा परीक्षा में प्रविष्ट न किया गया, तो उम्मीदवार का आवेदन-पत्र उसके पोस्टल आर्डरों सहित उसे वापिस भेज दिया जायेगा।

7. आवेदन-पत्र के विषय में पत्र व्यवहार क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग, (उ.क्षे.) लोक नायक भवन, दूसरी मंजिल खान मार्किट, नई दिल्ली, 110003, को सम्बोधित करने चाहिए तथा निम्नलिखित विवरण देने चाहिए:–

(1) परीक्षा का नाम,

(2) परीक्षा का महीना तथा वर्ष,

(3) रोल नं. या जन्म तिथि (यदि उम्मीदवार को रोल नं. न भेजा गया हो),

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में), तथा

(5) आवेदन-पत्र में दिया गया डाक पता।

इन विवरणों से रहित पत्राचार पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। इस परीक्षा के बारे में कर्मचारी चयन आयोग के साथ सभी पत्राचार में अपने लिफाफों पर उम्मीदवार सदैव "श्रेणी-ग आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1981" शब्दों का अवश्य प्रयोग करें।

रा. मल्लिकार्जुनन,
सचिव
कर्मचारी चयन आयोग

अनुबंध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. विज्ञप्ति के पैरा 3 के अनुसार इस परीक्षा से सम्बद्ध विज्ञप्ति, नियमावली, आवेदन-पत्र तथा अन्य कागजात की प्रति क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उ.क्षे.) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-पत्र भरने या निर्धारित शुल्क का भुगतान करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़कर देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र भी हैं या नहीं। निर्धारित शर्तों में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को विज्ञप्ति के पैरा 1—में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिए। सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

कोई उम्मीदवार जो विदेश स्थित भारतीय मिशन में परीक्षा देना चाहता है उसे अपनी इच्छानुसार क्रम से दो अन्य भारतीय मिशनों (जहां वह रहता है उससे भिन्न दूसरे देशों में) के नाम भी विकल्प केन्द्रों के रूप में देने चाहिए। आयोग अपने निर्णय से उसके द्वारा बताए गए तीनों मिशनों में से किसी भी एक में अथवा किसी अन्य मिशन में उसे अपने खर्च पर परीक्षा देने के लिए कह सकता है।

जो उम्मीदवार विदेश स्थित भारतीय मिशन में परीक्षा देना चाहता है और नियमों के परिशिष्ट के पैरा 3 के अनुसार (2) निबंध और (3) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र और आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देना चाहता है, उसे अपने खर्च पर ही किसी

ऐसे मिशन में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है जहां पर ऐसी परीक्षा आयोजन के प्रबन्ध प्राप्त हों।

2. उम्मीदवार को आवेदन पत्र और अपने नाम तथा पते की 6 पर्चियों वाला कागज अपने हाथ में भरना चाहिए। सभी प्रविष्टियां/उत्तर शब्दों में होने चाहिए, रेखिका या बिन्दु आदि के द्वारा नहीं। भरा हुआ आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उ.क्षे.), लोक नायक भवन, दूसरी मंजिल, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003, को, भेजना चाहिए ताकि वह विज्ञप्ति में निर्धारित अंतिम तारीख तक अवश्य पहुंच जाए।

टिप्पणी:–परीक्षा नियमावली के परिशिष्ट के पैरा 3 के अनुसार निबंध और सामान्य ज्ञान तथा आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक उम्मीदवार अपना विकल्प आवेदन पत्र के स्तम्भ 6 में स्पष्ट रूप से लिखें। एक बार का विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त स्तम्भ में परिवर्तन करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उक्त स्तम्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की गई तो उसका अर्थ यह समझा जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देंगे।

विज्ञप्ति में निर्धारित तारीख के बाद आयोग को प्राप्त होने वाला कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवार से यह आयोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह विज्ञप्ति के पैरा 4 के प्रथम उप-पैरा में निर्धारित तारीख के पहले से विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रह रहा था।

उम्मीदवार को अपनी आवेदन-पत्र संबद्ध विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत भेजना चाहिए जो आवेदन-पत्र के अन्त में दिए गए पृष्ठांकन को भरकर इस आयोग को भेज देंगे।

3. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरते समय कोई भी झूठा ब्यौरा न दें और न किसी तथ्य को छिपाएं।

4. (1) उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात आदि अवश्य भेजने चाहिए:–

(1) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर जो कर्मचारी चयन आयोग को लोधी रोड डाकघर नई दिल्ली पर देय हों अथवा बैंक ड्राफ्ट जो केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली स्थित शाखा द्वारा कर्मचारी चयन आयोग, को देय हों, तथा कम से कम छः मास के लिए वैध हों।

(2) (क) आवेदन पत्र देते समय जहां वह काम कर रहा है उस कार्यालय अथवा विभाग के प्रधान द्वारा उसकी सेवा पंजिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ख) आवेदन पत्र देते समय जहां वह नियुक्त है उस कार्यालय अथवा विभाग के प्रधान द्वारा 1-8-1978 से आगे के उसके सेवा विवरणों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) उम्मीदवार के आधुनिक फोटो की पासपोर्ट साइज (लगभग 5 सें.मी.×7 सें.मी.) की दो समान प्रतियां।

(4) नीचे के पैरा 6 के अन्तर्गत वांछित प्रलेख (जहां उपयुक्त हों)।

(2) ऊपर की मदों (1), (2), (3) तथा (4) में दिए गए कागजात आदि का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(1) निर्धारित शुल्क के रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर रहनी चाहिए। सभी पोस्टल आर्डर 'केवल प्राप्तकर्ता लेखा' शब्दों द्वारा काटे गए हों और इस प्रकार भरे जाएं:–"कर्मचारी चयन आयोग को लोधी रोड, डाकघर नई दिल्ली पर देय हों।"

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विरूपित या कटे फटे या कालतिरोहित पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सब बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी चयन आयोग के नाम में होने चाहिए तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित शाखा द्वारा देय हो।

टिप्पणी:–जो उम्मीदवार आवेदन पत्र भेजते समय विदेश में रह रहे हों वे निर्धारित शुल्क की राशि (12.00 रु. के बराबर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए 3.00 रु. के बराबर) उस देश में स्थित भारत के उच्च आयुक्त राजदूत या प्रतिनिधि उस देश में जो भी हों—के कार्यालय में जमा करवाएं और उनसे कहा जाए कि वे इस राशि को लेखा शीर्ष "051—लोक सेवा आयोग—कर्मचारी चयन आयोग—अन्य प्राप्तियां—परीक्षा शुल्क" (वेतन और लेखा अधिकारी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा समायोज्य) में जमा कर दें। उम्मीदवार उस कार्यालय से रसीद लेकर आवेदन-प्रपत्र के साथ भेजें।

(2) (क) आवेदन-पत्र देते समय जहां उम्मीदवार नियुक्त है उस कार्यालय अथवा विभाग के प्रधान द्वारा उसकी सेवा पंजिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि में उम्मीदवार का पूरा नाम, पिता का नाम (विवाहित स्त्री कर्मचारी की अवस्था में पति का नाम), नागरिकता, अनुसूचित जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों की अवस्था में उसकी जाति अथवा वर्ग का नाम, ईसवी सन् में जन्म तिथि (शब्द तथा अंक दोनों में) शैक्षणिक योग्यताएं, तथा उम्मीदवार के हस्ताक्षर का नमूना दिया गया हो।

(ख) आवेदन-पत्र देते समय जहां वह नियुक्त है उस कार्यालय अथवा विभाग के प्रधान द्वारा 1-8-1978 से आगे के सेवा विवरणों की प्रमाणित प्रतिलिपि में वेतनमान सहित धारित पद तथा मौलिक, स्थानापन्न, स्थायी अथवा अस्थायी पद का रूप दिया हुआ हो।

टिप्पणी:–आवश्यक होने पर आयोग सेवा पंजिका अथवा अन्य प्रमाणित प्रलेख मांग सकता है।

(3) फोटो की दो प्रतियां—उम्मीदवार को अपने आधुनिक फोटो की पासपोर्ट साईज (लगभग 5 से.मी.×7 से.मी.) की दो समान प्रतियां जिनमें से एक आवेदन-पत्र में दिए गए उचित स्थान पर चिपकानी चाहिए। फोटो की प्रत्येक प्रति पर ऊपर की ओर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों।

(4) शुल्क की छूट और आयु छूट के दावे के पक्ष में नीचे के पैरा 6 के अन्तर्गत वांछित कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि (जहां उपयुक्त हों), आवेदन-पत्र के साथ आवश्य ही प्रस्तुत करनी चाहिए, अन्यथा फीस मांफी अथवा आयु छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र अधूरा या गलत भरा हुआ होगा या उसके साथ ऊपर पैरा 4 के अन्तर्गत कागजात आदि में से कोई एक भी न साथ लगा होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया होगा तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई कागजात आदि आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गए हों और उनके न भेजने का स्पष्टीकरण दे दिया गया हो, तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिए और हर हालत में आवेदन-पत्र भेजने की अंतिम तारीख से 15 दिन के भीतर इस आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा आवेदन-पत्र रद्द किया जा सकता है।

उम्मीदवार को यह भी चेतावनी दी जाती है कि जो भी प्रमाण-पत्र आदि वे प्रस्तुत करें, उनकी किसी भी प्रविष्टि में वे कभी भी कोई शुद्धि या परिवर्तन न करें, न उनमें किसी अन्य प्रकार का फेर बदल करें, और न ही फेर बदल किए गए प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करें। यदि कोई ऐसी अशुद्धि हो अथवा ऐसे दो या अधिक प्रमाण-पत्रों आदि में कोई असंगति हो तो उस असंगति के बारे में अलग से स्पष्टीकरण देना चाहिए।

6. (1) बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से विस्थापित व्यक्ति, जो नियम 4(ग) (2) या 4 (ग)(3) के अन्तर्गत आयु छूट का इच्छुक है, वह निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से प्रमाण-पत्र लेकर उसकी सत्यापित प्रतिलिपि यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत करे कि वह बंगला देश से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, जिसने 1 जनवरी 1964 या उसके पश्चात् स्थापित व्यक्ति है, जिसने 1 जनवरी 1964 या उसके पश्चात्, परन्तु 25 मार्च, 1971, से पहले भारत में प्रवेश किया है:—

(1) दण्डकारण्य प्रयोजना के पारगमन केन्द्रों के कैम्प कमांडेंट अथवा विभिन्न राज्यों के सहायता केन्द्रों के कैम्प कमांडेंट;

(2) जहां उम्मीदवार इस समय रहता है उस स्थान के जिला मजिस्ट्रेट;

(3) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास से सम्बद्ध अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट;

(4) सम्बन्धित सब-डिवीजन का सब-डिवीजनल अफसर; तथा

(5) पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी पुनर्वास उप-आयुक्त/कलकत्ता में निदेशक (पुनर्वास)

यदि वह विज्ञप्ति के पैरा 5(3) के अन्तर्गत शुल्क की छूट चाहता है तो उसे किसी जिला अधिकारी से अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से अथवा संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य से लेकर एक मूल प्रमाण-पत्र भी यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है। यह प्रमाण-पत्र उम्मीदवार को वापस नहीं किया जाएगा।

(2) बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूल भारतीय जो विज्ञप्ति के पैरा 5(3) के अन्तर्गत फीस मांफी और/अथवा नियमों के पैरा 4(ग) (4) या 4(ग) (5) के अन्तर्गत आयु छूट का इच्छुक है वह श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन से मूल प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह एक भारतीय नागरिक है और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका के समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या इसके पश्चात् भारत में प्रवेश किया है। यदि वह फीस से छूट चाहता है तो वह एक मूल-प्रमाण-पत्र जिला अधिकारी, सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा संसद सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य से प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह निर्धारित फीस देने की स्थिति में नहीं है। यह प्रमाण-पत्र उम्मीदवार को वापस नहीं किया जाएगा।

(3) बर्मा से प्रत्यावर्तिय मूल भारतीय जो विज्ञप्ति के पैरा 5 (3) के अन्तर्गत फीस की छूट और/अथवा नियमों के पैरा 4(ग) (8) या 4(ग)(9) के अन्तर्गत आयु छूट चाहता है वह रंगून में भारतीय दूतावास से मूल परिचय प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह एक भारतीय नागरिक है और 1 जून, 1963 को अथवा इसके पश्चात् भारत में प्रवेश किया है, अथवा जहां वह रहता है उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को अथवा उसके पश्चात् भारत में प्रवेश किया है। यदि वह फीस से छूट चाहता है तो वह एक मूल प्रमाण-पत्र जिला अधिकारी, सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा संसद सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य से प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि निर्धारित फीस देने की स्थिति में नहीं है। यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त देशों से प्रत्यावर्तित वास्तविक व्यक्ति है।

(4) कीनिया, उगान्डा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका तथा जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे तथा इथियोपिया से प्रत्यावर्तित व्यक्ति जो नियम 4(ग)(6) या (7) के अधीन आयु में छूट का दावा करे वह जहां रहता है उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से मूल प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह उपर्युक्त देशों से प्रत्यावर्तित वास्तविक व्यक्ति है।

(5) जो उम्मीदवार प्रतिरक्षा सेवाओं में रहते हुए विकलांग (अंगहीन) हो गया है और नियम 4(ग)(10) या 4 (ग)(11) के अधीन आयु में छूट चाहे वह महानिदेशक, पुनर्वास प्रतिरक्षा मंत्रालय से मूल प्रमाण-पत्र की एक प्रामाणित प्रतिलिपि नीचे दिए गए फार्म में प्रस्तुत करे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में सैनिक सेवा करते हुए विकलांग हुआ जिसके परिणामस्वरूप उसे मुक्त कर दिया गया है।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

यूनिट

रैंक नं.

विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में सैनिक सेवा करते हुए फौजी कार्रवाई में विकलांग हुआ जिसके परिणामस्वरूप उसे मुक्त किया गया।

हस्ताक्षर ------------
नाम-------------
पदनाम--------------
दिनांक -----------

*जो लागू न हों उन्हें काट दें।

(6) नियम 4(ग)(12) अथवा 4(ग)(13) के अन्तर्गत आयु-सीमा में रियायत चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा दल से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रति यह दिखाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए, 1971 के भारत-पाक संघर्ष में विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट
के रैंक नं.
श्री
सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत-पाक संघर्ष में विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर -------------------
नाम -------------------..
पदनाम -------------------
तारीख -------------------

7. उम्मीदवारों को उक्त पैरा 6 में उल्लिखित अपने प्रमाण-पत्रों की प्रतियां किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा स्वयं द्वारा प्रमाणित करके, अपने आवेदन-पत्रों के साथ भेजनी है।

8. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने आवेदन-पत्रों के आयोग में प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कर लें:—

(1) पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट;

(2) फोटो की एक अतिरिक्त प्रति (फोटोग्राफ की दूसरी प्रति आवेदन-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर चिपकानी है);

(3) विधिवत भरा हुआ आवेदन-पत्र;

(4) आवेदन करते समय वह जिस विभाग अथवा कार्यालय में नियुक्त हो उसके प्रधान द्वारा अपनी सेवा-पंजिका के प्रथम पृष्ठ की अधिप्रमाणित स्वच्छ प्रति;

(5) आवेदन करते समय जिस विभाग अथवा कार्यालय में काम कर रहा हो, उसके प्रधान द्वारा दिनांक 1-8-80 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान उसकी सेवा-विवरणों की अधिप्रमाणित स्वच्छ प्रति;

(6) यह दिखाते हुए कि उम्मीदवार बर्मा, श्रीलंका, बंगला देश इत्यादि से प्रत्यावर्तित है—प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति;

(7) यदि उम्मीदवार चाहे कि उसके सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क माफ कर दिया जाए तो यह दिखाते हुए कि उम्मीदवार फीस दे सकने की स्थिति में नहीं है—प्रमाण-पत्र;

(8) कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो उम्मीदवार भेजना चाहता हो।

9. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत करने का यह बहाना स्वीकार नहीं होगा कि आवेदन-पत्र का फार्म ही अमुक तारीख को मिला। वस्तुतः आवेदन-पत्र की प्राप्ति से प्राप्तकर्ता परीक्षा में प्रवेश के योग्य नहीं बन जाता ।

10. यदि किसी उम्मीदवार को जिसने अपना आवेदन-पत्र डाक द्वारा भेजा हो, आवेदन-पत्र जमा करवाने की अन्तिम तारीख से 15 दिन तक अपने आवेदन-पत्र का पावती पत्र न मिले तो उसे तत्काल आयोग से सम्पर्क करना चाहिए।

11. इस परीक्षा में प्रविष्ट किए गए हर उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। परन्तु यह बताना संभव नहीं कि सूचना कब भेजी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा आरम्भ होने की तारीख से एक महीने पहले तक उसके आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में कर्मचारी चयन आयोग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता तो उसे परिणाम के लिए शीघ्र आयोग से सम्पर्क करना चाहिए। इस उपबन्ध के अनुपालन न करने पर उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित रह जाएगा।

12. उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से कोई भी यात्रा भत्ता पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

13. सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गत-वर्षों में ली गई श्रेणी ग आशुलिपि सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के नियमों और प्रश्न पत्रों से संबद्ध पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110006 के द्वारा की जाती है और उन्हें वहां से केवल मेल आर्डर द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (1) किताब महल, स्टेट एम्पोरिया बिल्डिंग, बाबा खड्ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110001 (2) प्रकाशन शाखा का बिक्री काउन्टर, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011, और (3) गवर्नमेंट आफ इंडिया बुक डिपो 8, के.एस. राय मार्ग, कलकत्ता–1 से भी नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी प्राप्त की जा सकती है।

14. पते में परिवर्तन:—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते को भेज दिया जाया करे। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को सूचना मोटे अक्षरों में रोल नम्बर सहित छः पर्चियों पर लिखित नए पते के साथ विज्ञप्ति के पैरा 7 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तन पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में यह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 31st March 1981

No. F. 6/81-SCA(I).—The Hon'ble the Chief Justice of India has appointed Shri B. S. Mehta, Permanent Private Secretary of Delhi High Court as an officiating Private Secretary to Hon'ble Judge in this Registry with effect from the forenoon of March 31, 1981, until further orders.

2. The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Mrs. Vijay Laxmi Kapur, Offg. Stenographer as Offg. P.A. to Registrar, Supreme Court of India, with effect from the forenoon of March 28, 1981 to April 11, 1981 *vice* Shri Shyam Lal Sharma, granted leave, until further orders.

The 6th April 1981

No. F. 6/81-SCA(1).—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Shri R. D. Sharma, Offg. Stenographer as Offg. Court Master with effect from the forenoon of April 6, 1981 to April 30, 1981 *vice* Shri I. J. Sachdeva, Offg. Court Master granted leave, until further orders.

2. The Hon'ble the Chief Justice of India has also permitted Mrs. Krishna Bala Sood, Stenographer who is at present Offg. as Private Secretary to Hon'ble Judge upto 30-4-81 in the leave vacancy of Shri P. S. Sharma, Offg. Private Secretary, to continue to officiate as Court Master with effect from May 1, 1981 to May 8, 1981 in the leave vacancy of Shri I. J. Sachdeva, Offg. Court Master until further orders.

NIKO RAM
Assistant Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 30th March 1981

No. A. 32012/1/81-Admn. II.—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appointed Shri K. R. P. Nair, a permanent Senior Research Officer of the office of Union Public Service Commission to officiate as Officer on Special Duty (Lang). in the Commission's office on an *ad hoc* basis for the period from 19-2-1981 to 18-5-1981, or until further orders, whichever is earlier.

P. S. RANA
Section Officer
for Chairman
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 31st March 1981

No. M-83/67-Ad. V.—Consequent upon his permanent absorption in the National Textile Corpn. Ltd., with the approval of Department of Personnel & Administrative Reforms vide letter No. 202/68/80-AVD-II dated 12-2-1981, the lien held by Shri M. P. Singh in the post of Deputy Legal Adviser, Central Bureau of Investigation is hereby terminated with effect from 1-11-1980.

No. N-2/69/AD-V.—In supersession of this Office Notification of even number dated 7-2-81 the President is pleased to extend the service of Sh. N. S. Mathur, Dy. Legal Adviser in the CBI who attained the age of 58 years on 31-1-1981 for a period of 5 months w.e.f. 1-2-1981 to 30-6-1981.

The 4th April 1981

No. S-1771-Ad. V.—The President is pleased to appoint Sh. S. R. Pande, Public Prosecutor, CBI/SPE on promotion as Sr. Public Prosecutor CBI/SPE on *ad hoc* basis for a period of three months with effect from the forenoon of 23-3-1981 or till a regular appointee becomes available, whichever is earlier.

Q. L. GROVER
Administrative Officer (E)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110022, the 31st March 1981

No. F. 11/41/80-Estt(CRPF).—This Directorate General, CRPF Notification of even No. dated 27-1-1981 is hereby cancelled.

No. F. 11/24/80-Estt.(CRPF).—Shri Y. N. Saxena, IPS (UP : 1959), DIGP, CRPF, Hyderabad is appointed to hold additional charge of the post of DIGP, CRPF, Kohima from 5-5-1980 to 12-9-1980 (AN) in terms of the provisions of FR-49(iii).

No. F. 11/41/80-Estt(CRPF).—Shri T. Tripathy, DIGP, CRPF, Ajmer is appointed to hold additional charge of the post of DIGP, CRPF Gauhati w.e.f. 25/7/80 (AN) to 14-9-80.

The 4th April 1981

No. O. II-1572/81-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Sadanand Kumar as General Duty Officer Grade-II (Dy. SP/Coy. Commander) in the CRP Force in a temporary capacity with effect from 18th March 1981 (FN) subject to his being Medically fit.

A. K. SURI
Assistant Director (Estt.)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-19, the 31st March 1981

No. E-16013(1)/1/80-PERS.—On transfer from Durgapur, Shri V. P. KAPUR, IPS (UP : 61) assumed the charge of the post of Dy. Inspector-General (N&W Zone), CISF, New Delhi with effect from the forenoon of 23rd March, 1981.

The 2nd April 1981

No. E-38013(3)/9/80-PERS.—On transfer from Durgapur Shri G. D. Rai assumed the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF Unit, Haldia Dock Complex, Haldia with effect from the forenoon of 27th January 1981.

No. E-38013(3)/12/80-PERS.—On transfer from Rourkela, Shri S. K. VERMA, assumed the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF Unit, HEC Ltd. Ranchi with effect from the forenoon of 11th March 1981.

No. E-38013(3)/12/80-PERS.—On transfer to Ranchi, Shri S K. VERMA relinquished the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF Unit, RSP Rourkela with effect from the afternoon of 28th February 1981.

No. E-16013(1)/1/80-PERS.—On transfer on deputation, Shri R. K. NIGAM IPS (WB : 1962) assumed the charge of the post of Dy. IG & COS, CISF, Durgapur Steel Plant, Durgapur with effect from the afternoon of 11-3-81 vice Shri V. P. Kapur, IPS (UP : 1961) who on his transfer to New Delhi relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

Sd. ILLEGIBLE
Director General, CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 7th April 1981

No. 10/29/80-Ad. I—The President is pleased to appoint, on deputation, the under-mentioned officers working in the office as mentioned against them, to the post of Assistant Director (Data Processing) in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period not exceeding one year, with effect from the date(s) as mentioned against their names *or* till the posts are filled in, on a regular basis, whichever period is shorter :—

S. No.	Name of the officer	Designation	Office in which working	Date of appointment
1.	Shri G. C. Mishra	Assistant Director of Census Operations (Technical) (*ad-hoc*)	Director of Census Operations, Bihar, Patna	24-2-81 (FN)
2.	Shri B. M. Patel	Investigator	Director of Census Operations, Gujarat, Ahmedabad	20-2-1981 (FN)
3.	Shri A. G. Oak	Investigator	Director of Census Operations, Madhya Pradesh, Bhopal.	22-2-1981 (FN)

2. The headquarters of S/Shri Mishra, Patel and Oak will be at Patna, Ahmedabad and Bhopal respectively.

3. The appointment, on deputation, of the above-mentioned officials to the posts of Assistant Director (Data Processing) will be governed under the terms and conditions of deputation as contained in the Ministry of Finance O.M. No. F. 1(11) E. III(B)/75 dated 7-11-1975.

No. 11/15/80-Ad. I.—The President is pleased to appoint, on deputation, Shri P. Vasudeva, an officer belonging to the Karnataka Civil Service, as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Karnataka, Bangalore, on a purely temporary and *ad hoc* basis, with effect from the afternoon of the 3rd March, 1981, for a period not exceeding one year *or* till the post is filled in, on a regular basis, whichever period is shorter.

2. The headquarters of Shri Vasudeva will be at Hassan.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

DIRECTORATE OF PRINTING

New Delhi, the 14th April 1981

No. D(47)/AII.—The Director of Printing is pleased to appoint Shri Vinod Dhavan to officiate as Assistant Manager (Admn.), in the Govt. of India Press, Aligarh in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the forenoon of 24th March, 1981 until further orders.

H. C. SHARMA, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)
SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad, the 27th March 1981

No. 7(48)/124.—In continuation of this office Notification No. 7(48)/789 dated 15-4-1980 the *ad hoc* promotion of Shri G. R. Bilgotra as Administrative Officer is hereby extended up to 14-4-1981 or till regular appointment thereto is made, whichever is earlier.

O. P. SHARMA
Project Officer

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT COMMERCE WORKS & MISC. NEW DELHI

New Delhi, the 19th March 1981

No. Admn. I/2(1)/VI/269.—The Director of Audit, CW&M, New Delhi has ordered the promotion of the following Section Officers as temporary Audit Officers on provisional basis in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/- with effect from the date indicated against each :—

Name & Date from which promoted.

S/Shri
1. G. S. Minhas—17-11-1980 (FN)
2. K. N. Ramamurthy—31-12-1980 (FN)
3. K. S. Nirwan—31-12-1980 (FN)
4. H. L. Talwar—15-1-1981 (FN)
5. M. K. Bhattacharya—7-1-1981 (FN)
6. M. L. Lamba—26-2-1981 (FN).

A. THAPAN
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 4th April 1981

No. Admn. I/8-132/80-81/5.—The Accountant General Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri A. Narayana Rao I, a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/- with effect from 25-3-1981 (AN) until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors and is also subject to the result of writ petitions pending in the A.P. High Court/Supreme Court.

No. Admn. I/8-132/80-81/5.—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Sri Ch. V. Cholapathi, a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200/- with effect from 25-3-1981 (AN) until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors and is also subject to the result of the writ petitions pending in the A.P. High Court/Supreme Court.

Sd./ILLEGIBLE
Senior Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I MADHYA PRADESH

Gwalior, the 1st April 1981

No. Admn. I/PF-JKA/531.—Shri J. K. A. Choudhary (01/0066) a permanent Accounts Officer is retired from Government Service with effect from 31-3-1981 (afternoon) on attaining the age of superannuation.

D. C. SAHOO
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-16, the 30th March 1981

No. 14/81/G.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Munni Lal, Offg. Deputy Manager (Permt. & Subst. Assistant Manager) with effect from 26th June, 1979.

V. K. MEHTA
Assistant Director General Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 31st March 1981

IMPORT AND EXPORT CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1161/76-Admn(G)/2172.—The President is pleased to appoint Shri Mahendra Pratap Singh, an officer of the Uttar Pradesh (Civil) Judicial Service and Deputy Legal Adviser in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi as Legal Adviser in the same office on *ad hoc* basis for a further period of one year with effect from 15th November, 1980 to 14th November, 1981 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

MANI NARAYANSWAMI
Chief Controller of Imports and Exports

(DEPARTMENT OF TEXTILES)

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 10th April 1981

CORRIGENDA

No. CLB1/4/12-B/1980/Vol. VIII/411.—In this Office notification No. CER/3/80 dated the 23rd Dec. 1980, published in the Gazette of India Part III-Sec. 1 on page 671, weekending January 17, 1981, the Corrections occuring therein are rectified as under :—

In 2nd line of 1st para :—

for '(controller)' *read* '(control)'

In 4th line of 2nd para :—

for 'IID' *read* 'IIID'

M. M. GANDHI
Assistant Drector

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 30th March 1981

No. 12/97/61-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri A. N. Ghosh, Director (Gr. I)(Electrical) in the Office of Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi as Industrial Adviser (Ancillary) in the same office with effect from the forenoon of 18th March, 1981 until further orders.

The 3rd April 1981

No. A-19018(475)/80-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri Asim Kumar Sarkar as Assistant Director (Gr. I)(Industrial Management & Training) at Small Industries Service Institute, Patna with effect from the forenoon of 11th March, 1981, until further orders.

C. C. ROY
Deputy Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 1st April 1981

No. A-1/1(291).—Shri S. K. Roy, permanent Director of Supplies and officiating as Deputy Director General in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 1981 on attaining the age of superannuation.

M. G. MENON
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

New Delhi-1, the 31st March 1981

No. A-1/1(1168).—The President is pleased to appoint Shri Yogendra Kumar, a candidate nominated by the Union Public Service Commission on the results of the Engineering Services Examination, 1979, on probation for a period of two years in Grade III of Indian Supply Service, Group 'A' with effect from the forenoon of 2nd March, 1981 and until further orders.

2. Shri Yogendra Kumar assumed charge of the post of Asstt. Director (Grade I) (Trainee) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi with effect from the forenoon of 2nd March, 1981.

The 1st April 1981

No. A-1/1(1165).—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Bhasin, a candidate recommended by the Union Public Service Commission, on probation for two years to the post of Assistant Director (Sales Tax) (Grade I) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi with effect from the forenoon of 11th March, 1981 and until further orders.

M. G. MENON
Deputy Director (Administration)

MINISTRY OF STEEL & MINES

DEPARTMENT OF STEEL

IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-20, the 4th April 1981

No. EI-2(3)/75.—Iron & Steel Controller hereby appoints Shri Deb Prasad Roy, Superintendent on promotion to officiate in the post of Assistant Iron & Steel Controller in this Office w.e.f. 1-4-1981 (F.N.).

S. N. BISWAS
Joint Iron & Steel Controller

(DEPARTMENT OF MINES)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 31st March 1981

No. 1754B/A-19012(3-AKG)/80-19B.—Dr. Anindya Kumar Gupta is appointed as Assistant Chemist in the Geological Survey of India in the minimum of the pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 27-1-1981 until further orders.

No. 1780B/A-19012(3-VNP)/80-19B.—Shri V. N. Pracheta, STA(Chem.) is appointed to the post of Asstt. Chemist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a

temporary capacity with effect from the forenoon of the 28-1-81 until further orders.

V. S. KRISHNASWAMY
Director General

NEWS SERVICES DIVISION : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 7th January 1981

No. 21(T-41)/79-S (Part-II).—In accordance with para 3 of this office oller No. 1(10)77-S dated 23-6-1977, I, Shri B. N. Srivastava, Deputy Director of Adminsitration, News Services Division, All India Radio, New Delhi hereby give one month's notice of termination of service of Shri Mangey Lal, Motor Driver from today the 15th December, 1980. On the expiry of this notice his service stands terminated w.e.f. the afternoon of 14th January, 1981.

He should deposit all Govt. articles in his possession to the office on or before 14-1-1981.

B. N. SRIVASTAVA
Deputy Director of Administration
for Director of News Services, AIR

Shri Mangey Lal,
Motor Driver,
NSD : AIR : New Delhi

Home Address :
5 A Gali No. 9
H. No. 11038,
WEA Satnagar, Karol Bagh,
New Delhi-110005

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 3rd April 1981

No. A. 12025/2/80-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri Madhusudan Kushary as Senior Artist in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28th March, 1981, until further orders.

No. A. 12034/7/81-Est.—Consequent on his attaining the age of superannuation, Shri G. R. Verma, Section Officer of this Directorate retried from Government service on the afternoon of 31st March, 1981.

The 6th April 1981

No. A. 12026/21/80-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri U. C. Satyawadi, Accounts Officer of the office of the Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance (Department of Expenditure), as Accounts Officer in the Directorate of Advertising & Visual Publicity on deputation terms with effect from the forenoon of 1st April 1981, until further orders.

J. R. LIKHI
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 31st March 1981

No. A. 19019/25/80-Admn. I.—Consequent on her proceeding on foreign assignment with the Government of Iraq, Dr. (Smt.) Daya V. Sangal, relinquished charge of the post of Lecturer in Dentistry at Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi on the afternoon of 23rd February, 1981.

SANGAT SINGH
Deputy Director Administration (E)
Directorate General of Health Services

New Delhi, the 4th April 1981

No. A. 19018/23/80-CGHS. I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Mrs. Raj Rani Grover to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme on temporary basis with effect from the forenoon of 9-3-1981.

No. A. 19018/26/80-CGHS. I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Mrs. Raj Luxmi Raheja to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme on temporary basis with effect from the forenoon of 9-3-1981.

T. S. RAO
Dy. Director Admn. I (CGHS)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-85, the 27th March 1981

No. PA/76(2)/80-R-III.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri T. K. Ramamurthy, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer on *ad hoc* basis for the period from December 29, 1980 (FN) to February 6, 1981 (AN).

The 30th March 1981

No. PA/19(1)/80-R-IV(II).—On relief from the office of the Executive Engineer (Electrical), Indoro Central Electrical Division, Central Public Works Department, Indore, Shri L. S. Narvekar, quasi-permanent Junior Engineer (Electrical) has assumed charge of the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB in Technical Services Divisoin of BARC in a temporary capacity with effect from the forenoon of March 17, 1981 until further orders. Appointment of Shri Narvekar in BARC has the approval of Director, BARC.

A. SANTHAKUMARA MENON
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Anushakti-323303, the 1st April 1981

No. RAPP/Rectt./7(9)/81/S/3.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project hereby appoints Shri G. S. Rathore, a permanent Lower Division Clerk of Central Pool of Power Projects Engineering Division and Officiating Assistant Accountant to officate as Assistant Accounts Officer in a temporary capacity in the Rajasthan Atomic Power Project with effect from the forenoon of 10-3-1981 until further orders.

GOPAL SINGH
Administrative Officer (E)
for Chief Project Engineer

Anushakti-323303, the 31st March 1981

No. RAPP/04627/1(413)/81/S/Admn/632.—Consequent on his retirement on attaining the age of superannuation Shri L. J. Taylor, a permanent Foreman in Bhabha Atomic Research Centre and officiating as Scientific Officer/Engineer Grade SB in this Project relinquished charge of his post on March 31, 1981 (afternoon).

GOPAL SINGH
Administrative Officer (E)

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 2nd April 1981

No. AMD-1/38/80-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Arun Kumar Singh as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of March 2, 1981 until further orders.

The 3rd April 1981

No. AMD-1/6/80-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri

Rajan Babu Jain as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of March 24, 1981 until further orders.

The 6th April 1981

No. AMD-1/38/80-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Devendra Pal Singh Rathore as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of April 1, 1981 until further orders.

No. AMD-1/38/80-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri A. Premadas as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of April 1, 1981 until further orders.

M. S. RAO
Sr. Administrative & Accounts Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 2nd April 1981

No. 05052/81/1529.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Vasant Krishna Mahagaonkar, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant of Heavy Water Projects (Central Office) to officiate as Assistant Accounts Officer, w.e.f. March 7, 1981 (FN) in the same office, in a temporary capacity until further orders.

SMT. K. P. KALLYANIKUTTY
Administrative Officer

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam-603102, the 18th March 1981

No. A. 32014/2/81/3153.—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints the under mentioned officials of this Centre as temporary Scientific Officers/Engineers Grade SB in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- with effect from February 1, 1981 until further orders :—

Sl. No. Name and Present Status

1. Shri K. K. Bhaskaran—Permanent SA/B and Officiating SA/C.
2. Shri P. V. Thomas—QP SA/B and Officiating SA/C.

S. PADMANABHAN
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th March 1981

No. A. 38013/1/81-EA.—Shri Harsaran Singh, Aerodrome Officer, Delhi Airport, Palam, retired from Government Service on the 30th November, 1980 (AN) on attaining the age of superannuation.

No. A. 38013/1/81-EA.—Shri Kavi Raj Singh, Air Safety Officer, Office of the Director General of Civil Aviation, retired from Government service on the 28th February, 1981 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. GUPTA
Deputy Director of Administration

New Delhi, the 3rd April 1981

No. A.32013/11/79-EC.—The President is pleased to appoint Shri T. R. Seshadri, Technical Officer, Aeronautical Communication Station Bombay to the grade of Senior Technical Officer on *ad-hoc* basis for a period of six months with effect from 17-2-81 (FN) and to post him in the same office.

No. A.32013/3/80-EC.—In continuation of this Department Notification No. A.32013/3/80-EC, dated 16th October 1980, the President is pleased to sanction the continuance of *ad-hoc* appointment of the following two officers in the grade of Communication Officer for a further period upto 31st March 1981 beyond the dates mentioned against each or till the regular appointments to the grade are made, whichever is earlier :—

S. No.	Name	Present Station of posting	Beyond the date
1.	Shri S.R. Sethi	Aero. Comm. Station Nagpur	30-9-80
2.	Shri V.N. Iyer	Aero. Comm. Station, Madras	30-9-80

2. The President is also pleased to sanction the continuance of *ad-hoc* appointment of Shri M. P. K. Pillai, Assistant Communication Officer to the grade of Communication Officer A.C.S. Bangalore beyond 30th September 1980 and upto 30th November 1980 (AN), the date when he retired from Government service on attaining the age of superannuation.

No. A.38015/21/80-EC.—Shri D. S. Shrivastava, Technical Officer in the office of the Aeronautical Communication Station, Palam relinquished charge of office on retirement on 31st July 1980 under the provisions of F.R. 56(k).

The 6th April 1981

No. A.32013/1/80-ES.—In continuation of this Department Notification No. A.32013/1/80-ES, dated 25th August 1980, the President is pleased to sanction the continued *ad hoc* appointment of S/Shri L. N. Lall and M. L. Nagar in the grade of Assistant Director of Air Safety/Sr. Air Safety Officer (Engg.) beyond 9th December 1980 and upto 31st May 1981 or till the regular appointments to the grade are made, whichever is earlier.

V. JAYACHANDRAN
Asstt. Director of Administration

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Patna, the 4th April 1981

No. II(7)2-ET/79/2929.—The following Confirmed/ Officiating Superintendent, Group 'B' of this Collectorate have retired from service on superannuation with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of Officer	Designation	Date of superannuation
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	A. K. Ganguli	Superintend, Group 'B'	30-9-80 (A.N.)
2.	Ahmad Basir	Superintendent, Group'B'	30-11-80 (A.N.)
3.	Nathuni Pandey	Superintendent, Group 'B'	31-12-80 (A.N.)
4.	Jawala Pd. Singh	Superintendent, Group 'B'	31-1-81 (A.N.)
5.	U. S. Dubey	Superintendent, Group 'B'	31-1-81 (A.N.)
6.	C. M. Saffiullah	Superintendent, Group 'B'	31-1-81 (A.N.)
7.	Md. E. Haque	Superintendent, Group ,B'	31-1-81
8.	C. S. Jha	Superintendent, Group 'B'	(A.N.)

1	2	3	4
9.	Ram Janam Mishra	Superintendent, Group 'B'	31-1-81 (A.N.)
10.	Babuaji Jha	Superintendent, Group 'B'	28-2-81 (A.N.)
11.	C. S. Sinha	Superintendent, Group 'B'	28-2-81 (A.N.)

SURJIT SINGH
Collector
Central Excise, Patna

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF COAL

COAL MINES WELFARE ORGANISATION

Dhanbad, the 1st April 1981

S.O. No. B.8(2)/75.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1)(b) of Rule 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, the Coal Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee hereby appoints the General Manager, Area VI, Ukhra Area, P.O. Ukhra, Dist. Burdwan, Addl. Chief Engineer (Civil), Eastern Coalfields Ltd., Sanctoria, P.O. Disergarh, Burdwan, General Manager, Area No. XII, P.O. Barakar, Dist. Burdwan and Chief Engineer, Public Health Engineering Directorate, Government of West Bengal, Calcutta, as persons nominated by the Department of Coal, Ministry of Energy, New Delhi and by the Government of West Bengal, Public Health Engineering Directorate, to be members representing the Employers and Co-opted member on the West Bengal Coalfield Sub-Committee constituted with this office Notification No. P.8(6)/75, dated 13th February 1973 and subsequent amendments made therein vice Sub-Area Manager, Bharat Coking Coal Ltd., Chanch Group, P.O. Barakar, Burdwan, Shri N. Mitra, Shri Asha Singh of C.H.A. Ltd. and Dr. G. C. Sen and further makes the following amendment in the said notification namely:—

2. In the said Notification Under Column 1 against Serial Numbers 4, 5, 6 and 10 and for the entries. "The Sub-Area Manager, Bharat Coking Coal Ltd., Chanch Victoria Group, Shri N. R. Mitra, Shri Asha Singh and Dr. G. C. Sen", "General Manager, Area VI, Ukhra Area, Addl. Chief Engineer (Civil), Eastern Coalfields Ltd., Sanctoria, General Manager, Area No. XII, P.O. Barakar, Burdwan, Chief Engineer, Public Health Engineering Directorate, Government of West Bengal, Calcutta" shall be substituted.

S.O.P. 8(5)67.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1)(b) of Rule 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, the Coal Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee hereby appoints the Dy. Labour Commissioner, Bokaro Steel City, Bokaro, (ii) Addl. Chief Engineer (C), Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhawan, Dhanbad, (iii) Personnel Manager (Legal), Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhawan, Dhanbad and (iv) General Manager, Area No. VIII, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Mugma, Dist. Dhanbad as persons nominated by the State Government of Bihar and Department of Coal, Ministry of Energy, New Delhi as members of the Jharia & Mugma Coalfield Sub-Committee constituted in this office Notification No. P.8(5)/67 dated 28th November 1973 *vice* Dy. Commissioner of Labour (Welfare), Bihar, Patna, and S/Shri T. Ghosh and S. N. Basu, Bharat Coking Coal Ltd., and the General Manager, Area No. VIII, Eastern Coalfields Ltd., Mugma and further makes the following amendment in the said Notification namely :—

In the said Notification under Column 1 against Serial Numbers 2, 4, 5 & 6 for the entries "The Dy. Commissioner of Labour (Welfare), Bihar, Patna, the General Manager, Area No. VIII, Eastern Coalfields Ltd., Mugma, S/Shri T. Ghosh and S. N. Basu, Bharat Coking Coal Ltd." the words "the Dy. Labour Commissioner, Bokaro Steel City, Addl. Chief Engineer (C), Bharat Coking Coal Ltd., Personnel Manager (Legal), Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhawan, Dhanbad and the General Manager, Area No. VIII, Eastern Coalfields Ltd., Mugma" shall be substituted.

D. PANDA
Commissioner
Coal Mines Welfare Organisation

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110022, the 1st April 1981

No. A-19012/908/81-E-V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer (Eng.) on purely temporary and ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810 EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 for a period of six months or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier with effect from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name of Officer with designation	Date of assumption of charge as EAD/AE	Where posted
	S/Shri		
1.	C. S. Seshadri, Supervisor	10-11-1980 (AN)	Jagdalpur Gauging Sub-division, Jagdalpur.
2.	V. A. Sathiarajan, Design Assistant	22-12-1980 (AN)	(R.D. (JRC) Investigation Circle, New Delhi.
3.	P. Prabhakaran, Supervisor	25-1-1981 (FN)	M.O.T. Sub-division CWC, Kolhapur under Poona Gauging division, Poona.
4.	O. P. Singh, Supervisor	2-2-1981 (FN)	W.R. & F.F. Sub-division, Varanasi.
5.	M. K. Nair, Supervisor	10-3-1981 (FN)	P&P Directorate Sewa Bhawan.
6.	M. K. Dhar, Supervisor	13-3-1981 (FN)	Irrigation Directorate, Sewa Bhawan.

A. BHATTACHARYA
Under Secy.,
Central Water Commission

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 1st April 1981

No. 27-S/M(6)/70-EC.II.—The President is pleased to accept the notice dated 1st October 1980 given by Shri K. K. Mohan Babu, Superintending Engineer, C.P.W.D., to retire voluntarily from service with effect from the date of issue of this notification.

JAGDISH PARSHAD
Dy. Director of Admn.
for Director General of Works

New Delhi, the 1st April 1981

No. 33/1/78-ECIX.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Meshram a nominee of the Union Public Service Commission against the temporary post of Deputy Architect (C.C.S. Group A) in the Central Public Works Department on a pay of Rs. 700/- P.M. in the scale of Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (plus usual allowances) with effect from 20th March 1981 (AN) on the usual terms and conditions. His pay will be refixed accordingly to rules shortly.

Shri Meshram is placed on probation for a period of two years with effect from 20th March 1981 (AN).

MRS. NEENA GARG
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and M/s. Abu Road Railway Co-operative Association Ltd. (In Liquidation)

Jaipur-6, the 6th April 1981

No. Liqn/22.—Whereas M/s. Abu Road Railway Co-operative Association Limited, (In Liqn.) having its registered office at Abu Road (Rajasthan).

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that the affairs of the company have been completely wound up and that the Liquidator's statement of account required to be made by Liquidator has not been made for a period of six consecutive months.

Now, therefore, in pursuance of provisions of Sub-section (4) of Section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956). notices hereby given that on expiration of three months from the date of this notice the name of M/s. Abu-Road Railway Co-operative Association Ltd. (In Liqn.) unless cause is shown to contrary be struck off the register and the company will be dissolved.

S. P. DIXIT
Registrar of Companies
Rajasthan, Jaipur

In the Matter of Companies Act, 1956 and of Shahjahanpur Sugar Pvt. Limited

Kanpur, the 30th March 1981

No. 5552|3718 L.C.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the Shahjahanpur Sugar Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

V. P. KAPOOR
Registrar of Companies, U.P., Kanpur

In the Matter of Companies Act, 1956 and of S.A. Misri & Company Private Limited

Bombay, the 30th March 1981

No. 1359/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. A. Misri & Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Shamrock Products Private Limited

Bombay-2, the 30th March 1981

No. 469-5472/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the Shamrock Products Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Beeta Chem Private Limited

Bombay-2, the 30th March 1981

No. 617-12141/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the Beeta Chem Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Swastik Properties Private Limited

Bombay-2, the 2nd April 1981

No. 15302/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the Universal Nuts and Bolts Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off ter and the said company will be dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Universal Nuts and Bolts Private Limited

Bombay-2, the 2nd April 1981

No. 15458/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date thereof the name of the Universal Nuts and Bolts Private Limited, unless causes is shown to the countrary. will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 and of Handy Angle (India) Private Limited

Bombay-2, the 4th April 1981

No. 605/12298/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Handy Angle (India) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

O. P. JAIN
Addl. Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of Baruipore Kachari Bazar Private Limited

Calcutta, the 31st March 1981

No. 28071/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Baruipore Kachari Bazar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the Matter of Companies Act, 1956 and of Hable Construction Private Limited

Calcutta, the 31st March 1981

No. 31437/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Hable Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

A. B. BISWAS
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX (CADRE CONTROL AUTHORITY)

Kanpur, the 31st March 1981

ORDER

Establishment—Central Services-Group 'B'—Gazetted-Income-tax Officer—Promotion Transfer and Posting of—

No. 144.—The following Inspector of Income-tax are appointed to officiate as Income-tax Officer (Group 'B') in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from his taking over the charge and until further orders. He will be liable to reversion in case it is subsequently found that his appointment have been made in excess of the vacancies available. His service, on promotion is placed at the disposal of the Commissioner of Income-tax indicated against him :—

Sl. No., Name of the official and Services placed at the disposal of C.I.T.

1. Shri M. L. Keral, Mainpuri—AGRA.

The Commissioner of Income-tax, Agra will please issue his posting order.

B. GUPTA
Commissioner of Income-tax
(Cadre Control Authority) Kanpur

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 25th March 1981

Ref. No. IAC/CA5/SR. Kalyan/Aug. 80/510/80-81—Whereas I, SHRI A. C. CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 21A 1/2—C. S. No.2337A & S. No. 119 C/2 C.S. No. 2338 A/1 situated at Ali No. 34 N. No. 42(1) Kalyan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfererd under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kalyan Dist. Thane 29-8-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Sitaram S. Mandhane &
2. Shri Pallavi Enterprises
At Kalyan;
Distt. Thane.

(Transferor)

(2) Shri Vina yak N. Joshi
Secretary
M/s Pallavi Co-op. Housing Society Ltd.
At Kalyan
Agra Road
Pallivi Co-op. Hsg. Soc. Ltd.,
Dist. Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression uesd herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Kasbe Kalyan Tal. Kalyan (1) Out of S. No. 121A 1/2—C.S. No. 2337A area 16·72 sq. mts. (2) Out of S. No. 119C/2—C.S. No. 2338A/1 area 610·28 sq. mts. Ali No. 34 H. No. 42 (1) with a building thereon Dist. Thane.

(Property as described in the sale-deed register under document No. 90 dt. 29-8-1980 in the office of the Sub-Registrar Kalyan).

A. C. CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Poona

Date : 25-3-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, ANJIPARAMBIL BLDGS., ANAND BAZAR, COCHIN-682 016

Cochin-682016, the 19th March 1981

No. R.E.F. L. C 499/80-81—Whereas I, V. MOHANLAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy No.
at Ernakulam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ernakulam on 28-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Narayana Iyer,
S/o. Appukrishna Iyer,
Bhagavan Nivas,
Ganesh Kingway,
Pune. (Maharashtra State).
By Agent Srik. Ramamurthy,
S/o. Krishnapadigal.
Retd. Stenographer,
38/548, Near M. G. Road,
Karithala, Ernakulam Village.

(Transferors)

(2) Sri P. M. Mathew
S/o. Parayanthara Mathappan,
Tailor,
Ponnurunni Desom,
Poonithura Village,
Kanayannur Taluk,
Ernakulam.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

3. 85 cents of land as per schedule attached to Doc. No. 2562/80 dated 28-7-1980.

V. HOHANLAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Ernakulam.

Date : 19-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 10th February 1981

G.I.R. No. K-96/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. D-39/1-4 and D-39/1-5 situated at Mohalla-Kodai-Ki-Chowki, Varanasi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 29-11-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Udoy Ratan Banerjee (Transferor)

(2) Shri Kamlesh Kumar Chaubey (Transferee)

(3) Above transferee and Shri Narain Das (Tenant) (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given is that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. D-39/1-4 and D-39/1-5 situated at Mohalla-Kodai-ki-Chowki, Varanasi, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 12142, which have duly been registered at the office of the Sub-Registrar, Varanasi, on 29-11-1980.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date 10-2-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 23rd March 1981

No. G.I.R. No. S-201/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
1/4th part of plot Nos. 403 to 407 situated at Mauza-Uttar Dhauna, Distt. Lucknow.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 9-9-1980.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Krishna Devi Vaid
W/o. Shri Jugal Kishore Vaid
R/o. Industrial Area,
Aishbagh, Lucknow.
(Transferor)

(2) Smt. Sushila Bora,
W/o Shri Devi Prasad Bora,
R/o. House No. M-1/52,
Aliganj Scheme,
Lucknow.
(Transferee)

(3) Above seller
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th part of plot Nos. 403 to 407, measuring 5 Bigha 13 Biswa and 16 Biswansi, situated at Mauza-Uttar Dhauna, District-Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 5605/81 which have duly been registered at the office of the Sub-Registrar, Lucknow, on 9-9-1980.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Lucknow

Date : 23-3-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

Calcutta, the 19th March 1981

Ref. No AC-82/R-II/Cal/80-81—Whereas, I, K. SINHA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. P-191/1, situated at Block 'B', Bangur Avenue, Calcutta-55.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Sub-Registrar of Assurances, Calcutta, on 16-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought of be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Welth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 268C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Smt. Ila Debi (Transferor)

2. Shri Srikanta Mallick (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3-cottahs, 10-chittaks & 14-sq. ft. at Krishnapur, C.S. Plot No. 2524 & 2525. Premises No. 191/1, Block-B, Bangur Avenue, Calcutta, more particularly described as per Deed No. 4215 of 1980.

K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
of Income Tax,
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Rd. (2nd floor).
Calcutta-16.

Date : 19-3-1981.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQ. R.-III, CALCUTTA

Calcutta, the 21st March 1981

Ref. No. 890/Acq. R-III/80-81—Whereas, I, I.V.S. JUNEJA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 102 situated at Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta (S.E. Flat) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 3-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Lake Appartment Co-operative housing Society Ltd. (Transferor)

2. Mr. K.K. Banerjee (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat on 12th floor, South East Flat, being premises No. at 102 Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA
Competent Authority
Inspecting Assistant commissioner of Income Tax
Acquisition Range-III
4 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700016

Date : 21-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQ. R.-III, CALCUTTA

Calcutta, the 21th March 1981

Ref. No. 891/Acq. R-III/80-81—Whereas, I, I. V. S. JUNEJA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 102 situated at Dr. Meghnad Saha Sarani, Clacutta (N. E. Flat) (and more fully described in the schedule annexed hereto, has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 3-7-1980, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Lake Appartment Co-operative Housing Society Ltd. (Transferor)
2. A. G. Krishnan (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat on 11th floor, North East Flat, being premises No. at 102 Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquistion Range-III,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700016.

Date : 21-3-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 21st March 1981

Ref. No. 892/Acq. R-III/80-81—Whereas, I, I. V. S. JUNEJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 102 situated at Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta (M.W. Flat)
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Calcutta on 3-7-1980.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, *I hereby initiate proceedings for the acquisition of the* aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Lake Appartment Co-o perative Housing Society Ltd. (Transferor)
2. Mrs. Madhusraba Das Gupta (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat on 10th floor, Middle West Flat, being premises No. at 102, Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-III
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-70016.

Date : 21-3-1981.
Seals :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II, CALCUTTA

Calcutta, the 27th March 1981

Ref. No. AC-84/R-II/Cal/80-81—Whereas I, K. SINHA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 2 K. situated at Alipore Avenue, P. S. Alipore, Calcutta-27
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at R. A. Calcutta on 25-7-80,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Om Prokash Mull.
(Transferor)

(2) M/s. Wind Cliff Co-op. Housing Society Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring—8 K 14ch. 20 sq. ft. at 2 K Alipore Avenue, P.S. Alipore, Calcutta. More particularly described in deed No. 4449 dt. 25-7-80 of R. A. Calcutta.

K. SINHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range II, Calcutta

Date : 27-3-81.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANQE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 11th March 1981

Cr. No. 62/27801/80-81/Acq./B.—Whereas I, R. THOTHATHRI,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
R. S. No. 1053/1, T. S. No. 435/3, and now 435/1 and Door No. 16-180 situated at Attawar Village, Balamatt Ward, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mangalore City Document No. 484/80-81 on 18-7-1980.
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bonavent u
S/o. Jerome D'Souza,
"Mangala", 12,
1st floor, Wilson Garden,
Lakkasandra,
Bangalore-30.

(Transferor)

(2) Shri M. Mohammed Hussain,
S/o M. Ismail,
"Kalpana", Balmatta,
Mangalore-2.

(Transferee)

(3) Transferor.

[Person(s) in occupation of the Property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPDANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 484/80-81 Dated 18-7-1980.]

All that property bearing R. S. No. 1053/1 and T. S. No. 435/3 and now 435/1 situated in Attawar Village, Mangalore Town along with house bearing old No. 16-180 Bounded by

On North—Sy. No. 434
On South—Lane
On East—Sy. No. 436
On West—435 1

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 11-3-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 20th March 1981

C. R. No. 62/27552 /80-81/ACQ/B.—Whereas I, R. THOTHATHRI, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, haivng a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2/1, situated at Kensington Road, Civil Station, B'lore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar B'lore, Doc. No. 1163/80-81 on 4-7-1980, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Andal S.
D/o, Sri V. Arunachala Mudaliar,
No. 6,
Brunton Road,
Civil Station,
Bangalore.
(Transferor)

(2) Master D. Naveen,
minor by guardian Mother
Smt. D. Radhika,
No. 43/28,
Promanade Road,
B'lore-42.
(Transferees)

(3) M/s. Siemens India Ltd.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1163/80-81 Dated 4-7-8].

Portion of the premises bearing No. 2/1, consisting of Ground Floor & Ist Floor, measuring a site area of 566·00 Sq. metres situated at Kensingtion Road, Civil Station, Divn. No. 53, B'lore.

Bounded on : East by Kensigton Road,
West by Remaining portion of property No. 2/1,
North by Private property
South by Do.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 20-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, PATNA-800 001
Patna-800 001, the 11th March 1981

Ref. No. III-468/Acq/80-81.—Whereas I, H. NARAIN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Touzi No. 5601 Khata No. 726 Khesara No. 984 situated at Mainpura, Patna.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 18-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Shri Kuldeep Rai
S/o Ram Khelawan Rai Self and on behalf of minor Dina Nath Rai.
2 Shri Gopal Rai
S/o Ram Khelawan Rai,
self and on behalf of
Shri Jai Ram Lala Rai.
3 Shri Chandradeep Rai
son of Shri Ram Khelawan Rai self and on behalf of Shri Sunil Rai.
4 Bijoy Rai
S/o Shri Gopal Rai
5 Ram Khelawan Rai
S/o Kewal Raut

All resident of Mainpura, P. S. Patliputra, P. O. G.P.O. Dist. Patna

(Transferor)

(2) Smt. Sushila Sinha
W/o Shri Bhubneshwar Prasad Sinha,
Village Chainpur Baghel,
Post Mahdei P. S. Delhi,
District Vaishali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 Kathas at Mouja Mainpura, P. S. Patliputra District Patna more fully described in deed No. 5540 dated 18-7-80 registered with the D.S.R. Patna.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Patna

Date : 11-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA-800 001

Patna-800 001 the 11th March 1981

Ref. No. III-649 /Acq/80-81.—Whereas I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey Plot No. 725, Ward No. 33 Circle No. 244, Khata No. 66, Touzi No. 5453 Thana No. 3 situated at Rajapur Hassan, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patna on 24-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Akhileshwari Prasad Singh alias Akhileshwar Pd. Singh
S/o Late Mahabir Prasad Singh,
Village-Lakhanchand,
P. S. Mokama,
Dist. Patna
A/P. Village Danara,
P. O. & P. S. Bikram,
Dist. Patna.

(Transferor)

(2) Smt. Kiran Rastogi
W/o Sri Nihalchand Rastogi,
(Present) Sri Nihalchand Rastogi
S/o Late Babu Ragholal of Mohalla Chowk Bazar,
Biharsarif,
Thana Bihar,
Dist. Nalanda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Kathas 18 dhurs at Mauza Rajapur Hassan Thana No. 3 Tauzi No. 5453 Khata No. 66, Khesara Survey plot No. 725 Ward No. 33 Circle No. 244 Distt. Patna more fully described in deed No. 5721 dated 24-7-80 registered with the D.S.R. Patna.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Patna

Date : 11-3-1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PATNA-800 001

Patna-800 001 the 17th March 1981

Ref. No. III-473/Acq/80-81.—Whereas I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Part of plot No. 301 and 302 situated at Dhanbad Katras Road
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Dhanbad on 2-7-80.
for an apparent consideration which is less than the fair market, value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vinay Kumar Pathak
S/o Shri Manishankar Pathak resident of Prabhu Kunj,
Katras Road,
Dhanbad
P. O. & P. S. Dhanbad Chowki,
Dist. Dhanbad.

(Transferor)

(2) M/s. Good Will properties a partnership firm having its office at Katras Road, Dhanbad, P.O. & P.S. Dhabad Chowki Sadar Sub-registry office Dhanbad, Dist. Dhanbad presently comprising of
1. Smt. Kamelesh Jindal
W/o Shri Suraj Jindal
2. Sardar Rewal Singh Sethi
S/o Sardar Gurdit Singh Sethi
3. Lakhmir Singh Sabarwal
S/o Late Sardar Jaswant Singh Sabarwal as partners.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of homestead land with all pucca and Khapraphosh building structures etc. measuring 5 Kathas and a half being part of Plot No. 301 and 302 situated at Dhanbad Katras Road more fully described in deed No. 5470 dated 2-7-80 registered with D.S.R. Dhanbad.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Patna

Date : 17-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 17th March 1981

Ref. No. III-475/Acq/80-81.—Whereas I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Part of plot no. 301 and 302 situated at Dhanbad Katras Road,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Dhanbad on 2-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pushpa Gouri Pathak
W/o Shri Manishanker Pathak resident of Prabhu Kunj, Katras Road,
Dhanbad,
P. O. & P. S. Dhanbad Chowki,
Dist. Dhanbad.

(Transferor)

(2) M/s Good Will properties a partnership firm having its office at Katras Road, Dhanbad P. O. & P. S. Dhanbad Sadar Sd-registry office, Dhanbad, Distt. Dhanbad presently Comprising of
1. Smt. Kamelesh Jindal
W/o Shri Suraj Jindal.
2. Sardar Rewal Singh Sethi
S/o Sardar Gurdit Singh Sethi
3. Lakhmir Singh Sabarwal
S/o Late Sardar Jaswant Singh Sabarwal as partners.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of homestead land with all pucca and Khapraphosh buildings structures etc. measuring 6 Kathas approximately being part of plot No. 301 and 302 situated at Dhanbad Katras Road, Dhanbad more fully described in deed no. 5472 dated 2-7-80 registered with D.S R. Dhanbad.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Patna

Date : 17-3-1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 17th March 1981

Ref. No III-476/Acq/80-81.—Whereas I, H. NARAIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 282, Khata No. 163, Mouza No. 51 situated at Mithoo Road, Dhanbad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dhanbad on 21-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Mohanlal Devji Chawda
S/o Shri Devji Gove Bhai Chawda resident of Mithoo Road, Dhanbad,
P. S. Dhanbad,
District Dhanbad.
At present residing at 61/29 Sidgiri Bagh,
Varanasi,
District Varanasi.

(Transferor)

(2) Smt. Damyanti Bai Liladhar Chauhan
W/o Sri Liladhar Hirji Chauhan resident of Mithoo Road, Dhanbad.
At present residing at C/o Sri Liladhar Hirji Chauhan,
Deputy Chief Mining Adviser,
Railway Board,
Bekar Band Colony,
Dhanbad.

(Transferee)

(3) (i) Shri S. N. Poddar,
Mithoo Road,
Dhanbad.
(ii) Shri Harihar Sao,
Mithoo Road,
Dhanbad.
(iii) Shri Jagjivan Vyas,
Mithoo Road,
Dhanbad.
(iv) Shri Amar Singh
Mithoo Road,
Dhanbad.

(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring about 2 Kathas 8 Chattaks with double storied building situated at Mithoo Road, Dhanbad more fully described in deed No. 6037 dated 21-7-80 registered with D.S.R., Dhanbad.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Patna

Date : 17-3-1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR

Patna, the 17th March 1981

Ref. No. III-477 Acq/80-81— Whereas, I, H. NARAIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 508, Holding No. 81 situated at Village Sarley, P.S. & District Hazaribagh.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hazaribagh on 1-7-1980
for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Eric Morris and Mery Teresa Morris
S/o and daughter of Late
M. Morris of Hazaribagh,
District Hazaribagh.
(Transferor)

(2) Shri Rev. Father George Victor Saupin
S/o Late Alfred Joseph, The Bishop of Daltanganj Catholic Diocese,
Daltanganj.
(Transferee)

(3) 1. Eric Morris.
2. Girl's Hostel in the Supervision of Sister Chandradipa.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5·66 acres of land alongwith tiled Bunglaw known as Sylvan Lodge situated at Village Sarley, District Hazaribagh more fully described in deed No. 8302 dated 1-7-80 registered with D.S.R Hazaribagh.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 17-3-1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR

Patna, the 23rd March 1981

Ref. No. III 478/Acq/80-81—Whereas, I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Khata No. 8, Khesra No. 84, new holding No. 5 new Tauzi No. 11086 Ward No. 10 old and 28 new. situated at Mohalla Mohammadpur Kazi, Muzaffarpur Town District Muzaffarpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffarpur on 29-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Smt. Abha Rai Chaudhary
W/o Shri Sudhir Chandra Rai Chaudhary.
(2) Shri Sudhirchandra Rai Chaudhary
S/o Late Pramod Chandra Rai Chaudhary,
Amla Toli,
Katihar Town,
Dist. Purnea at Present Mohalla Mohammadpur Kazi,
Town & District Muzaffarpur.
(Transferer)

2. Shri Ram Ayodhya Pathak
S/o Ram Aaj Pathak of Mauza Dharphari,
P. S. & District Muzaffarpur,
At present Mohalla Mandipur Town & Dist. Muzaffarpur.
(Transferee)

3. Transferee as mentioned above.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 dhurs 6 Kanwa with pucca building situated in Mohalla Mohammadpur Kazi, Town & District Muzaffarpur bearing Touzi No. 11086 Thana No. 344 Ward No. 10 old & 28 new more fully described in deed No. 10352 dated 29-7-80 registered with D.S.R. Muzaffarpur.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 23-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BIHAR

Patna, the 23rd March 1981

Ref. No. III-479/Acq/80-81—Whereas, I, H. NARAIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Khewat No. 1 Survey Khatiyan No. 285, Plot No. 1306, Ward No. 9 old and 11 new, holding No. 261 old and 6/365 new situated at Kutchary Mohalla Naya Bazar, Jugsalai, P. S. Town, Jamshedpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 4-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kameshwar Nath Chaturvedi
S/o Late Ram Sewak Chaubey of Ranchi Road, District Singhbhum.

(Transferor)

(2) 1. Shri Shrichand Kasera
S/o Late Mathura Pd. Kasera.
2. Gulab chand Kasera,
Residents of Station Road,
Jugsalai town,
Jamshedpur,
Dist. Singhbhum

(Transfree)

(3) S. G. Metal Industries,
Jugsalai,
Station Road,
Jamshedpur.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lease hold land measuring 312 decimals i.e. 18 Kathas 17 1/2 Dhurs situated on Kutchary Mohalla Naya Bazar, Jugsalai, P.S. Town Jamshedpur, Khewat No. 1 Survey Khatian No. 285 Plot No. 1306 towards West Jugsalai old Ward No. 9, holding No. 261 old New Holding No. 6/365 in new Ward No. 11 more fully described in deed No. 3977 dated 4-7-80 registered with D.S.R., Calcutta.

H. NARAIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 23-3-81
Seals :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 16th March 1981

Ref. No. IAQ/ACO/BPL/80-81/1879—Whereas I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House No. 97 on plot No. 97 situated at Vidya Nagar, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Indore on 24-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kripa Shanker
S/o Srikishan Yadav,
64/3, Ramganj, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Kamla Rani
W/o Shri. Bansilal,
House No. 97,
Vidya Nagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPDANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 97 situated on plot No. 97 at Vidya Nagar, Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range.
4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 16-3-1981
Seals :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 16th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1880—Whereas I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House No. 522 situated at Khatiwala Tank, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Indore on 22-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Shri Ratankumar Sachhar
S/o Shri Uzomal Sachhar,
R/o H. No. 522,
Scheme No. 44,
Indore Development Plan,
Khatiwala Tank,
Indore.

(Transferor)

2. (i) Shri Gopichand
(ii) Shri Swarupchand
(iii) Hukumchand,
All sons of Shri Chandiram,
R/o House No. 522,
Scheme No. 44,
Development Plan,
Khatiwala, Tank,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 522, situated at Khatiwala Tank, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 16-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 16th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1881—Whereas, I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 4, situated at Chippa Bhakhal. Shantinagar, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Indore on 1-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Shri Sobhagchand
S/o Shri Ratanlalji,
Shantinagar,
Indore.

(Transferor)

2. (i) Shri Inderchand
S/o Shri Somachand,
(ii) Smt. Leribai
W/o Shri Somachand,
H. No. 4, chippa Bakhal,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 4, situated at Chippa Bhakhal, Shaintinagar, Jain Colony, Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range.
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Dated : 16-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 16th March 1971

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1882—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 21, Kh. No. 112 situated at Sadar Korba (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bilaspur on 17-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

29—36GI/81

(1) Shri Amrithlal Chabda
S/o Shri Khemji Chabda
Vill. Tikrapara,
Bilaspur.

(Transferor)

(2) Shri Lala Ganeshdas
S/o Guramdithamal Punjabi,
Civil Lines
Bilaspur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 21 situated at Sada, Korba.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Date : 16-3-81.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 16th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1883—Whereas, I, VIJAY MATHUR,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of House No. 833 & 833/1 at plot No. 144 situated at Lordganj, Jabalpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jabalpur on 1-8-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Shri Santosh Kumar
S/o Shri, Ghasiram Samiya
(2) Smt. Kapori,
W/o Shri Ghasiram
(3) Pushpa Devi
W/o Virendra Kumar Samiya
(4) Kiran Devi
W/o Arvind Kumar,
All R/o 528 Sukruwari Bajariya,
Hanumantal,
Jabalpur.

(Transferors)

2. Shri Pawan Kumar
S/o Shri Bajranglal,
833, Lordganj,
Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House No. 833 on plot No. 144, situated at Lordganj, Jabalpur.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Date : 16-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal the 16th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1885—Whereas I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of house No. 587 & 588 situated at Sarafa Road, Mudwara, Katni, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 29-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Trilockehand Shivbux Rai, Through Partner Sanmathkumar S/o Durgaprasad, Teh; Mudwara Jabalpur.

(Transferor)

(2) Kur Pramod Kumar Suhane S/o Shri, Shambhulal Suhene, R/o Shivaji Ward, Mudwara, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House No. 587 & 588 situated at Sarafa Road, Raghunathganj, Mudwara.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Date 16-3-1981.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No. IAC/ACO/BPL/80-81/1886— Whereas I, VIJAY MATHUR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. One property situated at
No. Agricultural land situated at Village: Khebi Parashar Gwalior
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Dabra on 25-7-1980,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Bhagwalal S/o
S/o Raghunath
(2) Maheshkumar
S/o Pannalal—Caste-Brahmin,
R/o Khebi Parashar
Teh, Dabra,
Distt. Gwalior.

(Transferor)

(2) (1) Smt. Dharam Kaur
W/o Charan Singh
(2) Karam Kaur
W/o Soorat Singh,
(3) Jugander Kaur
W/o Soorat Singh
(4) Prem Kaur
W/o Girdhara Singh
(5) Milkit Kaur
W/o Bachan Singh,
R/o Khebi Parashar,
Tah. Dabra,
Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land No. 404, Rehba 6/371 Hector situated at Village Khabi Prashar Dabra, Gwalior

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date 19-3-81.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BHOPAL M.P.

Bhopal the 19th March 1981

Ref. No IAC/ACQ/BPL/80-81/1887—Whereas I, VIJAY MATHUR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agril. lnd situated at Khebi Parashar, Dabra, Gwalior

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Dabra on 25-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Shri Bhagwanlal
S/o Raghunath
(2) Mahesh Kumar
S/o Pannalal
(3) Harswaroop
S/o Radhakrisnna,
Khebi Parashar,
Dabra, Gwalior

(Transfero

2. (1) Shri Charan Singh
S/o Magar Singh
(2) Surath Singh
S/o Mehar Singh
(3) Girdharasingh
Guru Bachan Singh
S/o Basant Singh,
R/o Khebi Parashar,
Dabra, Gwalior

(Transferree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 408/9/935 situated at Vill. Kheri Parashar, Dabra, Gwalior.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax), Acquisition Range
4th Floor, Gangotir
Building T. T. Nagar, Bhopal

Date : 19-3-1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1888—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe tha the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One double storied house situated at Chhola Road, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 1-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lalaram
S/o Deviramji Kacharaya,
R/o Chhola Road,
Near Sardar Patel School,
Bhopal.

(Transferor)

(2) S/Shri (1) Atam Prakas Sharma
(2) Avadhesu Kumar Sharma
(3) Avdh Kishorji Sharma,
All S/o Deenji Sharma,
R/o Chhola Road,
Near Sardar Patel School,
Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One double storied house situated at Chhola Road, Near Sardar Patel School, Bhopal.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
4th Floor, Gangotiri Building
T. T. NAGAR, BHOPAL

Date : 19-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1889—Whereas I, VIJAY MATHUR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot situated at Jahangirabad, Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 10-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as afoersaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dharam Vir Sood
S/o Shri, Telumal,
R/o E-4/344, Arora Colony,
Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Committee Deoni School & Masjid Etc.
Neem Wali Sadak,
through Baboo Khan
S/o Yakoob Khan,
Sadar of the Committee,
Jinsi, Jahangirabad,
Bhopal.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 6 situated at Jahangirabad, Jinsi Chowk, Bhopal

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Dated : 19-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1890—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of double storied house situated at in front of Alankar Talkies, Gujarathi Bazar, Sagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sagar on 25-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Shri Vitnal Bhai
S/o Mathuradas Patel
(2) Shri. Maghuradas
S/o Madhardas,
R/o Gujarati Bazar,
Sagar. (Transferor)

2. Smt. Saraswati Bai
W/o Shri, C. Rajaran Jain,
R/o Katra Bazar,
Sagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of double storied house situated in front of Alankar Talkies, Gujaratai Bazar, Sagar.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
4th Floor, Gangotiri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 19-3-81.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No IAC/ACQ/BPL/80-81/1981—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of double storied house situated at Gujarathi Bazar, Sagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sagar on 25-7-80. for an apparent consideration which is less than the fair-market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957) :—

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

30—36GI/81

(1) Shri Kanhaiyalal
S/o Shri Maturadas Patel.
R/o Gujarati Bazar,
Sagar.
(Transferor)

(2) Shri Jaikumar
S/o Rajaran Jain,
R/o Katra Bazar,
Sagar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of double storied house situated at Gujarati Bazar, In front of Alankar Talkies. Sagar.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range.
4th Floor, Gangotiri Building
T. T. Nagar, Bhopal,

Date : 19-3-81.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No IAC/ACQ/BPL/80-81/1892—Whereas I, VIJAY MATHUR
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No Part of double storied house situated at Gujarathi Bazar, Sagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sagar on 25-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 268C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Vithal Bhai
S/o Shri Mathuradas Patel
(ii) Mathuradas
S/o Madhardas Patel,
R/o Gujarat Bazar, Sagar.

(Transferor)

(2) Shri Santosh Kumar Jain
R/o Katra Bazar,
Sagar

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of double storied house situated at Jawahar Bazar, in front of Alankar Talkies, Sagar.

VIJAY MATHUR
Campetent Authoiry
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal.

Date : 19-3-81.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1893—Whereas I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land, Gedown & Office building situated at Vill. Kharsia, Tah. Raigarh. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registeration Act, 1908) (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Calcutta on 3-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifeen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kirodimal Charity Trust,
Raigara

(Transferor)

(2) Shri Rajendrakumar Jaidia,
Gurumukhrai Marg,
Bilaspur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2·06 Acres, Godown and office building there on-Kh. No. 526/1K 526/2K 526/3K situated at Station Road, Kharsia, Raigarh.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range
4th Floor, Gangotiri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Date : 24-3-1981.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BHOPAL M.P.

Bhopal, the 24th March, 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1894—Wheres I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. land, Godown & Shades, situated at Vill, Kharsia, Teh; Raigarh. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 3-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Krlodimal Charity Trust, Raigarh (Transferor)

(2) Shri Rakeshkumar Jajodia, Gurumukhrai Marg, Bilaspur (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1.74 acres and godown and Sheds thereon. Kh. No. 526/1K 526/2K 526/3K stituated at Vill : Kharaisa, Tah; Raigarh.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar Bhopal,

Date : 24-3-81.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1895—Whereas I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot and house thereon situated at Near Bus Stand, Rajnandgaon.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Rajnandgaon on 18-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surajmal S/o Musaddilal Agrawal,
R/o Ramadhin Marg,
Rajnandgaon.

(Transferor)

(2) Smt. Beantkaur
W/o Sardar Surjit Singh Bhatia,
Kailash Nagar
(Bus Stand)
Rajnandgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 7200 Sqft. and house thereon situated at Kailash Nagar (Motor Stand), Rajnandgaon.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range
4th Floor, Gangotiri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 24-3-1981.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1896—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 15/616 situated at M.G. Road, Jawahar Nagar, Raipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Raipur on 22-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following ing persons, namely :—

1. Shri S. M. H. Rizai, Advocate. Raipur

(Transferor)

2. S/Shri (1) Hasan
(2) Hussain
(3) Nadir &
(4) Haider,
All S/o Haji Mohammad,
C/o Chariwala & Co., M. G. Road,
Raipur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 15/616, situated at M.G. Road Jawahar Nagar, Raipur.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Asitant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T.T. Nagar, Bhopal

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No IAC/ACQ/BPL/80-81/1897—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land Kh. No. 92 situated at Vill : Guljhara, Dhar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dharampuri on 17-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri SobhaRam
S/o Nathu
(2) Harichand
S/o Shri, Nathu,
Guljhara Dhar.

(Transferor)

(2) Shri Satnamsingh
S/o Chandoolal Cnnabra,
R/o Dhamnod,
Distt: Dhar

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Kh. No. 92, situated at Village : Guljhara, Dhar.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range, Bhopal

Date : 24-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1898—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 1275 situated at Premnagar, Jabalpur (and more fully described in the scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 15-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pt. Shankerlal Mishra
(2) Pt. Ramnarayan Mishra
S/o Pt. Sital Prasadji Mishra,
R/o Madan Mahal Ward,
Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Pt. Ranbadan Tripathi,
S/o Sheoprasad Tripathi,
R/o 1275,
Premnagar,
Jabalpur (Madan Mahal Ward)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and House No. 1275, situated at Prem Nagar, Jabalpur.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date 24-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1899—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of Bunglow No. 4 situated at Cantonment Area, Sagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sagar on 15-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surendra Singh Surat Singh Sodni,
R/o Cantonment,
Sagar

(Transferor)

(2) Smt. Brijrani
W/o Shri, Saligram Beri,
R/o Bunglow No. 4
Cantonment,
Sagar.

(Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Bunglow No. 4, situated in Cantonment, Sagar. (Area of plot-2·30 Acres)

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal,

Date : 24-3-81.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1900—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of Bunglow No. 4 situated at Cantonment Area, Sagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sagar on 8-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahindersingh
S/o Suratsingh Sodhi,
R/o Cantonment,
Sagar

(Transferor)

(2) Smt. Brijrani
W/o Saligram, Beri,
Bunglow No. 4,
Cantonment,
Sagar

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Bunglow No. 4, situated in Cantonment, Sagar.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1901—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 3, 4 & 5, building Block No. 2, situated Hamidia Road, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 9-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nade Ali
(2) Maziar Hussain
(3) Abdul Hussain
(4) Md. Iqbl & (5) Zanid Hussain,
All partners of
M/s Huassaini Trading
Company,
Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri (1) Haji Sajjad Hussain
(2) Shabbar Hussain Shafi,
(3) Hakim Hussain,
(4) Abid Hussain
(5) Fazal Hussain S/o Shri
Haji Mukhthar Hussain,
Sahib, R/o Beldarpura,
Bhoapl.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3, 4 & 5 building block No. 2, situated near Alpna Talkies, Hamidia Road, Bhopal.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal

Date : 19-3-81.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 19th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1902—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop. No. 1 & 2 Bldg. Block No. 2 situated at Hamidia Road, Bhopal. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 9-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax (1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri
(1) Nade Ali
(2) Maziar Hussain
(3) Abdul Hussain
(4) Md. Iqbal
(5) Zahid Hussain —All partners of M/s Hussini Trading Company, Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri (1) Haji Sajjad Hussain
(2) Snabar Hussain
S/o Haji Mukhthar Hussain,
R/o Beldarpura,
Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1 & 2, building block No. 2, situated near Alpna Talkies, Hamidia Road, Bhopal.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 19-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL,

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1903.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land Kh. No. 191/2 & 157/2 situated at Khargone (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khargone on 22-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Navneethlal,
S/o Shri Natwarlal Mahajan,
R/o Khargone.

(Transferor)

(2) Shri Ramakrishna Nagar Griha Nirman Sahakari Samithi Ltd.,
Khargone-Through
Chairman Shri Tikamdas,
Khargone.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 191/2 & 157/2, situated at Kasba, Khargoni

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1904.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. Land Kh. No. 191/4 & 157/4 situated at Khargon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Khargon on 22-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Smt. Shama Bai,
W/o Shri Natwarlal Mahajan,
R/o Khargon.
(Transferor)

(2) Ramakrishna Nagar Griha Nirman Sahakari Samithi Ltd.,
Through—Chairman—Shri Tikamdas,
Khargon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 191/4 & 157/4 situated at Khargon.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. 1AC/ACQ/BPL/80-81/1905.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. Land Kh. No. 191/3 & 157/3 situated at Kasba, Khargon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khargon on 22-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Inome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) (1) Ratan Singh S/o Lalsingh,
(2) Parskumar S/o Manaklal,
(3) Brindvan S/o Ranchhed das
(4) Shrii Ramakrishna S/o Kisanlal Verma, R/o Khargon.

(Transferor)

(2) Shri Ramkrishna Nagar Griha Nirman Sahakari Samithi Ltd.,
Through—Chairman Shri Tikamdas,
S/o Balkrishna, Khargon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 191/3 & 156/3, situated at Kasba, Khargon.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March, 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1906.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Survey No. 186 & 187 situated at Tala Vali, Indore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on 18-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Rameshchandra S/o Basant lalj,
(2) Hemantkumar
(3) Ashok Kumar,
(4) Pradeep Kumar S/o Rameshchandji,
146, Ravindranath Tagore Marg,
Indore.

(Transferor)

(2) Etnic Pharma Laboratories of Engineers Pvt. Ltd.,
9, Manik Bag,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 186 & 187 situated at Vill. Tala Vali, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1907.—Whereas I, VIJAY MATHUR
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agrl. land Survey No. 186 & 187 situated at Vill. Tala Vali Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Indore on 17-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

32—36GI/81

(1) Shri Ramesh Chandra S/o Basantilalji,
(2) Hemant Kumar
(7) Ashok Kumar
(4) Pradeep Kumar
146, Ravindra Nath Tagore Marg, Indore.

(Transferor)

(2) Perfect Pharmacist Pvt. Ltd.,
9, Manik Bag Road,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural and Survey No. 184 & 187 situated at Vill. Tala Vali, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal,

Date : 24-3-81
Seal ;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1908.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Kh. No. 262 situated at Burhanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Burhanpur on 14-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Sumersingh,
(2) Bhai Chandrapal Singh
Both S/o Narainsingh Rajpur, Sindhipura, Burhanpur.

(Transferor)

(2) Shree Ansar Cooperative Housing Society Ltd., Burhanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 262, Kh. No. 280 situated at Vill. Omagird, Burhanpur.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range, Bhopal

Date : 24-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March, 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1909.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land Kh. No. 32/1 situated at Vill: Nisarpur, Khargon (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Pansomal on 17-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ashok S/o Govind Bhai Mahjan, Khethiya, Khargon.

(Transferor)

(2) Shri Sudama S/o Shri Babu Gujar Patel, Khethiya, Khargon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 32/1, situated at Vill: Nisarpur, Khethiya, Khargon.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1910.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Survey No. 117, 118 & 119 situated at Vill: Tala Vali, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 10-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prahlad S/o Shri Hiralal Goyal,
49, Janki Nagar,
Indore.

(Transferor)

(2) M/s Indore Automatic Products,
62-Vishnupuri,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 117, 118 & 119 situated at Village: Tala Vai, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BHOPAL M.P.

Bhopal the 24th March 1981

Ref No IAC/ACQ/BPL/80-81/1911 —Whereas I VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Land Survey No 116, 123 & 115 situated at Vill: Tala Vali, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 10-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Kailashchand,
S/o Shri Hiralal Goyal,
49, Janki Nagar,
Indore

(Transferor)

(2) Indian Organic and Pharmaceuticals, P Ltd,
21/2, South Tukoganj,
A B Road,
Indore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No 116, 123 & 115 situated at Vill: Tala Vali, Indore

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal

Date : 24-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M P

Bhopal, the 24th March, 1981

Ref No IAC/ACQ/BPL/80-81/1912—Whereas I, VIJAY MATHUR
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No Sand Survey No 116, 123 & 115 situated at Vill: Tala Vali, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Indore on 10-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Kusum Lata,
W/o Dhannalal Goyal,
R/o 50, Janki Nagar,
Indore

(Transferor)

(2) Indian Organic and Pharmaceutical (P) Ltd,
21/2, South Tukoganj,
A B Road, Indore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as and defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No 116, 123 & 115 situated at Vill: Tala Vali, Indore

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1913.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 5/21 & 5/22 situated at Yeshwant Niwas Road, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 4-7-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or pay moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;—

(1) Shri Shar
S/o Sop Kharche,
R/o Pachampura House, Ajmer Road,
Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Rangati Ji Sewa Kendra,
5 Yeshwant Niwas Road,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Nos. 5/21 & 5/22 situated at Yashwant Niwas Road, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BHOPAL M.P.

Bhopal the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1914.—Whereas I VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 848 situated at Khati Wala Tank Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Indore on 23-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any inome arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanahiyalal
S/o Naraindas
R/o Bhagat Kanwar Ram Sindhi Colony
Indore.

(Transferor)

(2) Shri Prahladrai
S/o Khanchand
R/o H. No. 34
Bairath Colony No. 2
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 848 situated at Khatiwala Tank Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL M.P.

Bhopal the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1915.—Whereas I VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Mucl. H. No. 7 situated at South Tukoganj Indore (and more fully described in the Schedule annexed here to) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the registering officer at Indore on 23-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Suvalal S/o Seduram
(2) Nathulal
(3) Omprakash
(4) Virendrakumar
(5) Hemantkumar Sharma
7/2 South Tukoganj
Indore.

(Transferor)

(2) Shri Ramendramohan Joshi
S/o Shri Mukundramji Joshi
7/2 South Tukoganj Indore.
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mucl. H. No. 7 situated at South Tukoganj Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL M.P.

Bhopal the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1916.—Whereas I VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot measuring 1520 Sq. ft. situated at in front of Krishna Talkies, Rajnandgaon (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajnandgaon on 14-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mangilal Tatiya,
R/o Ganj Line,
Rajnandgaon.

(Transferor)

(2) (1) Shri Dhanraj S/o Bilanda Rai
(2) Ashokkumar S/o Dhanraj
(3) Kishore Kumar
(4) Maheshkumar S/o Danraj
R/o Gali No. 6
Sindhi Colony
Lal Bag
Rajnandgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 1520 Sq. ft. situated at Rajnandgaon. (In front of Krishna Talkies).

VIJAY MATHUR
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1917.—Whereas I VIJAY MATHUR

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House No. E-6 18-A situated at Arora Colony Bhopal has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhopal on 16-7-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. V. Pillai
S/o Shri R. M. Pillai
R/o 91/64, Tulsi Nagar, 1250 Quarters,
Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Gumti Kameshwar Surya Narain Sharma
S/o Shri G. V. Somaiya Julu
R/o Section E-6, 18-A near 11-No. Bus Stop,
Arora Colony
Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. E-6, 18-A situated at Arora Colony Bhopal.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range, Bhopal,

Date : 24-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal the 24th March 1981

Ref No IAC/ACA/BPL/80-81/1918.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No House No 19 situated at Sakkhar Colony Lashkar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gwalior on 11-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) (1) Shri Shyamlal
(2) Lakhmichand Both S/o Shri Tekchand
(3) Pitambar Das
(4) Kishanchand Both S/o Tekchand
(5) Shyamlal S/o Tekchandji,
Shyamlal Tekchand Cloth Stores,
Kalka Devi,
Mumbai-Bombay

(Transferor)

(2) Shri Laxman Bhatia S/o Tarachandji,
R/o Sakkhar Colony, Lashkar,
Gwalior

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. 19, situated at Sakhar Colony, Behind Filmistar Theatre, Lashkar, Gwalior.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March, 1181

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1919.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land No. 3, Gali No. 1 situated at Chhoti Gwal Toli, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Indore on 24-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tulsi Ram S/o Mangilal Sharma, R/o 11, Suman Niwas Navalakha, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Mohan Prakash S/o Mangilal Khandelwal, R/o 12, Peddar Road, Flat No. 6, Bombay-No. 6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land No. 3, Gali I, situated at Chhoti Gwal Toli, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
[Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL,

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1920.—Whereas I, VIJAY MATHUR
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25-000/- and bearing No.
Plot of 1421 Sq. ft. situated at Tahizpura, Gandhi Chowk, Ratlam
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer
at Ratlam on 14-7-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Moiz S/o Haji Saraf Ali,
Malasiya Wala,
Ratlam.
Shri Saraf Ali S/o Ismailji Bohra,
Mohalla—Saifi Mohalla,
Ratlam.

(Transferor)

(2) Smt. Athika Bai W/o Akbaraliji Bohra,
R/o Tahirpura, Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot at Tahirpura, Chandni Chowk, Ratlam-measuring 1421 Sq. ft.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL,

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1921.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land No. 170 situated at Village: Rehmanpura, Burhanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Burhanpur on 21-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Asha Ram,
2. Shri Paparam S/o Petu Patel,
Gram Sindh Kheda,
Burhanpur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Seikhlal,
2. Bhai Gulam Ali S/o Umar Khan,
3. Daulat Khan S/o Umar Khan,
Dudhia,
Burhanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land No. 170 situated at Village: Rehmanpura, Burhanpur.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1922.—Whereas I, VIJAY MATHUR

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing

No. Half portion of House No. 157 situated at Khatiwala Tank, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 11-7-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Trilokchand S/o Sonarmaji,
2. Smt. Chandrakanta Jain W/o Manoharsingh Jain,
H. No. 157, Khatiwala Tank,
Indore.

(Transferor)

(2) Shri Mohanlal S/o Jeewandas,
H. No. 30, North Raj Mohalla,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of House No. 157 situated at Khatiwala Tank. Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1923.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Kh. No. 274/1 situated at Village: Amona, Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on 23-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakashchandra S/o Lalchandji Madan, R/o 14, Ware-house Road, Indore.

(Transferor)

(2) M/s Badjatiya Brothers, 361, Jawahar Marg, Indore.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Kh. No. 274/1 situated at Village: Amona, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax)
Acquisition Range, Bhopal

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1924.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Kh. No. 274/1 situated at Village: Amona, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 23-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue ofthis noticed under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakashchandra S/o Lalchandji Madan, r/o 14-Warehouse Road, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Kalyanmal S/o Late Mishrilal Bedjatiya, R/o 144-Jaora Compound, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Kh. No. 274/1 situated at Village : Amona, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1925.—Whereas I, VIJAY MATHUR

being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of Shiv Vilas Palace No. A-18 of H. No. 435 situated at M. G. Road, Indore.

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 3-7-80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Salagram Natwarlal Neema & Co.,
435, M. G. Road,
Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Rajal Jain W/o Kamdeo Jain,
R/o 31, Nalia Bakhal,
Indore.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Shivvilas Palace No. A-18 of House No. 435, situated at M. G. Road, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th March, 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1926.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 157 situated at Khatiwala Tank, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 14-7-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Trliokch and S/o Son-rmanji
(2) Smt. Chandrakauta Jain W/o Manoharsingh Jain, H. No. 157, Khatiwala, Tank, Indore.

(Transferor)

(2) (1) Shri Tikamdas S/o Jeewandas,
(2) Mohanlal S/o Jeewandas, R/o H. No. 30, North Raj Mohalla, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two parts of House No. 157 situated at Khatiwala, Tank, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 24-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 16th March, 1181

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1884.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of House No. 833 & 873/1 on plot No. 144 situated at Lordgan, Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 1-8-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Santoshkumar S/o Shri Ghasiram,
(2) Smt. Kapoori Devi (3) Smt. Pushpa Devi
(3) Smt. Pushpa Devi,
(4) Smt. Kiran Devi W/o Arvind Kumar,
Sukruwari Bajaria, Hanumantal,
Jabalpur.

(Transferor)

(2) (1) Smt. Chanda Bai W/o Shri Gyanchand
(2) Ravindra/Rajeev Rahool,
Jawahar Ganj,
Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House No. 833 on plot No. 144, situated at Lordganj, Jabalpur.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax),
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 16-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 887.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 7 situated at Udaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 15-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramesh Chandra,
S/o Chunnilal Kachhara,
R/o Charbhuja.

(Transferor)

(2) Shrimati Dakhu Bai,
W/o Babulal ji Jain,
R/o Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7, Dewali, Fatehpura, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide No. 2426 dated 15-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 23-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 886.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 8 situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 15-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramesh Chand,
S/o Shri Chunnilal Kachhara,
R/o Charbhuja.

(Transferor)

(2) Shrimati Sheela,
W/o Shri Mangi Lal Jain,
R/o Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8, Dewali, Fatehpura, Udaipur measuring 3240 Sq. ft. and more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide No. 2427 dated 15-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 23-7-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, 25th March, 1981

Ref. No. 896.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House No. 191 situated at Kota
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Kota on 24-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of the income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gamba Mal, Sadhu Ram, Mebal Das
S/o Pahumal Sindhi,
Niwasi Sindhi Colony,
Kota.

(Transferor)

(2) Shri Mathura Lal,
S/o Bhanwarlal Mahajan,
Prop. M/s Shiv Narain,
Poonam Chand,
Bhawani Mandi,
Kota.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 191, Sindhi Colony, Vallabhnagar, Gumanpura, Kota & more fully described in the sale deed registered by S.R., Kota vide his No. 1305 dated 26-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 25-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 888.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 13 situated at Udaipur
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Udaipur on 16-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sattar Khan,
S/o Gafoor Khan Ji Pathan,
R/o Udaipur.

(Transferor)

(2) Shri Babu Lal,
S/o Kastoor Chand Ji Jain,
Niwasi Bhinder.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 13, Hiran Magri, Sector No. 11, Udaipur & more-fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide his No. 2464 dated 16-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 23-3-81
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 25th March, 1981

Ref. No. 895.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 773 situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kota on 25-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sharda Prashad Srivastava & Smt. Usha Rani, W/o Shri Sharda Prashad Srivastava, Niwasi 773, Dada Badi, Kota. (Transferee)

(2) Narendra Saxena, Assistant Engineer, R.S.E.B., Jhalawar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 773 at Dada Badi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S.R., Kota vide his No. 1318 dated 25-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 25-3-81
Seal ;

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 25th March, 1981

Ref. No. 894.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing.

No. Factory situated at Jaipur

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Jaipur on 7-7-1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquision of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Power Plants Sales & Services Private Limited,
C/o Shri S. M. Lodha,
Ganguli Building,
Jaipur. (Transferor)

(2) Shrimati Vijaya Kumari,
W/o Shri Arvind Kumar,
C-172, Bajaj Nagar,
Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Factory shed situated at Plot No. 41 A/B/C/D, Sudershanpura, Industrial area, Jaipur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jaipur vide his No. 1523 dated 7-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 25-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 893.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. C-16 situated at Jaipur
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jaipur on 5-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and
I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. L. Ajmera,
Plot No. C-16,
Raja Park,
Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Baldeosingh,
Plot No. 460,
Raja Park,
Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storied residential building at Plot No. C-16, Raja Park, Jaipur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jaipur vide his No. 1507 dated 5-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax),
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 23-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 884.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Udaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 24-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Ramesh Chandra,
S/o Chunnilal Kachhara,
R/o Charbhuja.

(Transferor)

(2) Shri Kamlesh Kumar,
S/o Purshotam Lal Ji Maheshwari,
Dhanmandi,
Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land measuring 2045 sq. ft. and situated at Fatehpura, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide No. 2578 dated 24-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 23-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 885.—Whereas I, M. L. CHAUHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 24-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramesh Chander,
S/o Chunnilal Kachhara,
Niwasi Charbhuja.

(Transferor)

(2) Shri Govind Singh,
S/o Dayalal Ji Bhatada
Niwasi Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land measuring 2070 sq. ft. and situated at Fatehpura, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide No. 2579 dated 24-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 23-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 25th March, 1981

Ref. No. 891.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1963 (43 of 1961) hereinafter referred to as the ('said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open Plot situated at Udaipur (and more fuly described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Udaipur on 24-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tranferer to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Welth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jiwan Lal,
S/o Lahori Lal Kachhara,
R/o Charbhuja.

(Transferor)

(2) Shri Gopal Ram,
S/o Sohan Ram Lodha,
R/o Udaipur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land measuring 2520 sq. ft. and situated at Fatehpura, Udaipur and Morefully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide his No. 2576 adted 24-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 25-3-81
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 25th March 1981

Ref. No. 892.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Udaipur (and more fully describd in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 24-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jeewan Lal,
S/o Lahari Lal Kachhara,
Charbhuja.

(Transferor)

(2) Shri Ram Chand,
S/o Shyam Lal Bhutada,
Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land situated at Fatehpura, Udaipur and measuring 2583 sq. ft. & more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide his No. 2577 dated 24-7-8,0

M. L. CHAUHAN.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 25-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 27rd March, 1981

Ref. No. 889.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Udaipur on 24-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxmi Lal,
S/o Bhanwar Lal Soni,
R/o Nathdwara.

(2) Shri Ramesh Kumar,
S/o Sakhawat Rai Ji Virwani,
R/o Udaipur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land situated at Fatehpura, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide No. 2581 dated 24-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur,

Date : 23-3-81
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 23rd March, 1981

Ref. No. 890.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Open Plot situated at Udaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Udaipur on 24-7-1180 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-exceeds the apparent consideration therefor by more than than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxmi Lal,
S/o Bhanwarlal Soni,
R/o Nathdwara.

(Transferor

(2) Shri Sohan Lal,
S/o Bansi Lal Deopura,
Kanod Ki haveli,
Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land measuring 2045 sq. ft. situated at Fatehpura, Udaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R., Udaipur vide his No. 2580 dated 24-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tay,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 23-3-81
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th March, 1981

Ref. No. 906.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot of land situated at Ajmer
(and more fully, described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Ajmer on 15-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Phool Kanwar and others
Naya Bazar,
Ajmer.

(Transferor)

(2) Shri Jagraj
S/o Ramdayal,
Ghee Mandi,
Naya Bazar,
Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 1681 sq. mtr. situated at Pushkar Road, Ajmer & more fully described in the sale deed registered by S.R., Ajmer vice his No. 2502 dated 15-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 28-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th March, 1981

Ref. No. .—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 58-B situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 7-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sampat Mal Mathur,
S/o Late Shri Moti Mal Mathur,
Niwasi Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shrimati Ganeshi Bai,
W/o Bhawan Dass Sindhi,
R/o Kota.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House property situated at 58 B, Vallabhnagar, Kota & more fully described in the sale deed registered by S.R. Kota on dated 3-7-1980.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 28-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th March, 1981

Ref. No. .—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House property situated at Kota
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kota on 3-7-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sampat Mal Mathur,
S/o Late Sh. Moti Mal Mathur,
R/o Udaipur.

(Transferor)

(2) Shri Harish Chandra,
S/o Siru Mal Sindhi,
R/o Kota.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property situated at 58 B Vallabhnagar, Kota & more fully described in the sale deed registered by S.R. Kota vide his No. 1133 dated 3-7-80.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 28-3-81
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th March, 1981

Ref. No. 907.—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at Ajmer (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ajmer on 28-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Phool Kanwar and others,
Naya Bazar,
Ajmer.

(Transferor)

(2) Shrimati Snehlata,
W/o Shri Satish Kumar,
Ghee Mandi, Naya Bazar,
Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interetsed in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 1455 sq. mtr. situated at Pushkar Road, Ajmer & more fully described in the sale deed registered by S. R., Ajmer vide has No. 2508 dated 28-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 28-3-81
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 28th March, 1981

Ref. No. .—Whereas, I M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House property situated at Kota (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 3-7-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sampat Mal Mathur,
S/o Late Shri Moti Mal Mathur,
R/o Kota.

(Transferor)

(2) Shri Bhawan Dass,
S/o Varand Mal Sindhi,
R/o Kota.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House Property situated at 58 B, Vallabhnagar Kota and more fully described in the sale deed registered S.R. Kota vide his No. 1132 dated 3-7-80.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Taxy,
Acquisition Range, Jaipur

Date: 28-3-81
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DHR/1/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 41 bighas 15 biswas situated at Village Gobindpura, Tehsil Dhuri

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Dhuri in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rajinder Devi,
D/o Smt. Shanti Devi,
Wd/o Shri Amar Singh,
R/o Gobindpura,
Dhuri.

(Transferor)

(2) S/Shri Jasdev Singh, Sukhdev Singh,
Ss/o Shri Balwinder Singh,
R/o Gobindpura,
Dhuri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 41 bighas 15 biswas at Gobindpura, Dhuri.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2463 of July, 1980 of the Registering Authority, Dhuri).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. SNM/4/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land measuring 32 Kanal 15 Marlas situated at Sunam 'A'
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Sunam in July, 1980
for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

37—36GI/81

(1) Shri Bhag Singh,
S/o Sh. Shahzad Singh,
R/o Sunam.

(Transferor)

(2) M/s. Malwa Modern Rice & General Mills,
Sunam.

(Tranferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 32 Kanal 15 Marlas at Sunam.
(The property as mentioned in the sale deed No. 1528 of July, 1980 of the Registering Authority, Sunam).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
InspectingAssis tant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. MKL/27/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land measuring 27 bighas 7 biswas situated at V. Burz Baghel Singh, Teh. Malerkotla
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer, at Malerkotla in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Yadvinder Singh,
S/o Sh. Jagir Singh,
R/o Burz Baghel Singh Wala,
Teh. Malerkotla, Distt. Sangrur.
(Transferor)

(2) S/Shri Gurmel Singh Jora Singh,
Ss/o Shri Jagan Nath,
Resident of V. Salar,
Tehsil Malerkotla,
Distt. Sangrur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 27 bighas 7 biswas at Burz Baghel Singh Wala. Teh. Malerkotla.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2518 of July, 80 of the Registering Authority, Maler Kotla).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. AML/55/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land measuring 5 Bigha 1/2 Biswas situated at Vill. Jassran S. Teh. Amloh
(and more fuly described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Amloh in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; nad/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ajaib Singh,
S/o Sh. Kundan Singh,
R/o V. Jassaran, .S. Teh. Amloh.
(Transferor)

(2) Sh. Karnail Singh,
S/o Sh. Babu Singh,
Gurdip Singh,
S/o Sh. Malkiat Singh,
Nirmal Singh,
S/o Sh. Surjit Singh,
R/o V. Kukar Majra,
S. Teh. Amloh. (Transfree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5B½b situated in Vill. Jassran S. Teh Amloh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 979 of July, 1980 of the registering Authority, Amloh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. AML/56/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 5B1/2B situated at Vill. Jassran S. Teh. Amloh (and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Amloh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gurmail Singh
S/o Sh. Kundan Singh,
R/o Vill. Jassran S. Teh. Amloh.
(Transferor)

(2) Sh. Nachhattar Singh,
S/o Babu Singh,
Balwinder Singh,
S/o Sh. Malkiat Singh and Rajinder Singh,
S/o Sh. Surjit Singh,
R/o Kukkar Majra S. Teh. Amloh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5B1/2b situated in Vill. Jassran S. Teh. Amloh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 980 of July, 80 of the Registering Authority, Amloh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/22/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land measuring 10 bighas situated at V. Chhat, S. Teh. Dera Basti, Distt. Patiala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dera Bassi in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Mohan Singh Darshan Singh Manjit Singh
Ss/o S. Labh Singh,
R/o Chamkaur Sahib,
Distt. Ropar.
(Transferor)

(2) M/s Baba Ajit Singh Cold Storage (P) Ltd.,
Bus Stand Jhungia, P.O. Dayalpura,
Distt. Patiala (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 bighas at V. Chhat, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 728 of July, 1980 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March 1981
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/96/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House Property No. 52/4, situated at Bagh Nauhari Mal Jain, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Ludhiana in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Raj Rani,
W/o Sh. Radhey Kishan,
R/o 52/4, Bagh Nauhari Mal Jain,
Ludhiana.

(Tran

(2) Shri Balbir Chand,
S/o Shri Hari Ram,
R/o 76, Bharat Nagar,
Ludhiana.

(Tran

Objections, if any, to the acquisition of the said
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a pe
45 days from the date of publication of this
in the Official Gazette or a period of 30 da
the service of notice on the respective persons,
ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said imm
property, within 45 days from the date
lication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used he
are defined in Chapter XXA of th
Act, shall have the same meaning
in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-XVII-52/4, Bagh Nauhari Mal Jain, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1834 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/141A/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. Plot measuring 355 sq. yds. situated at Gurdev Nagar, (Tarf Karabara), Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kartar Kaur,
W/o Sh. Tara Singh,
1809/5, Miller Ganj,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar,
S/o Sh. Sohan Lal,
27B, Textile Colony,
Ludhiana.

(Transferee)

(a) by any of he aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 355 sq. yds. at Tarf Karabara, Gurdev Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1914 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/147/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 1333 (Measuring 1014 sq. yds.) situated at Sector 33C, Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Chandigarh in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Col. Jai Krishan Jindal,
S/o Sh. Babu Ram,
R/o A-77, Defence Colony
Meerut.

(Transferor)

(2) S/Shri Subhash Kapoor, Ashok Kapoor & Deepak Kapoor,
Ss/o Shri K. L. Kapoor, S.C.O. No. 75,
Sector 17C,
Chandigarh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1333 (Measuring 1014 sq. yds) Sec. 33C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 898 of July 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/135/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot measuring 204.7/12 sq. yds. situated at Mahal Bagat, near Ahsan Road, Civil Lines, Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitri Devi,
Wd/o Sh. Bal Krishan through Major General Manmohan Nath,
D-275, Defence Colony,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Charan Dass,
S/o Sh. Lal Chand,
B-III-776, Mohalla Saidan,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the asquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from hte service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EPXLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot 204.7/12 sq. yds. at Mahal Bagat, Ahsan Road, Civil Lines, Ldh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2431 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/137/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot measuring 204.7/12 sq. yds. situated at Mahal Bagat, near Ahsan Road, Civil Lines, Ldh.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer

at Ludhiana in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitri Devi
Wd/o Balkishan through Brig. Pran Nath,
R/o M-142, Greater Kailash,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Darshana Devi,
W/o Sh. Charan Dass,
B-III-776, Mohalla Saidan,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 204.7/12 sq. yds. at Mahal Bagat, near Ahsan Road, Civil Lines, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2329 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhina).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Ttax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/124/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 3321, situated at Sector 32D, Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfererd under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Chandigarh in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bimla Duggal,
House No. 1157, Sec. 21B,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Sukh Versha Sargam,
SCF No. 15, Sector 22D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3321, Sector 32D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 685 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Ludhiana,.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/142/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 1262-P situated at Sector 15B, Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Naunihal Singh Bedi,
S/o Sh. Harnam Singh,
Shop No. 84, Sector 15D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri I. R. Trehan,
S/o L. Amar Nath,
Chemistry Department,
Punjab University,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1262-P, Sector 15B, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No. 862 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. SRD/29/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 6B-3B situated at V. Ajnali Teh Sirhind (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sirhind in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Inder Singh, Charanjit Singh
Ss/o Sh. Harnam Singh,
R/o Vill. Anjali Teh. Sirhind.

(Transferor)

(2) Smt. Mohinder Kaur,
W/o Sh. Amar Singh,
R/o Vill. Kukar Majra Teh. Nabha.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6B3B situated in Vill. Ajnali Teh. Sirhind.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 1774 of July, 1980 of the Registering Authority, Sirhind.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. SRD/27/80-81/– Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 74 Kanals situated at V. Raur Garh, Teh. Sirhind

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Sirhind in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to beween the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Pritam Singh,
S/o Sh. Tellu & Smt. Pyar Kaur,
W/o Sh. Pritam Singh,
V. Paur Garh,
Teh. Sirhind.

(Transferor)

(2) Smt. Mohinder Kaur,
W/o Sh. Bhupinder Singh & Smt. Jaspal Kaur,
W/o Sh. Balbir Singh,
R/o V. Rohati,
Tehsil Nabha.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 74 Kanals at V. Raur Garh, Teh. Sirhind. (The property as mentioned in the sale deed No. 1746 of July 1980 of the Registering Authority, Sirhind).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/171/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Plot No. 2510, situated at Sector 35C, Chandigarh (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Satyindra Singh,
S/o Sh. Amar Singh,
R/o A8/29, Vasant Vihar,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Harjit Kaur,
W/o S. Badan Singh,
R/o 2510, Sector 35C,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2510, Sector 35C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1035 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/161/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 2341, Sector 23-C situated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideartion and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Malook Chand,
S/o Sh. Mehtab Ram,
R/o 3404, Sector 23-D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Rajinder Singh Bhasin,
S/o Sh. Sant Singh,
R/o 1546, Sector 33-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2341 situated in Sector 23-C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1007, of July, 80 of the registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Ttax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March 1981.
Seal ;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/166/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 3727, Sector 32-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surjit Singh,
S/o Sh. Teja Singh,
R/o H. No. 3376, Sector 32-D,
Chandigarh
through Sh. Bakshish Singh,
S/o Sh. Waryam Singh,
R/o 1552, Sector 20-B,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Pritam Singh,
S/o Shri Waryam Singh,
R/o H. No. 1552, Sector 20-B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3727 situated in Sector 32D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1020 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/130/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 456, situated at Sector 35A, Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed nereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liablity of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Charanjit Singh Gill,
S/o Col. Phuman Singh Gill,
C/o 56 A.P.O. through his attorney Sh. Sohan Singh
S/o Shri Sher Singh,
R/o House No. 456, Sec. 35A,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Gurmail Singh,
S/o Sh. Narain Singh &
Shri Malkut Singh,
S/o Sh. Sohan Singh,
residents of 456, Sec. 35A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to be acquisitions of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 456, Sector 35A, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 701 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND
Competnt Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. KNN/26/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 12 kanals situated at Alour, (Khanna) Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khanna in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Cahar Singh & Sh. Amar Singh,
Ss/o Shri Phaggu,
Residents of V. Alour (Khanna),
Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) M/s Ram Ji Dass & Sons,
G.T. Road, Alour (Khanna),
Distt. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 12 kanals at Alour (Khanna) Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1176 of July, 1980 of the Registering Authority, Khanna).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. LDH/173/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 114-H, situated at Sarabha Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ranjit Kaur,
Wd/o Sh. Harchand Singh,
Amrik Singh,
Parmjit Kaur,
Charanjit Kaur,
D/o Sh. Gurbachan Singh,
R/o H. No. 7-H, Sarabha Nagar,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Sh. Daljit Singh,
S/o Sh. Gurdit Singh,
R/o 85-B, Sarabha Nagar,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 114-H measuring 250 sq. yds. situated in Sarabha Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 2939 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/170/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 1181, situated at Sector 37B, Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Niranjan Dass Sharma,
S/o Sh. Hem Raj,
R/o 1512, Sector 7C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Gurpartap Singh Sodhi & Smt. Gurdeep Kaur Sodhi,
R/o 998A/Sector 7B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1181, Sec. 37B, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. of 1034 July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/126/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 2101, Sector 35-C, situated at Chandigarh (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Hardev Singh Sarna,
S/o Sh. Kalyan Singh Sarna,
R/o H. No. 6, 76-Theatre Road,
Calcutta-17.

(Transferor)

(2) Sh. Jasmer Singh,
S/o Sh. Tara Singh,
& Smt. Gurnam Kaur,
W/o Sh. Tara Singh,
C/o Hira Printing Press, Court Road, Moga Now H. No. 75, Sector 27-A, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2101 situated in Sector 35-C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 688 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. SRD/39/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 37 Kanals 12 Marlas situated at Village Nabipur, Teh. Sirhind, Distt. Patiala.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sirhind in July, 1980.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Kulwant Kaur,
Wd/o Major Mohinder Singh,
R/o V. Nabipur, Teh. Sirhind now at House No. 158, Sec. 33, Chandigarh.
S. Sukhpreet Kaur
D/o Major Mohinder Singh,
H. No. 158, Sec. 33,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Puran Singh,
S/o Shri Lal Singh & S/Sh. Mangal Singh, Gurmukh Singh & Bhupinder Singh sons of Sh. Puran Singh,
R/o Nabipur, Teh. Sirhind,
Distt. Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 37 Kanals 12 Marlas at V. Nabipur, Teh. Sirhind, Distt. Patiala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2056 of July, 1980 of the Registering Authority, Sirhind).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana the 13th March 1981

Ref. No. LDH/R/24/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. H. No. B-34-2272, situated at Joshi Nagar, Haibowal Kalan Teh. Ludhiana

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifeen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sheela Vati
wd/o Sh. Ram Parsad,
r/o 757, Patel Nagar,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Manju Gian Sharma
w/o Sh. Gian Chand Sharma
r/o B-XXXIV/2272, Joshi Nagar,
Haibowal, Ludhiana,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House B-XXXIV-2272 in Joshi Nagar, Haibowal Kala Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 2979 of 7/80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND
Competent Authroity
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. AFML/47/80-81/—Wheresas I SUKHDEV CHAND,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 1 Bigha situated at Kukkar Majra S. Teh. Amloh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer

at Amloh on July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the asid Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Malkiat Singh
s/o Sh. Ram Krishan
r/o Kukkar Majra
S. Teh. Amloh.

(Transferor)

(2) S/Sh. Amar Kant,
Ram Naresh
s/o Ganga Dien,
Om Rattan,
Subash Chand ss/o
Sh. Har Parshad
r/o Ward
No. 3,
Mandi Gobindgarh
S. Ten. Amloh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein a are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring Bigah situated in V. Kukkar Majra S. Teh. Amloh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 888 of July, 1980 of the registering Authority, Amloh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Accquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March 1981
Seals

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/150/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agril. Land measuring 4 Kanals 2 Marlas alongwith Poultary Sheds.
situated at Vill. Daria, U.T. Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Chandigarh in Jjuly 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Murari Lal Puri
s/o Sh. Hans Raj Puri,
r/o H. No. 1211, Sector 18-C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Harmail Singh,
s/o Sh. Raja Singh
r/o Village Darua
U.T. Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agrl. Land measuring 46KM alongwith Poultary heds built over it situated in Vill. Darua U. T. Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 950 of July, 1980 of the Registering authrority, Chandigarh)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. LDH/133/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding, Rs. 25,000/- and bearing No. House No. B-XIX-423/B, situated at Sohi Street, College Road, Civil Lines, Ludhiana (and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of.—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquision of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Tirath Ram,
Parkash Chand,
Kanwar Lal,
Prem Sagar,
Ss/o Sh. Gujar Mal,
R/o B- 13-1369.
Kucha Hardial Sukhram Nagar,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Siri Ram
S/o Sh. Puran Chand
R/o House No, B-XIX/423/B,
Sohi Street,
College Road,
Civil Lines,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-XIX-423/B, Sohi Street, College Road, Civil Lines Ldh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2381 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana-7, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/151/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 3456 Sector 35-D, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jaswant Kaur
wd/o Sh. Rajinder Singh
r/o VPO. Langroya Teh.
Nawan Shahar Distt.
Jullundur.

(Transferor)

(2) Sh. Madanjit
s/o Shri Ishar Dass,
r/o H. No. 2862,
Sector 22-C,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3456, situated in Sector 35-D, Chandigarh.
(The property as mentioned in the Registered deed No. 952 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/132/80-81—Whereast I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 1506, Sector 33-B, situaed at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lt. Col. B. S. Randhawa s/o
Sh. Ujjagar Singh
r/o. H. No. 1623,
Sector 18-D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Mrs. Tajinder Kaur
w/o Sh. Joga Singh
H. No. 622, Sector 73-B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1506 situated in Sector 33-B, Chandigarh.
(The property as mentioned in the registered deed No. 742 of July 80 of the Registering Authority, Chandigarh)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13-3-1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/138/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. Plot No. 1807, Sector 34-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in Ju.y 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Lt. Col. Ram Pat Yadava (Retd)
s/o Thakur Singh,
r/o 27,
Sri Nagar Colony, Sikadrabad
(Andhra Pradesh)

(Transferor)

(2) Sh. R. K. Sehgal
s/o Shri Harbans Lal Sehgal and
Mrs. Sulakshana Sehgal
w/o Shri R. K. Sehgal,
r/o H. No. 697,
Sector 11-B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1807 situated in Sector 34-D, Chandigarh.
(The property as mentioned in the registered deed No. 854 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/146/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 2760, Sector 22-C, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Swarna Kanta
w/o Sh. Roshan Lal Sood
R/o H. 2760,
Sector 22-C,
Chandigarh.

(Transtferor)

(2) Shri Gurmail Singh
(ii) Sh. Hamir Singh
ss/o Shri Gurdev Singh
s/o H. No. 2688,
Sector 22-C,
Chandigarh.

(Transferor)

(3) Shri Devi Davely Janak,
Sh. Amarjit
Sh. Satish Chander
Nisaramsi
r/o. H. No. 2760,
Sector 22-C,
Chandigarh.

[Person(s) in occupation of the Property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 2760 situated in Sector 22-C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the registered deed No. 897 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/140/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 269, Sector 33-A, situated at Chandigarh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Chandigarh in July 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Maj. Amarjit Singh Sohal
s/o Sh. Malhara Singh Sohal
r/o Vill. Sol Khlan
P. O. Patharizatan
Distt. Ropar through
Sh. Jitender Singh
s/o Sh. Charanjit Singh
r/o H. No. 202
Sector 19-A,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Harcharan Kaur
w/o Jitender Singh
r/o H. No. 1124,
Sector 20-B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 269, situated in Sector 33-A, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 858 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 18-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/152/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1511, Sector 36-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

41- GI/81

(1) Cap. Naresh Sehgal
s/o Sh. Jagdish Raj Sehgal
r/o 17239,
Fanando Mission B. L. V.D. Canda through
Sh. Jagmohan Singh Choudhry Advocate
s/o Sh. Acchra Singh Advocate
r/o H. No. 74,
Sector 8-A,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Mrs. Paramjit Kaur Grewal
w/o Sh. K.S. Grewal
r/o H. No. 1511,
Sector 36-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1511, situated in Sector 36-D, Chandigarh.
(The property as mentioned in the registered deed No. 953 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13-3-81
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. SRD/31/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 36K3M situated at Vill. Dera Meer Mera Teh. Sirhind

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfererd under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sirhind in July 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Sardul Singh,
Jaswant Singh,
Lakhwant Singh,
Baljinder Singh
ss/o Sh. Malkiat Singh and
Smt. Gurdev Kaur
d/o Sh. Atma Singh
r/o Vill. Dera Meer Mera Teh.
Sirhind.

(Transferor)

(2) S/Shri Ajit Singh,
Joginder Sihgh
Mohinder Singh
ss/o Sh. Kesar Singh
r/o Vill. Dera Meer Mera Teh.
Sirhind.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 36 K3M situated in Village Dera Meer Meera Teh. Sirhind.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 1815 of July, 1980 of the registering Authority, Sirhind).

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13-3-1981
Seal:

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. AML/70-80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1/2 share of Land measuring 142 Kanals 7 Marlas situated at Vill. Narain Garh S. Teh. Amloh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Amloh in August, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and /or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 **(27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Santokh Singh
s/o Sh. Nirmal Singh
r/o Vill. Hussanpur
Teh. Nabha.

(Transferor)

(2) S/Sh. Sewa Singh,
Sher Singh,
Ajmer Singh
ss/o Sh. Bachan Singh
r/o Bhadson
P. O. & Teh. Nabha.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4 share of land measuring 142 Kanala 7 Marlas situated in Vill, Naraingarh S. Teh. Amloh..

(The property as mentioned in the registered deed No. 1204 of August, 1980 of the registering Authority, Amloh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisiion Range, Ludhiana.

Date : 13 March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER, OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. AML/50/80-81—Wheresas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/4 share of Land Measuring 142 kanals 7 Marlas
situated at V. Narain Garh S. Teh. Amloh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Amloh in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Santokh Singh
s/o Nirmal Singh
r/o Vill. Naraingarh Teh Nabha.

(Transferor)

(2) Smt. Chand Kaur
w/o Sh. Gurdial Singh,
Sh. Gurmail Singh,
Gurmit Singh
ss/o Sh. Gurdial Singh
r/o Haibat Pur
P.O. Narain Garh
S. Teh. Amloh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4 share of land measuring 142 kanals 7 Marlas situated in Vill. Narain Garh S. Teh. Amloh)

(The property as mentioned in the registered deed No. 909 of July 80 of the Registering Authroty, Amloh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authroity
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana

Date :13 March, 1981
Saal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. CHD/157/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H. No. 201, Sector 11-A, situated at Chandigrah (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sbhgg Rani
w/o Late Sh. Pritan Dev Bhardwaj,
r/o H. No. 557
Sector 16-D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Mohinder Singh Buttar
s/o Sh. Lachhman Singh
Buttar through
Sh. Kartar Singh Sumal,
r/o H. No. 606,
Sector 16-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. N9. 201, situated in Sector 11-A, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 993 of July 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authroity
Insepecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana the 13th March 1981

Ref. No. CHD/133/80-81—Whereas I SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 637, Sector 36-B, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gurding Singh
s/o Shri Ujjaggar Singh
r/o 17/1,
Sri Mountu Day Lane,
Calcutta-12.

(Transferor)

(2) Sh. Ajit Singh Chhatwal
s/o Sh. Sunder Singh, Chhatwal
Smt. Amarjit Chhatwal
w/o Sh. Ajit Singh, Chhatwal
r/o H. No. 148,
Zhandu Bagichi Raghumajra,
Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 637 situated in Sector 36B, Chandi garh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 794 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/134/80-81—Whereas I SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 1737, Sector 33-D, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Maj. Pribhu Lokumal Sadarangani
s/o Lokumal Narain Dass Sadarangani
r/o 8, Seaglimper by Rangi Jiji Bai road,
Bandra Bombay-40050 through
Sh. Gujait Singh Advocate,
r/o H. No. 613,
Sector 16-D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Bachan Singh
s/o Sh. Hira Singh
r/o H. No. 613,
Sector 16-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1737 situated in Sector 33-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 796, of July, 1980 of the registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspectiong Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range,
Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/131/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 1379, Sector 34-D, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Candigarh in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaind property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Avtar Singh Sidhu
s/o Sh. Balbir Singh,
r/o 3324, P
Power house Road,
Bhatinda through,
Sh. Krishan Dev Sharma
r/o 3032, Sector 19-D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Shyam Sunder Sethi
s/o Sh. Chana Dass Sethi,
Smt. Anita Sethi
w/o Sh. Shyam Sunder Sethi,
r/o 206,
Sector 21-A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EPXLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1379, Sector 34-D Chandigarh

(The property as mentioned in the registered deed No. 737 of July, 80 of the registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authrotiy
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax Acquisition Range,
Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/163/80-81—Whereas SUKHDEV CHAND, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 3029, Sector 35-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Brij Bhushan Aggarwal
s/o Sh. Bansi Ram Aggarwal Supdt. of Poilce
(V.S.S.) Punjab State Electricity Board,
Patiala Punjab. through Shri Harbilas Rai
s/o Sh. Pyare La. Aggarwal
r/o SCF No. 28-29,
Sector 28-C,
Chandigarh.

(Ti ansferor)

(2) Smt. Usha Singhla,
w/o Shri Sant Ram Singla
r/o SCF No. 28-29,
Sector 28-C,
Chandigarh Permanent
r/o Shahi Samadhan,
Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3029, Sector 35-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1012 of July 80 of the Registering Authority, Chandigarh)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspectiong Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range,
Ludhiana

Date : 13 March 1981
Deal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref, No. CHD/115/80-81—Whereasa SUKHDEV CHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 334, Sector 33-A, situated Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considerations therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Agya Kaur Kochhar
wd/o Late Lt. Col.
Balwant Singh Kochhar &
Smt. Harmanjit Kaur
w/o Sh. S.K.B.S. Lamba
d/o Late Ltd. Col. Balwat Singh Kochhar
r/o 35-BDDAFlat Rajouri Garden,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Parkash K. Saini
w/o Sh. Vipin Kumar Saini,
r/o H. No. 114,
Secotor 33-A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 334 situated in Sector 33-A, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 658 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAHD
Competent Authrority
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range,
Ludhiana)

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUIS ITION RNNGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/165/80-81—Whereas SUKHDEV CHAHD being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 3510, Sector 32-D, situated at Chandigarh
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Chandigarh in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Jaswant Kaur
w/o Sh. Harchand Singh
r/o V. PO, Raghomajra,
Naya Bas Gali No. 3,
Patiala through Sh. Nari Parkash Khanna
s/o Sh. Niranjan Dass
r/o V. Mohna
P. O. Tioutha
Distt. Kurukshetra Haryana
c/o OH. No. 9,
Sector 33-A,
Chandiagrh.

(Transferor)

(2) Sh. Mulkh Raj Gaba
s/o Shri M.. Gaba
r/o H. No. 3870,
Sector 32-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3510, situated in Sector 32-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 1021 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND
Competent Authrority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range
Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. LDH/102/80-81—Whereas SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 58 (measuring 358 sq. Yds.) situated at Rakh Bagh, Civil Lines, Ludhiana.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitri Devi Wd/o Shi Ram Rakna Bawa, Advocte self and Ganral Attorney of his sons
Shl Arun Kumar,
Ramesh Chander,
R/o Sant Cottage,
Bindraban Road,
Civil Lines, Ludhiana. (Transferor)

(2) Dr. Rita Takkar
w/o Dr. Ved Parkash Takkar,
R/o 82,
Club Road,
Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the sericve of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Nol 58 (measuring 358 sq. Yds) at Rakh Bagh, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2024 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana)

SUKHADEV CHAND
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income Tax Acquisition Range,
Ludhiana

Date : 13 March 1981
Seal.

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE LUDHIANA

Ludhiana the 13 March 1981

Ref. No. JGN/8/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. A house situated at Mohlla Guru Teg Bhadur, Malak Road, Jagraon

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagraon in July 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparrent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harnam Karur
wd/o Sh. Sardara Singh
r/o Mohalla Guru Teg Bhadur
(Aggavar Gujjran)
Jagraon Distt.
Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Surinder Karur
w/o Sh. Jaswant Singh
r/o Vill Hathur
Teh. Jagraon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house situated in Mohalla Guru Teg Bhadur (Aggarwar gujjran) Teh. Jagraon Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the registered deed No. 3264 of July, 80 of the Registering Authority, Jagroaon.)

SUKHDEV CHAND
COMPETENT AUTHORITY
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income Tax Acquisition Range,
Ludhiana)

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RAHGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. CHD/156/80-81—Whereas I Sukhdev Chand, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 1282, situated at Sector 34 C, Chandigarh.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lt. Col. J. N. Dogra (Retd)
S/o Sh. Bishan Dass Dogra,
B.R.-10/C,
DDA Flats,
Manerka,
New Delhi

(Transferor)

(2) Shri Subhash Chand Chopra
S/o Late Sh. Nathu Ram Chopra,
Mrs. Savindra Kumari
w/o Sh. Subhash Chand Chopra,
R/o House No. 1285,
Sech 21B,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from **the service of notice on the respective persons,** whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1282, Sector 34C, Chandigarh

(The property as mentioned in the sale deed No. 976 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh)

SUKHDEV CHAND
Competent Authrority
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range,
Ludhiana)

Date : 13 March 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RNAGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13 March 1981

Ref. No. LDH/111/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot Pmeasuring 2431/2 sq. Yds. situated at Muradpura, Ludhiana. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana, in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Raj Kalsi
w/o Sh. Gurparsad
R/o 576, Phase-I,
Mohali, Distt.
Ropar.

(Transferor)

(2) Shr. Janak Raj
S/o Sh. Gurdas Mal
M/s Gurdas Packing Store,
Moonheli Mandi,
Gill Road
Ludhiana.

(Transfeee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot measurng 243/½ sq. Yds. at Muradpura, Ludhiana.

(The poperty as mentioned in the sale deed No. 2097 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana)

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range,
Ludhiana)

Date: 13 March 1981
Seal :

Form I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RHGE LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/129/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHANE being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. House No. B. 23-899/66 situated at Shivaji Nagar, Samrala Road Ludhiana.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Ludhiana. in July 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Daljit Kaur
W/o Sh. Parbh Singh through
Shri Waryam Singh
S/o Sh. Sewa Singh
R/o B-23-898/36A,
Shivaji Nagar,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Joginder Kaur
W/o Giani Harnam Singh,
Shivaji Nagar,
H. No. B-XXIII-899/66,
Ludhaiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-23-899/66, Shivaji Nagar, Samrala Road, Ludhaina.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2305 of July, 1980 of the Registering Authority Ludhiana)

SUKHDEV CHAND
Competent Authrotity
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax Acquisition Range,
Ludhiana)

Date: 13 March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/125/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot measuring 290 sq. yds. situated at Tarf Hasan Rora, Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ludhiana in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amarjit Lal,
S/o Sh. Parshotam Dass,
12/23, Pb. Agricultural University,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Nachhatar Kaur,
W/o Sh. Harnek Singh,
1327/4, Maharaj Nagar,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 290 sq. yds. at Tarf Hasan Rora, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2260 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/140/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Half share in House No. B-XXXV-1380/1 situated at Ferozepur Road, Bus Stand Barewal, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balraj Kumar,
S/o Sh. Shiv Lal,
R/o House No. 913/4, Tagore Nagar,
Civil Lines,
Ludhiana.

(Transferor

(2) Shri Ravinder Malik,
S/o Sh. Prabhdial Malik,
R/o 4B, Sarabha Nagar,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in House No. B. XXXV-1380/1, Ferozepur Road, Bus Stand Barewal, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2464 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/R/29/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 107 Kanals 6 Marlas situated at V. Qadian, Teh. & Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lachhman Das Oswal,
S/o Sh. Asa Ram Oswal,
Oswal Bhawan, Brahmpuri,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) M/s Jain Dairy & Agricultural Farm,
Ludhiana through Shri Dev Raj,
Partner.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 107 Kanals 6 Marlas at V. Qadian, Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 3611 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/120/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1139, Sector 360, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the asid Act, to the following persons, namely :—

(1) Major M-S. Datta
S/o Sh. G. S. Datta,
R/o 1224, Sector 31,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri G. K. Bhatnagar,
S/o Shri I. K. Bhatnagar & Mrs. Ritu Bhatnagar,
W/o Sh. G. K. Bhatnagar,
R/o 442, Sector 35-A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1139 situated in Sector 36-C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 674 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/113/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value erceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 16 Kanals 9 Marlas situated at V. Meharban Distt. Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in July, 1980
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Miss Bhupinder Kaur,
D/o Sh. Kala Singh,
R/o 372, Jail Road,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Ravinderjit Singh,
S/o Sh. Amrik Singh,
R/o V. Kakowal,
Tehsil Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 Kanals 9 Marlas at V. Meharban, Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2120 of July, 1980 of the Registering Authority Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 17th March, 1981

Ref. No. LDH/114/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 16 Kanals 9 Marlas situated at Village Meharban, Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act ,1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rajinder Kaur,
W/o Sh. Ajinder Singh,
372, Jail Road,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Amrik Singh,
S/o Shri Amar Singh,
R/o V. Kakowal,
Teh. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 Kanals 9 Marlas at Meharban, Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2121 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/115/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 16 Kanals 3 Marlas situated at Village Meharban, Distt. Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facliiting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Miss Adarshpal Kaur,
D/o S. Kala Singh,
372, Jail Road,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Daljit Kaur,
W/o S. Amrik Singh,
R/o Village Kakowal, Teh. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 Kanals 3 marlas at V. Meharban, Distt. Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2122 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. LDH/116/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 16 Kanals 9 Marlas situated at V. Meharban, Teh. Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Welath-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Miss Gurdip Kaur,
D/o Shri Kala Singh,
R/o 372, Jail Road,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Inderjit Singh,
S/o Sh. Amrik Singh,
R/o V. Kakowal,
Tehsil Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 Kanal 9 Marlas at V. Meharban, (Ludhiana).

(The property as mentioned in the sale deed No. 2123 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana,

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
Ludhiana, the 13 March, 1981

Ref. No. KHR/12/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 222, Phase 7, situated at Mohali Teh. Kharar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kharar in July, 80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Surjit Kaur,
W/o Sh. Bhagat Singh,
R/o H. No. 405, Phase 7,
Mohali.

(Transferor)

(2) Mrs. Kuldeep Khanna,
W/o Sh. R. D. Khanna,
R/o 222, Phase 7,
Mohali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 222, Phase 7, Mohali Teh. Kharar.
(The property as mentioned in the registered deed No. 2195 of July, 80 of the Registering Authority, Kharar.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,Ludhiana

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/125/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1205, situated at Sector 33C, Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Subhash Chand Singla,
S/o Late Sh. Mehar Chand & Smt. Saroj Singla
W/o Sh. Subhash Chand Singla,
R/o House No. 3565, Sec. 23D,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Bhajan Singh,
S/o Shri Surat Singh & Mrs. Kamaljeet Kaur,
W/o Sh. Bhajan Singh,
resident of House No. 58, Sector 20A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1205. Sector 33C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 687 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/121/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 2264 situated at Sector 35C, Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exeeds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurjaib Singh,
S/o Sh. Amrao Singh,
R/o V&PO Roorkee Pukhta, Distt. Ropar. through his attorney Sh. Gulwant Singh
R/o 378, Sector 20A, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Darshan Singh,
S/o Shri Gulwant Singh,
R/o House No. 378, Sec. 20A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2264, Sec. 35C, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No. 680 of July, 1980 if the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana).

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/155/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1266, situated at Sector 34C, Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-persons, namely :—

(1) Capt. Charanjit Singh Khanooja through
Shri Roshan Lal,
C/o SCF 57, Sec. 30C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Nirmal Kanta,
W/o Shri Roshan Lal,
R/o SCF 57, Sector 30C,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1266, Sec. 34C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 960 o July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana)f

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/160/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 1136, situated at Sector 34C, Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri L. K. Arora,
S/o Sh. N. R. Arora,
735, Hari Nagar,
Rohtak.

(Transferor)

(2) Smt. Satwant Kaur,
W/o Sh. Atma Singh,
V. Bardhal, Distt. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1136, Sector 34C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1002 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/R/28/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 19 Kanal 13 Marlas situated at V. Khanpur, Teh. & Distt. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Bhajna,
S/o Sh. Waryama,
R/o V. Khanpur, P.O. Ghawaddi,
Teh. & Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Daljit Kaur,
W/o Sh. Gurmel Singh,
R/o Khanpur, P.O. Ghawadi,
Teh. & Distt. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 19 Kanals 13 Marlas at Khanpur, Tehsil & District Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 3514 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LU HIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/99/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. residential House No. B-17-295, situated at Bharat Nagar, Ludhiana

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kartar Singh,
S/o Sh. Alla Singh,
R/o 295, Bharat Nagar,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Naranjan Singh,
S/o Sh. Chamba Singh,
389, Kucha No. 12, Field Ganj,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. B-17-295/P, Bharat Nagar, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1930 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/164/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing .
No. Plot No. 74, situated at Sector 33A, Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jarnail Singh,
S/o Sh. Kishan Singh,
House No. 74, Sec. 33A,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Joginder Kaur,
W/o Sh. Jaswant Singh,
House No. 74, Sec. 33A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 74, Sec. 33A, Chandigarh.
(The property as mentioned in the saledeed No. 1019 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana,)

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/141/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 3092, situated at Sector 35D, Chandigarh (and more fully described in the schedule annexed hereto, has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

45—36GI/81

(1) Mrs. Vimal Verma,
W/o Late Sq. Ldr. Bikram Verma,
R/o C-4/A-58-C/Janakpuri,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri K. L. Pasrija,
S/o Sh. K. S. Pasrija,
563, Sec. 16D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3092, Sec. 35D, Chandigarh.
(The property as mentioned in the sale deed No. 861 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana)

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/112/80-81/ –Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Malerkotla House Bearing No. B-XIX-620 situated at Civil Lines, Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Ludhiana in July, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nand Kishore Kandhari,
S/o Shri Mehar Chand,
R/o Malerkotla House, Civil Lines,
Ludhiana.
(Transferor)

(2) Smt. Sheela Wanti,
Wd/o Shri Ram Parsad,
R/o H. No. B-XIX-620, Malerkotla House, Civil Lines,
Ludhiana (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-XIX-620, Maler Kotla House, situated in Civil Lines, Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered deed No. 2115 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/26/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 16 bighas situated at V. Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dera Bassi in August, 1980
for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparenet consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of he ransferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o Sh. Mohinder Singh,
R/o House No. 1011, Sec. 8C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Shyam Sunder Sharma,
S/o Sh. Kidar Nath Sharma (HUF),
Kothi No. 229, Sector 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 bighas at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi.
(The property as mentioned in the sale deed No. 827 of August, 1980 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/24/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Bldg. & Land measuring 6 bighas situated at V. Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala (and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dera Bassi in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o S. Mohinder Singh,
S/o Dalip Singh,
R/o House No. 1011, Sec. 8C,
Chandigarh.

(Transferor

(2) Shri Shyam Sunder Sharma & Sh. Vinod Kumar Sharma
Ss/o Sh. Kidar Nath Sharma,
S/o Madho Ram Sharma (HUF),
R/o House No. 229, Sec. 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. & Land measuring 6 bighas at V. Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi (Patiala).

(The property as mentioned in the sale deed No. 765 of July, 1980 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/24A/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. Bldg & Land measuring 8 bighas situated at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala

more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Dera Bassi in August, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or oher assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o S. Mohinder Singh,
R/o 1011, Sector 8C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar Sharma,
S/o Sh. Kidar Nath Sharma (HUF),
Kothi No. 229, Sector 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. & Land measuring 8 bighas at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi.

(The property as mentioned in the sale deed No. 767 of August, 80 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/21/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 22·1 bighas situated at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Dera bassi in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o Sh. Mohinder Singh,
S/o Dalip Singh,
R/o House No. 1011, Sector 8C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Shyam Sunder Sharma,
S/o Sh. Kedar Nath Sharma, (H.U.F.),
R/o Kothi No. 229, Sector 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 22·1 Bighas at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi.

(The property as mentioned in the sale deed No. 701 of July, 1980 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/20/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 20·15 bighas situated at V. Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dera Bassi in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o S. Mohinder Singh,
S/o Sh. Dalip Singh,
R/o House No. 1011, Sec. 8C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar Sharma,
S/o Sh. Kidar Nath Sharma, (H.U.F.),
Kothi No. 229, Sector 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 20·15 bighas at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi.

(The property as mentioned in the sale deed No. 676 of July, 1980 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/23/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 22 bighas situated at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dera Bassi in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o Sh. Mohinder Singh,
R/o House No. 1011, Sec. 8C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Vinod Kumar Sharma,
S/o Sh. Kidar Nath Sharma,
(HUF), Kothi No. 229, Sector 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 22 bighas at Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi.

(The property as mentioned in the sale deed No. 740 of July, 80 of the Registering Authority, Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/128/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND,
being the Competent Authoity under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. H. No. 113, Sector 16-A, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Mrs. Nirmal Sharma, W/o Sh. Raj K. Sharma
(ii) Mr. Deepak Sharma S/o Mr. Raj K. Sharma,
(iii) Mr. Prabhat Sharma S/o Mr. Raj K. Sharma
(iv) Mrs. Neera Sharma D/o Mr. Raj K. Sharma
(v) Mr. K.K. Sharma, S/o Prof. D. C. Sharma
(vi) Mr. Manmohan Sharma S/o Prof. D. C. Sharma
(vii) Mrs. Saroj Sharma W/o Mr. Satish Sharma
(viii) Mr. Madhu Sudan Sharma S/o Sh. Satish Sharma
(ix) Mrs. Geeta Taneja D/o Shri Satish Sharma
(xi) Mrs. Pushpa Dass D/o Prof. D. S. Sharma
(xii) Mrs. Shanta Tiwari d/o Prof. D. C. Sharma
(xiii) Mrs. Usha Kapila D/o Prof. D. C. Sharma through Sh. Satish Chander Kapila Advocate S/o Sh. Balmokand R/o Anand Bhawan Hoshiarpur.

(Transferor)

(2) Brig. A. D. Verma, S/o Dr. Paras Ram, R/o H. No. 113, Sector 16-A, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 113, situated in Sector 16-A, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 699 of July, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/167/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. SCF No. 25, Sector 18-C, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July/August, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Piara Singh, S/o Nikka Singh & Smt. Swaran Kaur, W/o Sh. Piara Singh and Karnail Singh S/o Piara Singh R/o Vill. Bhungrani Teh. Hoshiarpur, at present 373, Holston Road, Wolvesshampton West Middle Land England through Sh. Sucha Singh S/o Sh. Nand Lal R/o H. No. 3372, Sector 15-D, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Darshana Devi W/o Sh. Om Prakash Aggarwal R/o SCF No. 20, Sector 18-C, Chandigarh Now SCF No. 25, Sector 18-C, Chandigarh.

(Transferee)

(3) Sh. Sher Singh S/o Bhagat Singh
Sh. Atma Singh Band Master
Sh. Gurdev Singh
Sh. Jagdish Tiwari
Sh. Chander Bhan
Sh. Sagir Ahmad
Sh. Ajai Kumar
all r/o SCF No. 25, Sector 18-C, Chandigarh.

(Persons in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCF No. 25, Sector 18-C, Chandigarh.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 1026 of July/August, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref No ' KHR/13/80-81/--Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No House No 2778, Phase 7 situated at S A S Nagar Mohali Teh Kharar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kharar in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh Ranjit Singh,
S/o Sh Bhaga Singh,
R/o H No 71, Sector 30-A,
Chandigarh

(Transferor)

(2) Sh Satish Kumar Kapoor,
S/o Sh Mulakh Raj Kapoor,
R/o H No 40, Sector 15-A,
Chandigarh

(Transferee)

(3) Sh S L Passi,
Account Officer, D P I Haryana,
R/o H. No. 2778, Phase 7, S.A.S. Nagar,
Mohali.

(Person in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 2778, Phase 7 situated in S.A.S. Nagar, Mohali Teh. Kharar.

(The property as mentioned in the registered deed No. 2356, of July, 80 of the Registering Authority, Kharar.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASS'TT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. LDH/141/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House Property No. B-VI-264 (New) situated at Madhopuri, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mukandi Lal,
S/o Shri Khiwa Singh
through Shri Amar Singh,
S/o Sh. Mukandi Lal,
R/o Kucha No. 4, House No. 240/8,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Manohar Lal Jain,
S/o Sh. Beli Ram Jain & Smt. Asha Jain,
W/o Ashok Kumar Jain & Smt. Kamlesh Jain,
W/o Tarsem Kumar Jain,
R/o House No. B-6-264, Kucha No. 3, Madhopuri,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

House No. B-VI-264 (New) at Madhopuri, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2473 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March 1981

Ref. No. LDH/121/80-81—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 6 Kanals situated at Habowal Kalan Teh. Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sh. Lakhvir Singh & Avtar Singh,
Ss/o Sh. Sardara Singh,
R/o Chuhar Pura,
Teh. Ludhiana.

(Transferor)

(2) (i) Smt. Janki Devi,
W/o Sh. Chuni Lal,
R/o Habowal Kalan, Teh. Ludhiana.
(ii) Sh. Pritam Singh
(iii) Sh. Balwant Singh,
Ss/o Sh. Hukam Singh,
R/o 201, Model Town, Ludhiana.
(iv) Sh. Harchand Singh,
S/o Sh. Bir Singh
R/o Chuhar Pura Teh. Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6 Kanals situated in Habowal Kalan Teh. Ludhiana.

(The property as mentioned in the Registered Deed No. 2183 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. CHD/168/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. H. No. 557, Sector 16-D, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Bhagwant Singh,
S/o Attar Singh,
R/o Vill. Tangra,
Distt. Amritsar.

(Transferor)

(2) Smt. Suhag Rani,
W/o Sh. Pritam Dev Bhardwaj & Sh. Jeewan Bhardwaj
S/o Late Sh. Pritam Dev Bhardwaj
R/o 557, Sector 16-D,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 557, situated in Sector 16-D, Chandigarh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1032 of July, 80 of the Registering Authority, Chandigarh.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Ludhiana,

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/100/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of Kothi No. 576 situated at Model Town, Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deputy Singh,
S/o Shri Hari Singh,
R/o 576, Model Town, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Krishan Kumar Dhingra,
S/o Sh. Mohan Lal,
R/o 576, Model Town,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Kothi No. 576, Model Town, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1966 of July, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana,

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. LDH/109/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of Kothi No. 576, situated at Model Town, Ludhiana (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Deputy Singh,
S/o Sh. Hari Singh,
R/o 576, Model Town Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Krishan Kumar Dhingra,
S/o Shri Mohan Lal,
R/o 576, Model Town,
Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined is Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Kothi No. 576, Model Town, Ludhiana.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2081 of July, 80 of the Registering Authority, Ludhiana.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. SRD/34/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 6B-4B situated at Vill. Ajnali Teh. Sirhind (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sirhind in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

47—36GI/81

(1) Shri Inder Singh, Charanjit Singh, Ss/o Shri Harnam Singh, R/o Vill. Ajnali Teh. Sirhind.

(Transferor)

(2) Shri Amar Singh, S/o Shri Kartar Singh, R/o V. Kumar Majra, Teh. Nabha.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6B4B situated in Vill. Ajnali Teh. Sirhind.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1872 of July, 1980 of the Registering Authority, Sirhind.)

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. PTA/43/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 1 & 2, situated at Gowshala Road, near Shere-Punjab Market, Patiala (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Patiala in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objects of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Satwant Singh, Manmohan Singh,
S/o Dr. Sampuran Singh,
R/o Gowshala Road,
Patiala.

(Transferor)

(2) Smt. Jasbir Kaur,
W/o Harmohanjit Singh,
R/o Sher-e-Punjab Market,
Patiala.
(Shop No. 1 & 2, Gowshala Road)

(Transferee)

(3) Sh. Jaswant Singh, Kabari
Gowshala Road, Patiala.
(Person in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1 & 2, Gowshala Road, near New Sher-e-Punjab Market, Patiala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2870 of July, 1980 of the Registering Authority, Patiala).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. NBA/17/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 24 Kanals 11 Marlas situated at Nabha, Distt. Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Nabha in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Jagdish Chand, Kishan Chand, Ram Chand, Ram Pal & Madan Lal,
Ss/o Shri Parma Nand,
R/o Back side of Cinema,
Nabha.

(Transferor)

(2) S/Shri Joginder Singh,
S/o Avtar Singh &
Dharam Pal
S/o Sh. Ram Sarup,
C/o M/s Krishana Flour & Rice Mills, Nabha,
Distt. Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 24 Kanals 11 Marlas at Nabha, Distt. Patiala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1296 of July, 80 of the Registering Authority Nabha).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. SRD/38/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 34 Kanals 16 Marlas situated at Village Nabipur, Tehsil Sirhind, Distt. Patiala (and more fully described in the schedule annexed hereto), ha been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at Sirhind in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Preetmohinder Singh,
S/o Major Mohinder Singh,
R/o V. Nabipur, Tehsil Sirhind now at House No. 158, Sec. 33,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) S/Shri Mangal Singh, Gurmukh Singh & Bhupinder Singh,
Sons of Shri Puran Singh &
Shri Puran Singh S/o Sh. Lal Singh,
Residents of Village Mughal Majra,
Tehsil Sirhind.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 34 Kanals 16 Marlas at V. Nabipur, Teh. Sirhind, Distt. Patiala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 2055 of July, 1980 of the Registering Authority, Sirhind).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. TPA/6/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land measuring 21 Kanals 14 Marlas situated at Tapa, Teh. Barnala, Distt. Sangrur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Saidapet (Doc. 2518/80) on July 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-persons, namely :—

(1) Shri Jagan Nath,
S/o Shri Ram Dass,
S/o Shri Khushia,
R/o V. Tapa, Teh. Barnala,
Distt. Sangrur.

(Transferoı)

(2) Smt. Angrej Kaur,
W/o Sh. Tota Singh,
S/o Sh. Bogha Singh,
R/o V. Tapa, Tehsil Barnala,
Distt. Sangrur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 21 Kanals 14 marlas at Tapa, Teh. Barnala, Distt. Sangrur.

(The property as mentioned in the sale deed No. 839 of July, 1980 of the Registering Authority, Tapa).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. TPA/4/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 21 Kanals 14 marlas situated at Tapa, Teh. Barnala, Distt. Sangrur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tapa in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mehar Chand,
S/o Sh. Ram Dass,
R/o Tapa, Teh. Barnala,
Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) Shri Bogha Singh,
S/o Shri Phuman Singh,
S/o Shri Budh Singh,
R/o Tapa, Teh. Barnala,
Distt. Sangrur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 21 kanals 14 marlas at Tapa, Teh. Barnala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 837 of July, 1980 of the Registering Authority, Tapa).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. TPA/5/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 21 Kanals 14 Marlas situated at Tapa, Teh. Barnala, Distt. Sangrur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tapa in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market, value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ved Parkash,
S/o Shri Gora Lal,
S/o Shri Ram Dass,
Resident of Tapa, Tehsil Barnala,
Distt. Sangrur.

(Transferor)

(2) Smt. Angrej Kaur,
W/o Sh. Tota Singh &
Shri Bogha Singh,
S/o Shri Phuman Singh,
Resident of V. Tapa, Tehsil Barnala,
Distt. Sangrur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 21 Kanals 14 Marlas at Tapa, Teh. Barnala.

(The property as mentioned in the sale deed No. 838 of Baruly, 1980 of the Registering Authority, Tapa).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13-3-1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (63 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. PTR/30/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 3.64.23 Hactare situated at V. Gulaharh, S. Teh. Patran, Distt. Patiala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Patiala in July, 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Gopal Singh, Puran Singh,
Sons of Shri Santa Singh,
R/o V. Gulaharh, S. Teh. Patran,
Distt. Patiala.

(Transferor)

(2) S/Shri Anoop Singh,
S/o Shri Jagat Singh,
R/o V. Gulaharh, S. Teh. Patran.
Mohinder Singh,
S/o Kesar Singh & Darshan Singh,
Hazara Singh sons of Shri Labh Singh,
R/o V. Nawagau.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3.64.23 Hactare at V. Gulaharh, S. Teh. Patran.

(The property as mentioned in the sale deed No. 1008 of July, 1980 of the Registering Authority, Patran).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. DBS/19/80-81/ Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land measuring 22.10 bighas situated at V. Kishan Pura, S. Teh. Dera Bassi, Distt. Patiala (and more fully described in the Scheduled annexed thereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dera Bassi in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor as more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Ajit Kaur,
Wd/o S. Mohinder Singh,
S/o Shri Dalip Singh,
R/o House No. 1011, Sector 8C,
Chandigarh.

(Transferor)

(2) S/Shri Shyam Sunder Sharma,
S/o Kedar Nath Sharma
& Aditya Nath Sharma,
S/o Shri Shyam Sunder Sharma,
R/o House No. 229, Sec. 9,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 22.10 bighas at V. Kishanpura, S. Teh. Dera Bassi.

(The property as mentioned in the sale deed No. 621 of July, 80 of the Registering Authority at Dera Bassi).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ludhiana,

Date : 13th March, 1981
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. AML/64/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. Land 6B15B situated at Vill. Jassran S, Teh, Amloh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amloh in July, 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section namely ;—

(1) Shri Ujaggar Singh, Mohinder Singh,
Ss/o Shri Anokh Singh,
R/o Nasrali P.O. Mandi
Gobindgarh (Patiala).

(Transferor)

(2) S/Shri Nachhattar Singh, Karnail Singh,
Ss/o Shri Babu,
Balwinder Singh, Gurdip Singh,
Ss/o Shri Malkiat Singh,
Rajinder Singh, Nirmal Singh,
Ss/o Shri Surjit Singh,
R/o Kukkar Majra,
P.O. Gobindgarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression uesd herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6Bigha 15 Biswas situated in Vill. Jassran Teh. Amloh.

(The property as mentioned in the registered deed No. 1107 of July, 1980 of the Registering Authority, Amloh).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA

Ludhiana, the 13th March, 1981

Ref. No. PTA/47/80-81/—Whereas I, SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatfter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 321/2 situated at Gher Sodhian, Patiala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Patiala in July, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anoop Singh Saini,
S/o Shri Pritam Singh Saini,
R/o H. No. 321/2, Ghar Sodhian,
Patiala.

(Transferor)

(2) Shri Kesho Ram Guptaa & Shri Gian Chand Gupta,
R/o H. No. 321/2, Ghar Sodhia, Patiala.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazettee.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

H. No. 321/2, situated in Gher Sodhian, Patiala.
(The property as mentioned in the registered deed No. 3601 of July, 1980 the registering Authority, Patiala.).

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 13th March, 1981
Seal :

STAFF SELECTION COMMISSION

NOTICE

GRADE C STENOGRAPHERS' LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION, 1981

New Delhi, the 25th April, 1981

No. 3/5/81-Coord. I.—A limited department competitive examination for making additions to the Select List for Grade C of the Central Secretariat S[illegible] rvice, Grade II of Stenographers' Sub-Cadre [illegible] Service (B), Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Grade 'C' of the Rly. Board Sectt. Stenographers' Service will be held by the Staff Selection Commission on 6-8-81 at BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, MADRAS, NAGPUR and at selected Indian Missions abroad in accordance with the Rules published by the Department of Personnel and Administration Reforms in the Ministry of Home Affairs in the Gazette of India dated 25-4-81.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ACCEPTED FOR ADMISSION TO THE EXAMINATIONS WILL BE INFORMED AT WHAT PLACE, AT WHAT TIME AND ON WHAT DATES THEY SHOULD PRESENT THEMSELVES.

2. The approximate number of vacancies in the Services mentioned above for which recruitment is to be made on the basis of the examination is given below :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C;

(ii) Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)—Grade II;

(iii) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade C; and

(iv) Gr. 'C' of the Rly. Board Sectt. Stenographers' Service.

*Will be determined later.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. A Candidate seeking admission to the examination must apply to the Regional Director, N.R. Staff Selection Commission, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi-110003 on the prescribed form of application. The prescribed forms of application and full particulars of the examination can be obtained on cash payment of Rupee one each at the counter in the Commission's office up to 23-5-81. They are also obtainable from the Commission by post up to 23-5-81 on payment of Rupee one each which should be remitted by Postal Order(s) crossed with 'A/c Payee only' crossing and payable to the 'Staff Selection Commission'. The name of the examination GRADE C STENOGRAPHERS' LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION, 1981 should be clearly indicated in the requests for application form. The postal order(s) should be accompanied by two slips showing the name and address of the candidate in block capitals. On receipt of the Postal Order(s) for Rupee one and the two slips mentioned above, a copy of the application form and full particulars of the examination will be sent to the candidate by ordinary post under certificate of posting. Money Orders or cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Postal Orders. This amount of Re. 1 will in no case be refunded.

Applicants living abroad should send Indian Postal Order(s) towards the cost of the application form or deposit the equivalent of Re. 1/- in the office of India's High Commissioner/Ambassador/Representative who should be asked to credit the amount to the account head "051—Public Service Commission—Staff Selection Commission. Other Receipts—Sale of Application Forms" (adjustable by the Pay and Accounts Officer, Department of Personnel & Administrative Reforms, New Delhi), obtain a receipt in TR5 form from that office and forward the receipt to the Commission. Two slips showing the name and address of the candidate in block capital letters should also be sent with the Postal Order/Receipt.

NOTE.—No request for supply of application form and full particulars of the examination will be entertained after 10-5-81 except from persons residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep which will, however, be entertained up to 6-6-81.

4. The completed application form must reach the Regional Director, N.R. Staff Selection Commission, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi-110003, on or before 10-5-81, accompanied by necessary documents in accordance with the instructions to Candidate contained in the Annexure. No application received after that date will be considered.

Applications from candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Island or in Lakshdweep from a date prior to 23-5-81 will, however be accepted up to 6-6-81.

NOTE 1.—Candidates are warned that they must submit their applications on the printed form prescribed for the Grade C Stenographers' Limited Departmental Competitive Examination, 1981. Applications on form other than the one prescribed for the Grade C Stenographers Limited Departmental Competitive Examination, 1981 will not be entertained. The applications on forms marked 'for Official Use only' will also not be entertained.

NOTE 2.—Candidates who send their request for application forms or applications at a late date will do so at their own risk.

NOTE 3.—Applicants who submit their applications at the Commission's counter should obtain the acknowledgement cards from the clerk who receives the applications from them.

5. (i) Prescribed Fee.—Candidates seeking admission to the examination, except those falling under sub-paras (iii) and (v) below, must pay the following fee to the Commission with the completed application form :—

Rs. 12.00 (Rs. 3.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

(ii) The fee mentioned in para 5(i) should be paid by means of Indian Postal Orders crossed with 'A/c Payee only' crossing payable to the Staff Selection Commission or by Bank draft drawn in favour of Staff Selection Commission on State Bank of India at its Parliament Street, New Delhi Branch The Postal Orders should be filled as per specimen given below :—

A/C Payee only & Co.

Pay to
Staff Selection Commission
New Delhi
POSTAL ORDER
Lodi Road Post Office
New Delhi-110003.

The Commission will not accept payment of fee sent through Money Orders or cheques or currency notes.

(iii) The Commission may at its discretion remit the prescribed fee where it is satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or before 1st November, 1964, and is not in a position to pay the prescribed fee.

(iv) A CANDIDATE MUST NOTE THAT IT IS NOT SAFE TO SEND POSTAL ORDERS WHICH ARE NEITHER CROSSED NOR MADE PAYABLE TO THE STAFF SELECTION COMMISSION, NEW DELHI, AT LODI ROAD POST OFFICE, NEW DELHI. FULL PARTICULARS OF THE POSTAL ORDERS SHOULD BE ENTERED IN COLUMN 11 OF THE APPLICATION FORM.

AN APPLICATION NOT ACCOMPANIED BY CROSSED INDIAN POSTAL ORDERS OR BANK DRAFTS FOR THE PRESCRIBED FEE WILL BE SUMMARILY REJECTED THIS DOES NOT APPLY TO DISPLACED PERSONS FROM BANGLA DESH (ERSTWHILE EAST PAKISTAN) AND REPATRIATES OF INDIAN ORIGIN FROM BURMA & SRI LANKA WHO HAVE MIGRATED TO

INDIA ON OR AFTER 1ST JANUARY, 1964 (BUT BEFORE 25TH MARCH, 1971), 1ST JUNE, 1963 AND 1ST NOVEMBER 1964 RESPECTIVELY, AND BEING NOT IN A POSITION TO PAY, ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE VIDE PARA 5(iii) ABOVE.

(v) There will be no fee for Ex-servicemen.

6. No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained, nor can the fee be held in reserve for any other examination. The refund is admissible only when the examination is cancelled.

In case the candidate is not admitted to the examination by the Commission, because of late receipt of his application his application alongwith the postal orders, will be returned to him.

7. All communications in respect of an application should be addressed to the Regional Director, N.R. Staff Selection Commission, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi-110003 and should contain the following particulars :—

(i) NAME OF EXAMINATION.

(ii) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(iii) ROLL NUMBER OR DATE OF BIRTH IF ROLL NUMBER NOT COMMUNICATED TO CANDIDATE.

(iv) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(v) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

Communication not giving these particulars may not be attended to promptly. In all correspondence with the Staff Selection Commission concerning this examination, candidates should invariably superscribe their envelopes and correspondence with the words and figures "Grade C Stenographers' Limited Departmental Competitive Examination, 1981.

R. MALLIKARJUNAN
Secretary, Staff Selection Commission

ANNEXURE

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

A copy each of the Notice, the Rules, the Application Form and other papers relating to the examination is obtainable from the Regional Director (N.R.), Staff Selection Commission in accordance with para 3 of the Notice. Candidates should consult them carefully to see if they are eligible before filling in the application form or paying the prescribed fee. The conditions prescribed can in no case be relaxed.

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION, THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

A candidate who wishes to take the examination at an Indian Mission abroad must state in the order of his choice two other Indian Missions, (in countries other than the country in which he may be stationed) as alternative centres. He may, at the discretion of the Commission, be required to appear at his own expenses at any one of the three Missions indicated by him or at any other Mission.

A candidate who wishes to take the examinations at an Indian Mission abroad and exercises the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge and take the Stenography tests in Hindi in terms of para 3 of Appendix to the Rules, may be required to appear, at his own expenses, at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

2. The application form and the sheet comprising six portions showing the name and address of the candidates must be completed in the candidate's own handwriting. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. The completed application form, should be sent to the Regional Director. N.R. Staff Selection Commission, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi-110003, so as to reach him by the last date prescribed in the Notice.

NOTE—CANDIDATES SHOULD CLEARLY SPECIFY IN COLUMN 6 OF THE APPLICATION FORM. THE LANGUAGE IN WHICH THEY WISH TO ANSWER THE QUESTION PAPERS ON ESSAY AND GENERAL KNOWLEDGE AND TAKE THE STENOGRAPHY TESTS VIDE PARAGRAPH 3 OF APPENDIX TO THE RULES OF THE EXAMINATION. THE OPTION ONCE EXERCISED SHALL BE TREATED AS FINAL AND NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE SAID COLUMN SHALL BE ENTERTAINED. IF NO ENTRY IS MADE IN THE SAID COLUMN IT WILL BE ASSUMED THAT THE PAPERS WILL BE ANSWERED, AND THE SHORTHAND TESTS TAKEN, IN ENGLISH.

No application received by the Commission after the date prescribed in the Notice will be accepted.

A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshdweep may, at the discretion of the Commission, be required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshdweep from a date prior to the date specified in the first sub-para of para 4 of the Notice.

A candidate must submit his application through the Head of his Department or Office concerned who will complete the endorsement at the end of application form and forward it to the commission.

3. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

4. (1) A candidate must send the following documents with his application :

(i) CROSSED Indian Postal Orders payable to the Staff Selection Commission at Lodi Road Post Office, New Delhi or bank draft drawn in favour of the Staff Selection Commission on the State Bank of India at its Parliament Street Branch, New Delhi only and valid for at least 6 months for the prescribed fee.

(ii) (a) Certified true copy of the first page of his service book by the Head of his Department or Office in which he is employed at the time of making the application.

(b) Certified true copy of the particulars of his service since 1st August, 1978 attested by the Head of the Department or Office in which he is working at the time of making the application.

(iii) Two identical copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx.) photographs of the candidate.

(iv) Documents required (where applicable) *vide* paragraph 6 below.

(2) Details of the documents mentioned in items (i), (ii), (iii) and (iv) are given below :—

(i) *CROSSED Indian Postal Orders or bank drafts for the prescribed fee.*

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Postmaster and a clear stamp of the issuing Post Office. All Postal Orders should be CROSSED and filled in as follows :—

"Pay to the Staff Selection Commission at Lodi Road Post Office, New Delhi."

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated or time-barred Postal Orders will also not be accepted.

All bank drafts should be in favour of Staff Selection Commission and drawn on State Bank of India at its Parliament Street Branch, New Delhi.

NOTE.—Candidates serving abroad at the time of submitting their applications should deposit the amount of the prescribed fee [the equivalent of Rs. 12.00 (Rs. 3.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes)] in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative, as the case may be, in that country who should be asked to credit the amount to the account head "051—Public Service Commission—Staff Selection Commission—Other Receipt—Examination fees" (adjustable by the Pay and Accounts Officer, Deptt. of Personnel and Administrative Reforms, New Delhi). The candidates should forward the receipt from that office with the application.

(ii) (a) Certified true copy of the first page of the service book attested by the Head of Department or Office in which the candidate is employed at the time of making the application should show the name of the candidate in full, his father's name (Husband's name in the case of a married woman Government servant) nationality, name of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the case of candidates belonging to such caste or tribe, date of birth by the Christian Era (both in figures and words), educational qualification, and specimen signature of the candidate.

(b) Certified true copy of the particulars of service since 1-8-1978 attested by the Head of Department or Office in which he is working at the time of making the application should show the posts held along with scale of pay and the capacity substantive, officiating, permanent or temporary in which the post is held.

Note.—The Commission may, if it considers necessary, call for the service book or other documentary evidence.

(iii) Two copies of photograph.—A candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx.) photograph one of which should be pasted on the application form in the spaces provided for the purpose. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

(iv) The documents required *vide* para 6 below (where applicable) in support of a claim for remission of fee, and/or relaxation of age must be submitted along with the application failing which no remission of fee or relaxation in age will be allowed.

5. Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 4 above without a reasonable explanation for its absence having been given the application is liable to be rejected and no appeal against its rejections will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's office within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise the application is liable to be rejected.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper wih any entry in the documents submitted by them, nor should they submit tampered documents. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents, an explanation regarding the discrepancy may be submitted separately.

6 (i) A displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) claiming age concession under Rule 4(c)(ii) or 4 (c)(iii) should produce an attested copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from Bangladesh and had migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971 :

(1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be resident;

(3) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer, within the sub-division in his charge; and

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West-Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta.

If he is seeking remission of the fee, under paragraph 5(iii) of the Notice, he should also produce certificate in original, from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee. This certificate will not be returned to the candidate.

(ii) A repatriate of Indian origin from Burma and Sri Lanka seeking remission of the prescribed fee under paragraph 5(iii) of the notice and/or age concession under Rule 4(c)(iv) or 4(c)(v) should produce an attested copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964. If he is seeking remission of the fee, he should also produce a certificate in original from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee. This certificate will not be returned to the candidate.

(iii) A repatriate of Indian origin from Burma seeking remission of the prescribed fee under paragraph 5(iii) of the Notice and/or age concession under Rule 4 (c)(viii) or 4(c)(ix) should produce an attested copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon, to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or an attested copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963. If he is seeking remission of the fee, he should also produce a certificate in original from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee. This certificate will not be returned to the candidate.

(iv) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia, claiming age concession under Rule 4(c)(vi) or 4(c)(vii) should produce an attested copy of certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession under Rule 4(c)(x) or 4(c)(xi) should produce an attested copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

Form of certificate to be produced by the candidate

Certified that Rank No.... .... Shri............ of Unit.............. was disabled while in the Defence Services, in operations during hostilities with a foreign country in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature . . . .
Name . . . .
Designation . . . .
Date . . . .

*Strike out whichever is not applicable.

(vi) A candidate disabled while in the Border Security Force claiming age concession under Rule 4(c)(xii) or 4(c)(xiii) should produce an attested copy of a Certificate in the form prescribed below from the Director-General Border Security Force, to show that he was disabled while in the Border Security Force, in operations during Indo-Pakistan hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

Form of certificate to be produced by the candidate

Certified that Rank No. ....Shri............ ....of Unit .... was disabled

while in the Border Security Force in operation during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature . . . .

Name . . . .

Designation. . . . .

Date. . . . .

7. Candidates are required to submit along with their applications copies of their certificates mentioned in para 6 above, attested by a Gazetted officer of Government or certified by candidates themselves as correct.

8. The candidates are advised that they should arrange their applications in the following order before submission to the Commission :—

(i) Postal Orders/Bank drafts.

(ii) One extra copy of photo (another copy of the photograph is to be pasted on the first page of the application).

(iii) Application form duly completed.

(iv) Certified true copy of the first page of his Service Book by the Head of his Department or Office in which he is employed at the time of making the application.

(v) Certified true copy of the particulars of his service during the three years ended 1-8-1980 by the Head of the Department or Office in which he is working at the time of making the application.

(vi) Attested copy of the certificate showing that the candidate is a migrant from Burma, Sri Lanka, Bangladesh, etc.

(vii) Certificate showing that the candidate is not in a position to pay the fee, if he wants that the prescribed fee may be remitted in his case.

(viii) Any other certificate the candidate wishes to send.

9. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

10. If a candidate who sends his application by post, and does not receive an acknowledgement of his application within a fortnight from the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. Every candidate for admission to this examination will be informed, at the earliest possible date of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from the Staff Selection Commission, a communication regarding the result of his application one month before the date of the examination, he should at once contact the Commission. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. Candidates are not entitled to receive any Travelling Allowances from the Staff Selection Commission, for attending the examination.

13. Copies of pamphlets containing rules and question papers for the Grade C stenographers' Limited Departmental Competitive Examinations held by the Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing)/Subordinate Services Commission/Staff Selection Commission in previous years are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110006 and may be obtained from him direct by mail orders only. These can also be obtained against cash payment from (i) The Kitab Mahal, State Emporia Building, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counter of the Publications Branch, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 and (iii) The Government of India Book Depot 8, K. S. Roy Road, Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for Government of India Publications at various mofussil towns.

14. *Change in Address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM/HER AT THE ADDRESS STATED IN HIS/HER APPLICATION ARE REDIRECTED, IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION ALONGWITH SIX SLIPS SHOWING THE ROLL NUMBER AND THE NAME AND NEW ADDRESS IN BLOCK CAPITALS, AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 7 OF THE NOTICE ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES IT CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981